



दिल्ली पॉवर कम्पनी लिमिटेड
DELHI POWER COMPANY LTD.

वार्षिक रिपोर्ट

2020-21



विषय सूची

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	निदेशक मंडल	2
2	निदेशकों की रिपोर्ट	3
3	सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर (स्टैंडअलोन एवं समेकित आधार पर)	10
5	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर	14
6	सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	16
7	सचिवीय लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर	19
8	कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व व वार्षिक रिपोर्ट	20
9	कॉर्पोरेट अधिशासन रिपोर्ट	23
10	लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	26
11	तुलन-पत्र (एकल आधार पर)	35
12	लाभ व हानि विवरण (एकल आधार पर)	36
13	रोकड़ प्रवाह विवरण (एकल आधार पर)	37
14	लेखा संबंधी टिप्पणियां (एकल आधार पर)	39
15	लेखापरीक्षक की रिपोर्ट (समेकित आधार पर)	63
16	तुलन-पत्र (समेकित आधार पर)	70
17	लाभ व हानि विवरण (समेकित आधार पर)	71
18	रोकड़ प्रवाह विवरण (समेकित आधार पर)	72
19	समेकित आधार पर खातों पर टिप्पणियाँ	74

निदेशक मंडल

श्री सत्य गोपाल

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डॉ. संजय कुमार लाल

निदेशक (वित्त)

श्री अजीमुल हक

नामित निदेशक

श्री अनिल कुमार ओझा

स्वतंत्र निदेशक

श्रीमती अंजलि राय

स्वतंत्र निदेशक

मुख्य वित्त अधिकारी

श्री हर्षिन्दर सिंह

कंपनी सचिव

सुश्री पलक जैन

लेखा परीक्षक

मैसर्स बी.आर. माहेश्वरी एंड कंपनी एलएलपी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

एम-118, कनॉट सर्कस,

नई दिल्ली-110001

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक

सिंडिकेट बैंक

पंजीकृत कार्यालय

शक्ति सदन, कोटला मार्ग,

नई दिल्ली-110002

निदेशक रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण,

दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड

आपके निदेशकों को 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के साथ 20वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है।

वित्तीय परिणाम (एकल आधार)

(लाख रुपये में)

विवरण	2020-21	2020-21
आय		
लाभांश और ब्याज आय	13,199.88	13,241.94
निवेश पर क्षतिहानि के लिये प्रावधान का प्रतिलोम	3561.20	1,109.20
विविध आय	-	48.80
कुल आय	16,761.08	14,399.94
प्रशासनिक और अन्य व्यय	592.29	289.94
मूल्यह्रास	1.86	1.07
कुल व्यय	594.15	291.01
कर पूर्व निवल लाभ	16,166.93	14,108.93
अन्य व्यापक आय (डीटीएल और आईपीजीसीएल में डीपीसीएल शेयरों के उचित मूल्यांकन के कारण)	27,922.00	-
आय कर (न्यूनतम वैकल्पिक कर)	2202.47	1,422.27
कर पश्चात निवल लाभ	41,886.46	12,686.66
प्रति इक्विटी शेयर आय (रुपये)	5.62,	1.70

वित्तीय परिणाम (समेकित आधार)

(लाख रुपये में)

विवरण	2020-21	2020-21
आय		
ब्याज आय	10,269.56	8,422.10
कुल आय	10,269.56	8,422.10
प्रशासनिक और अन्य व्यय	592.29	289.94
मूल्यह्रास	1.86	1.07
कुल व्यय	594.15	291.01
कर पूर्व निवल लाभ	9,675.41	8,131.09

विवरण	2020-21	2020-21
अनुषंगी कंपनियों में निवल हिस्सेदारी (आईपीजीसीएल, डीटीएल, बीवाईपीएल, बीआरपीएल, टीपीडीडीएल और आईईडब्ल्यूएमसीएल)	78,860.41	53,031.86
घटाएं: डीटीएल और आईपीजीसीएल की समायोजित राशि	35,923.70	-
अनुषंगी कंपनियों की अन्य व्यापक आय में हिस्सेदारी (आईपीजीसीएल, डीटीएल, बीवाईपीएल, बीआरपीएल, टीपीडीडीएल और आईईडब्ल्यूएमसीएल)	28,114.13	(138.37)
आय कर (न्यूनतम वैकल्पिक कर)	2202.47	(1,422.27)
कर पश्चात निवल लाभ	78,523.78	59,602.31
प्रति इक्विटी शेयर आय (रुपये)	10.54	8.00

एकल और समेकित वित्तीय विवरणों का संकलन

इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी व्यवहार्य भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) के साथ पठित, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 के प्रावधानों, के अनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2019-20 तक, कंपनी ने 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिये अपनी सहयोगी कंपनियों – इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (आईपीजीसीएल), दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डीटीएल), टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल), बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल), बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल) तथा इंद्रप्रस्थ एनर्जी एंड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (आईईडब्ल्यूएमसीएल) के साथ समेकित वित्तीय विवरणों का संकलन किया। परन्तु, चालू वित्त वर्ष यानी 2020-21 के दौरान कंपनी ने इस संबंध में एक सलाहकार से राय ली। तत्पश्चात, बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि चूंकि डीपीसीएल की केवल डीटीएल और आईपीजीसीएल में 20: से कम हिस्सेदारी है और इसलिए इन दोनों कंपनियों पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है। अतः इस वर्ष डीपीसीएल के खातों में डीटीएल और आईपीजीसीएल के खातों को समेकित नहीं किया गया है। तदनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने अपनी बोर्ड बैठक दिनांक 30.11.2021 के माध्यम से 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एकल आधार पर वित्तीय विवरणों के अलावा समेकित वित्तीय विवरणों को मंजूरी दी है।

वित्तीय स्थिति

कंपनी को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान टीपीडीडीएल की इक्विटी शेयर पूंजी में अपने निवेश पर टीपीडीडीएल से वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये इक्विटी लाभांश के रूप में 64.92 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। इसके अलावा टीपीडीडीएल द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 61.86 करोड़ रुपये इक्विटी लाभांश घोषित किया गया। परन्तु, यह राशि भी कंपनी को चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त हुई और इसीलिए इस राशि को वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान हिसाब में लिया जाएगा। वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी ने बैंकों के साथ सावधि जमा पर 67.08 करोड़ रुपये का ब्याज प्राप्त किया है। कंपनी ने डीटीएल की निवल मालियत में वृद्धि के कारण सहयोगी कंपनियों में निवेश मूल्य में 35.61 करोड़ रुपये की हानि के प्रावधान को पलट दिया। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी ने कर पूर्व लाभ के रूप में 161.67 करोड़ रुपये और कर पश्चात लाभ के रूप में 139.54 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया जबकि पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2019-20 में एकल आधार पर कंपनी का कर पूर्व लाभ 141.09 करोड़ रुपये और कर पश्चात लाभ 126.87 करोड़ रुपये था। वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपने लाभ और हानि विवरण में न्यूनतम वैकल्पिक कर (आयकर) के रूप में 22.02 करोड़ रुपये दर्शाए।

इसके अलावा निवेश पर हुई क्षति हानि को पलटने के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी के कर पश्चात लाभ में 35.61 करोड़ रुपये की कमी आई। इसके अलावा, डीटीएल और आईपीजीसीएल को वित्त वर्ष 2019-20 तक सहयोगी के रूप में माना गया और लागत पर वहन किया गया। परन्तु, चालू वित्तीय वर्ष में कंपनी ने एक राय ली, जिसके अनुसार, चूंकि इन कंपनियों में निवेश 20: से कम है, इसलिए, डीपीसीएल ने इन निवेशों को इंड एस 109 के अनुसार इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में निवेश के रूप में माना है और अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में मापा गया और इसलिए उचित मूल्य पर आगे ले जाया गया। तदनुसार इन निवेशों का उचित मूल्यांकन इंड एस 109 के अनुसार पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा किया गया है। इन घटकों की वजह से प्रति शेयर आय (ईपीएस) 2019-20 की तुलना में 1.70 रुपये से बढ़कर 2020-21 में 5.62 रुपये हो गई। वित्तीय वर्ष 2019-20 में कंपनी की कुल संपत्ति 1,724.42 करोड़ रुपये थी जो वित्त वर्ष 2020-21 में बढ़कर 2,143.29 करोड़ रुपये हो गई है।

सहयोगी कंपनियों में लाभ का हिस्सा

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सहयोगी कंपनियों दृटीपीडीडीएल, बीआरपीएल, बीवाईपीएल और आईईडब्ल्यूएमसीएल के लाभ में कंपनी की हिस्सेदारी 788.60 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 630.32 करोड़ रुपये) रही, जिसमें, इन चार सहयोगी कंपनियों की अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में कंपनी का 1.92 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 1.38 करोड़ रुपये) का हिस्सा भी शामिल है।

लाभांश

कंपनी की अनावशेषित संचित हानियों के कारण कंपनी के निदेशकों ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये किसी लाभांश की अनुशंसा नहीं की।

कंपनी के कार्यों का संचालन/स्थिति

कंपनी किसी भी विनिर्माण, कारोबारी या वाणिज्यिक गतिविधियों का संचालन नहीं करती है। इसका गठन मुख्य रूप से पूर्व दिल्ली विद्युत बोर्ड की बाद की कंपनियों – इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (आईपीजीसीएल), दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डीटीएल), टाटा दिल्ली पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल), बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल), बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल) की शेयर धारिता के लिये किया गया, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में क्रमशः बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण का कार्य करती हैं। इसके अलावा कंपनी हस्तारण योजना विनियम 2001 के प्रावधानों के अनुरूप पूर्ववर्ती दिल्ली विद्युत बोर्ड की देयताओं का समायोजन भी कर रही है। कंपनी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विद्युत उत्पादन के लिये नगर निगम कचरे के प्रसंस्करण की परियोजना में इंद्रप्रस्थ एनर्जी एंड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (आईईडब्ल्यूएमसीएल) नाम के एसपीवी की इक्विटी शेयर पूंजी में मेसर्स यूनिक वेस्ट प्रोसेसिंग कंपनी लिमिटेड के साथ को-प्रमोटर के रूप में भी निवेश किया है।

हस्तारण योजना विनियम 2001 के प्रावधानों के अनुरूप कंपनी को सहयोगी वितरण सेवा कंपनियों के लिये, घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं तथा सरकारी विभागों से दिल्ली विद्युत बोर्ड के समय के बिजली बकाया की बसूली का काम भी सौंपा गया है। इसके अनुसार कंपनी अदालतों के हस्तक्षेप से बकाया वसूली की प्रक्रिया में है। कंपनी को कार्य संभालते समय मिले ओपनिंग बैलेंस के अनुसार 446.53 करोड़ (संदिग्ध ऋण के प्रावधान पर विचार किये बिना) रुपये बिजली उपभोक्ताओं के पास बकाया हैं जिसमें 286.83 करोड़ रुपये विभिन्न सरकारी विभागों से लिये जाने हैं।

कार्य स्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 22 के तहत स्पष्टीकरण

परामर्शदाता के रूप में एक नियुक्ति को छोड़कर डीपीसीएल में कार्यरत सभी कर्मचारी परिवर्तित क्षमता के साथ दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड के नियमित कर्मचारी हैं और डीपीसीएल में पदस्थापित हैं। इसलिये दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड में लागू कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न संबंधी नीति सहित सभी एचआर नीतियां डीपीसीएल में भी व्यवहार्य हैं। इसके अलावा कार्य स्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत गठित आंतरिक शिकायत समिति की संरचना से संबंधित प्रावधान भी दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड द्वारा डीपीसीएल में पदस्थापित कर्मियों के लिये भी लागू होते हैं।

समीक्षा वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई भी शिकायत नहीं मिली और न ही कार्य स्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत कोई मामला दर्ज किया गया।

विनियामकों, अदालतों या अधिकरणों द्वारा पारित, कंपनी के संचालन और जारी स्थिति पर असर डालने वाले महत्वपूर्ण आदेश

वर्ष के दौरान कंपनी को विनियामकों, अदालतों या अधिकरणों से कोई भी ऐसा आदेश प्राप्त नहीं हुआ जो कंपनी की जारी संबंध स्थिति या भविष्य के संचालन पर असर डाल सकते हों।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत कोई भी ऋण या गारंटी मंजूर नहीं की और न ही कोई निवेश किया। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत मूल ऋण पर कोई भी राशि बकाया नहीं थी, इसलिये वित्तीय वर्ष 2020-21 में किसी भी बकाये का पुनर्भुगतान नहीं किया जाना था।

कंपनी की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव डालने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन या प्रतिबद्धताएं, यदि कोई हों।

कंपनी की वित्तीय स्थिति पर असर डालने वाला ऐसा कोई भी बड़ा परिवर्तन या प्रतिबद्धता नहीं है जो वित्तीय विवरण के संबंधित वर्ष के अंत और रिपोर्ट तिथि के बीच घटित हुई हो।

धारा 188(1) में उल्लिखित संबंधित पक्षों के साथ अनुबंधों या समझौतों का विवरण

संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के अनुबंध या समझौते व्यवसाय के सामान्य क्रम में तथा स्वतंत्र मूल्यधर्निर्णय पर किये गये। इसलिये कंपनी अधिनियम की धारा 188 के प्रावधान लागू नहीं होते और इसके अनुसार फॉर्म एओसी -2 में स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं है।

व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन

समीक्षा वर्ष के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा संबंधी विवरण

कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों – सुश्री अंजलि राय और श्री अनिल कुमार ओझा ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(6) की अपेक्षाएं पूरी करने संबंधी घोषणा क्रमशः दिनांक 09.09.2021 और 13.09.2021 को प्रस्तुत कीं।

स्वतंत्र निदेशक की निष्ठा, विशेषज्ञता और अनुभव (दक्षता सहित) के संदर्भ में बोर्ड के मत का विवरण

कंपनी के स्वतंत्र निदेशक श्री अनिल कुमार ओझा और सुश्री अंजलि राय को अभी हाल में, 17.09.2021 को कंपनी के निदेशक मंडल में नियुक्त किया गया है। इन दोनों को अभी भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान के स्वतंत्र निदेशक डेटा बैंक के लिये ऑनलाइन निपुणता स्व आकलन परीक्षा क्वालिफाई करनी है।

बोर्ड का मत है कि स्वतंत्र निदेशकों— श्री अनिल कुमार ओझा और सुश्री अंजलि राय के पास, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और बाद में बनाये गये विनियमों के तहत निर्धारित (व्यवहार्य सीमा तक) निष्ठा, विशेषज्ञता, अनुभव और दक्षता है।

निदेशक

सुश्री पद्मिनी सिंगला को 05.07.2019 को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया और वे 01.01.2021 तक इस पद पर रहीं। सुश्री रिकू धुग्गा 01.01.2021 को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त की गयीं और वे 31.03.2021 तक इस पद पर रहीं। 31.03.2021 को श्री सत्य गोपाल को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया और इसके बाद से वे इस पद पर हैं।

18.07.2019 को श्री डी. वर्मा मनोनीत निदेशक बनाये गये और वे 24.04.2020 तक इस पद पर रहे। उनके स्थान पर 24.04.2020 को श्री रवि दधीच को मनोनीत निदेशक नियुक्त किया गया और वे 09.09.2020 तक इस पद पर रहे। उनके बाद 09.09.2020 को श्री जे.के.जैन मनोनीत निदेशक नियुक्त किए गए और वे 28.07.2021 तक इस पद पर रहे। श्री अजीमुल हक को 28.07.2021 को कंपनी का निदेशक मनोनीत किया गया और वे तब से इस पद पर बने हुए हैं।

डॉ. संजय कुमार लाल को 17.09.2021 से कंपनी का निदेशक (वित्त) नियुक्त किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान श्री अजीत केशव राणाडे कंपनी के स्वतंत्र निदेशक बने रहे। पांच वर्ष का उनका कार्यकाल 30.05.2021 को पूरा हुआ।

श्री अनिल कुमार ओझा और सुश्री अंजलि राय की नियुक्ति कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में 17.09.2021 को हुई है।

सरकारी कंपनियों के लिये अधिसूचित छूट के अनुसार किसी भी निदेशक की रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्ति अपेक्षित नहीं थी।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन

कंपनी में निर्धारित अनुपालनों के लिये आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के साथ लेखा परीक्षण समिति है। नियंत्रण प्रणाली में आंतरिक लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं की समीक्षा तथा वित्तीय खातों और नीतियों की समीक्षा शामिल है।

कंपनी के संचालन और गतिविधियों पर वित्तीय नियंत्रण के लिये और निर्णय लेने की सुगमता के लिये शक्तियां व्यापक रूप से सौंपी गयी हैं। आंतरिक लेखा परीक्षण सनदी लेखाकारों की एक कंपनी द्वारा छमाही आधार पर किया जाता है और इसकी रिपोर्ट की समीक्षा लेखा परीक्षण समिति द्वारा की जाती है।

निदेशकों के दायित्व वक्तव्य

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(5) के तहत निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी के निदेशक पुष्टि करते हैं कि:

- क) वार्षिक खातों की तैयारी में, बड़े बदलावों के लिये समुचित स्पष्टीकरण के साथ व्यवहार्य लेखांकन मानकों का पालन किया गया है।
- ख) निदेशकों ने तर्कसंगत और विवेकपूर्ण लेखांकन नीतियां चुनी और अपनायीं तथा निर्णय और अनुमान किये जो वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति और इस अवधि के दौरान कंपनी के लाभ और हानि की सच्ची और निष्पक्ष जानकारी देते हैं।
- ग) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा किसी धोखाधड़ी और अनियमितताओं का पता लगाने और रोकथाम के लिये कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड रखने पर समुचित ध्यान दिया है।
- घ) निदेशकों ने चालू प्रतिष्ठान के आधार पर वार्षिक लेखा की तैयारी की है। और
- ङ) सभी व्यवहार्य कानूनों के अनुपालन के लिये निदेशकों ने समुचित प्रणालियां तय की हैं और इन प्रणालियों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया है।

लेखा परीक्षक

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये कंपनी के वैधानिक लेखाकारों के रूप में मेसर्स बी.आर.माहेश्वरी एंड कंपनी एलएलपी, सनदी लेखाकार (फर्म पंजीकरण सं. 001035एन/एन500050) को नियुक्त किया गया।

लेखा परीक्षण अवलोकन

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये कंपनी के लेखा पर वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा लगायी शर्तों पर प्रबंधन के जवाब इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक-I** में संलग्न हैं।

वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये कंपनी के वित्तीय विवरणों पर, एकल और समेकित दोनों आधार पर कोई टिप्पणी नहीं की है। ये टिप्पणियां इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक-II** का हिस्सा हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन के जवाब रिपोर्ट के **अनुलग्नक-II** में रखे गये हैं।

सचिवीय लेखा परीक्षण

कंपनी ने मेसर्स पी.पी.अग्रवाल और कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज, दिल्ली को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204, अन्य संबंधित नियमों के साथ पठित, के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये कंपनी के वार्षिक सचिवीय लेखा परीक्षण का काम सौंपा है। इस संबंध में सचिवीय लेखा परीक्षक द्वारा जारी फॉर्म एमआर-3 में सचिवीय लेखा परीक्षण रिपोर्ट, **अनुलग्नक-IV** में संलग्न है। सचिवीय लेखा परीक्षण रिपोर्ट पर प्रबंधन का जवाब इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक-V** में है।

लेखा परीक्षा समिति

कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के प्रावधानों, इसके तहत अन्य नियमों के साथ पठित, के अनुसार अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद लेखा परीक्षण समिति को पुनर्गठित किया है। कंपनी की वर्तमान लेखा परीक्षण समिति के सदस्य हैं— सुश्री अंजलि राय, श्री अनिल कुमार ओझा और श्री अजीमुल हक।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी उपयोग तथा विदेशी मुद्रा अर्जन और बहिर्गमन

कंपनी किसी निर्माण या संबंधित गतिविधियों में संलग्न नहीं है, इसलिये ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी उपयोग संबंधी विवरण कंपनी पर लागू नहीं होता। वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा अर्जन और बहिर्गमन भी नहीं हुआ।

सावधि जमा

कंपनी ने 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान कोई सावधि जमा स्वीकार नहीं किया।

सामान्य रिजर्व

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी के रिजर्व में किसी राशि का योग नहीं किया गया, सिवाय इसके कि डीटीएल और आईपीजीसीएल को अब अनुषंगी कंपनी न समझे जाने के निर्णय को देखते हुए, करों के बाद निवल लाभ की 139.64 करोड़ रुपये और अन्य व्यापक आय की 279.22 करोड़ रुपये की राशि अन्य इक्विटी में स्थानांतरित कर दी गयी, जैसा कि 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिये एकल वित्तीय विवरण में स्पष्ट भी किया गया है।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति

कंपनी अधिनियम की धारा 178 और इसके तहत नियमों के अनुसार नामांकन और पारिश्रमिक समिति पुनर्गठित की गयी है। कंपनी की वर्तमान नामांकन और पारिश्रमिक समिति में श्री अनिल कुमार ओझा, सुश्री अंजलि राय और श्री अजीमुल हक हैं। लेकिन कंपनी कार्य मंत्रालय की 5 जून 2015 की अधिसूचना के अनुसार सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3) (ई) के प्रावधानों के अनुपालन से छूट दी गयी है। इसलिये इन विवरणों को निदेशक रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है।

वर्ष के दौरान अनुषंगी, संयुक्त उपक्रम या सहयोगी कंपनियां बनने वाली/अलग होने वाली कंपनियों के नाम

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी की कोई सहायक या संयुक्त उद्यम कंपनी नहीं थी। कंपनी द्वारा निर्णय लिया गया था कि चूंकि डीपीसीएल की डीटीएल और आईपीजीसीएल में 20% से कम हिस्सेदारी है और इन दोनों कंपनियों पर इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार डीटीएल और आईपीजीसीएल अब डीपीसीएल की सहयोगी कंपनियां नहीं हैं। डीपीसीएल की सहयोगी कंपनियों का ब्योरा नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन/जीएलएन	धारक / सब्सिडियरी / एसोसिएट	शेयर प्रतिशत
1	बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीएसईएस आरपीएल) बीएसईएस भवन नेहरू प्लेस, दिल्ली-110019	U40109DL2001PLC111527	एसोसिएट	49.00%
2	बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीएसईएस वाईपीएल) शक्ति किरण भवन, कड़कड़डूमा दिल्ली डीएल-110092	U40109DL2001PLC111525	एसोसिएट	49.00%
3	टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (टीपीडीडीएल) एनडीपीएल हाउस हडसन लाइन्स, किंगस्वे कैंप, दिल्ली डीएल 110009	U40109DL2001PLC111526	एसोसिएट	49.00%
4	इंद्रप्रस्थ एनर्जी एंड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड 217 ए, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस-ए नई दिल्ली-110020	U37100DL2006PLC146456	एसोसिएट	50.00%

कंपनी सामाजिक दायित्व

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत कंपनी सामाजिक दायित्व समिति का गठन किया। कंपनी की वर्तमान सीएसआर समिति में सुश्री अंजली राय, श्री अनिल कुमार ओझा और श्री अजीमुल हक सदस्य हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी की सीएसआर नीति के तहत, कंपनी ने सीएसआर गतिविधियों पर 203.66 लाख रुपए खर्च के लिए निर्धारित किए। परन्तु, सीएसआर गतिविधियों पर यह व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान नहीं किया जा सका। इसलिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 203.66 लाख रुपए सितंबर, 2021 में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII में निर्दिष्ट एक निधि में स्थानांतरित किए गए हैं, जिसका नाम 'प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष' है। वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें सीएसआर नीति के विकास और अन्य संबंधित विषयों की विस्तृत जानकारी शामिल है, अनुलग्नक-V में संलग्न है।

समीक्षा वर्ष के दौरान संचालित बोर्ड बैठकों की संख्या

समीक्षागत वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड की 3 बैठकें आयोजित की गईं, जिनका ब्योरा कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दिया गया है, अनुलग्नक VI में संलग्न है।

आभार

कंपनी के निदेशक शेयर धारकों, भारत सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, विशेष रूप से विद्युत विभाग, वित्त विभाग और विधि विभाग के सहयोग और समर्थन के लिए अपना आभार व्यक्त करते हैं।

निदेशक, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तथा वैधानिक लेखाकारों, सचिवीय लेखाकारों और आंतरिक लेखा परीक्षकों से मिले रचनात्मक सुझावों के लिए भी आभारी हैं।

निदेशक मंडल बैंकर्स तथा डीटीएल, आईपीजीसीएल, बीआरपीएल, बीवाईपीएल, टीपीडीडीएल, आईईडब्ल्यूएमसीएल, कंपनी के परामर्शदाताओं और सलाहकारों के प्रति भी आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल कंपनी के कर्मचारियों की निष्ठापूर्ण और समर्पित सेवाओं के लिए भी हृदय से आभारी है।

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/-

(सत्य गोपाल)

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

दिनांक: 28.12.2021

स्थान: नई दिल्ली

क. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए (एकल आधार) कंपनी के लेखा पर वैधानिक लेखाकारों की टिप्पणियों पर प्रबंधन के जवाब।

क्र. सं.	टिप्पणी	प्रबंधन के जवाब
(i)	मान्य मत का आधार समेकित इंड एस वित्तीय विवरण के लिए कंपनी की टिप्पणी संख्या 5.1, 9.1, 12.1 और 15.1 में दिए गए विवरण के अनुसार कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2013-14 में 3,32,639 लाख रुपए का ब्याज युक्त ऋण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से, डीईएसयू अवधि के सीपीएसयू बकायों के भुगतान के लिए लिया था, इसे 31 मार्च 2014 से दस समान किस्तों में चुकाया जाना था। कंपनी ने 31 मार्च 2021 तक मूलधन और ब्याज के क्रमशः 2,99,375.10 लाख रुपए और 2,27,178.77 लाख रुपए की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है। दूसरी तरफ कंपनी ने 3,32,639 लाख रुपए की राशि को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त गैर वापसी योग्य वित्तीय सहायता माना है। 3,32,639 लाख रुपए की मूल राशि और 31 मार्च 2021 तक 2,27,178.77 लाख रुपए की बकाया ब्याज राशि (पिछले वर्ष 1,95,578.06 लाख रुपए) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से वापसी योग्य दर्शायी गई है, जो दिल्ली सरकार के अनुमोदन पर है। इसी राशि को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को भुगतान योग्य वर्तमान देयता के रूप में भी दर्शाया गया है।	वित्तीय विवरणों की संबंधित टिप्पणियों में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि डीईएसयू अवधि के सीपीएसयू बकाये का भुगतान डीपीसीएल की देयता नहीं है और डीपीसीएल ने दिल्ली विद्युत बोर्ड के विघटन की तिथि पर बोर्ड से यह देयता नहीं ली थी, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के निर्देशों के अनुसार डीईएसयू अवधि के सीपीएसयू बकाये का भुगतान डीपीसीएल ने, दिल्ली सरकार द्वारा विशेष रूप से इसी उद्देश्य से दिए गए ऋण से कर दिया था। दूसरी तरफ जब कंपनी ने डीईएसयू अवधि के सीपीएसयू बकाये को अपनी देयता नहीं माना है, तो दिल्ली सरकार को चुकाये जाने वाले ऋण की 3,32,639 लाख रुपए की राशि और उस पर 2,27,178.77 लाख (31 मार्च 2021 तक) रुपए की ब्याज राशि, लेखा में एक साथ रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार से वसूली योग्य दर्शाते हुए, निष्प्रभावी कर दी गई थी। इस सदर्थ में कंपनी दिल्ली सरकार के बिजली विभाग से कंपनी के नाम दर्ज ऋण को रद्द कर देने और इस मामले को भारत सरकार के समक्ष रखने का अनुरोध करती आ रही है क्योंकि डीईएसयू अवधि के लिए सीपीएसयू बकाये की देयता भारत सरकार द्वारा पूरी की जानी चाहिए, क्योंकि पूर्व डीईएसयू भारत सरकार के गृह मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार में था। यहां यह गैरतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने यह मामला भारत सरकार के समक्ष उठाया है और उस ऋण को रद्द कर देने का अनुरोध किया है जो दिल्ली सरकार के खिलाफ बकाया दिखाया गया है। इसलिए देयता की प्रकृति को देखते हुए, बताई गई परिस्थितियों में डीपीसीएल के हिसाब-किताब में दर्शाई गई राशि का लेखांकन सही और समुचित है, क्योंकि यह राशि कंपनी द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से वसूली योग्य है।
(ii)	समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियों के अनुसार आस्तियों और देयताओं के तहत पूर्व दिल्ली विद्युत बोर्ड से स्थानांतरित निम्नलिखित राशि 2002 से विभिन्न बिजली विवरण/पारेषण/उत्पादन कंपनियों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की पुष्टि और समायोजन के अधीन है।	वित्तीय विवरणों की संबंधित टिप्पणियों में स्पष्टीकरण के अनुसार दर्ज विषयवस्तु। आरंभिक शेष का समायोजन डीपीसीएल द्वारा किया जा चुका है। इसके अलावा डीपीसीएल द्वारा किए गए समायोजन की फाइल, परामर्शदाता सीए फर्म की रिपोर्ट के साथ दिल्ली सरकार को, समिति के गठन/सदस्यों के नामांकन के लिए अग्रसरित कर दी गई है। समिति में डीपीसीएल के निदेशक मंडल के निर्णयानुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त और बिजली विभाग के प्रतिनिधि शामिल हैं। समिति से प्राप्त सिफारिशों और निदेशक मंडल के अनुमोदन के बाद आवश्यक समायोजन किया जाएगा।

टिप्पणी संख्या	शीर्षक	उपशीर्षक	निकासी / जमा	राशि (लाख रुपए में)	
				31.03.2021	31.03.2020
देयताएं					
13.1	विभिन्न जमाकर्ता गैर वर्तमान देयताएं	विभिन्न जमाकर्ता	जमा	16,933.98	16,933.98
14	अन्य वित्तीय देयताएं गैर वर्तमान देयताएं	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	जमा	1,57,709.00	1,57,709.00
आस्तियां					
6	अन्य गैर वर्तमान आस्तियां	डूबे और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	जमा	11,523.97	11,523.97
6	अन्य गैर वर्तमान आस्तियां	डीवीवी के विघटन के पहले की अवधि की बसूली योग्य बिजली बकाया	निकासी	44,653.30	44,653.30
8	अन्य वित्तीय आस्तियां वर्तमान आस्तियां	अग्रिम-अन्य	निकासी	45,393.89	45,718.25
9.2	अन्य वर्तमान आस्तियां	वसूली योग्य अग्रिम	निकासी	8,116.10	8,116.10

(iii)	22.03.2012 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में, बोर्ड ने आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45(1) के तहत कंपनी को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकरण के लिए मंजूरी दी है। रा.रा.क्षे.दि.स. ने कंपनी के एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण के लिए 05.02.2016 को मंजूरी दे दी है, जिसे अस्वीकार कर दिया गया है। परन्तु, कंपनी एनबीएफसी पर लागू प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है।	डीपीसीएल के एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण के मुद्दे पर 27.04.2021 को हुई कंपनी बोर्ड की बैठक में विचार-विमर्श किया गया था और यह निर्णय लिया गया था कि आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 451ए के तहत डीपीसीएल को एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत करने की आवश्यकता के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक से लिखित राय ली जाए। तदनुसार, कंपनी ने अपने पत्र दिनांक 24.12.2021 के माध्यम से इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक की राय मांगी है और उन्हें मामले के सभी तथ्यों से अवगत कराया है ताकि इस मामले में डीपीसीएल को उपयुक्त सलाह/ राय प्रदान की जा सके।
-------	---	---

उपरोक्त के संदर्भ में समायोजन का परिणाम लंबित रहते, एकल इंड एस वित्तीय विवरणों पर वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, तो वह निर्धारण योग्य नहीं है।

ख. वित्तीय वर्ष 2020-21 (समेकित आधार) के लिए कंपनी के लेखा पर वैधानिक लेखाकारों की टिप्पणियों के बारे में प्रबंधन के जवाब।

क्र. सं.	टिप्पणी	प्रबंधन के जवाब
(i)	मान्य मत का आधार कंपनी के मामले में समेकित इंड एस वित्तीय विवरण के लिए कंपनी की टिप्पणी संख्या 5.1, 9.1, 12.1 और 15.1 में दिए गए विवरण के अनुसार कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2013-14 में 3,32,639 लाख रुपए का ब्याज युक्त ऋण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से, डीईएसयू अवधि के सीपीएसयू बकाया के भुगतान के लिए लिया था, इसे 31 मार्च 2014 से दस समान किस्तों में चुकाया जाना था। कंपनी ने 31 मार्च 2021 तक मूलधन और ब्याज के मद में क्रमशः 2,99,375.10 लाख रुपए और 2,27,178.77 लाख रुपए की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है। दूसरी तरफ कंपनी ने 3,32,639 लाख रुपए की राशि को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त गैर वापसी योग्य वित्तीय सहायता माना है। 3,32,639 लाख रुपए की मूल राशि और 31 मार्च 2021 तक 2,27,178.77 लाख रुपए की बकाया ब्याज राशि (पिछले वर्ष 1,95,578.06 लाख रुपए) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से वापसी योग्य दर्शाई गई है, जो दिल्ली सरकार के अनुमोदन पर है। इसी राशि को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को भुगतान योग्य वर्तमान देयता के रूप में भी दर्शाया गया है।	वित्तीय विवरणों की संबंधित टिप्पणियों में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि डीईएसयू अवधि के सीपीएसयू बकाये का भुगतान डीपीसीएल की देयता नहीं है और डीपीसीएल ने दिल्ली विद्युत बोर्ड के विघटन की तिथि पर बोर्ड से यह देयता नहीं ली थी, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के निर्देशों के अनुसार डीईएसयू अवधि के सीपीएसयू बकाये का भुगतान डीपीसीएल ने, दिल्ली सरकार द्वारा विशेष रूप से इसी उद्देश्य से दिए गए ऋण से कर दिया था। दूसरी तरफ जब कंपनी ने डीईएसयू अवधि के सीपीएसयू बकाये को अपनी देयता नहीं माना है, तो दिल्ली सरकार को चुकाये जाने वाले ऋण की 3,32,639 लाख रुपए की राशि, और उस पर 2,27,178.77 लाख (31 मार्च 2021 तक) रुपए की ब्याज राशि, लेखा में निष्प्रभावी कर दी गई थी। इस सदर्थ में कंपनी दिल्ली सरकार के बिजली विभाग से कंपनी के नाम दर्ज ऋण को रद्द कर देने और इस मामले को भारत सरकार के समक्ष रखने का अनुरोध करती आ रही है क्योंकि डीईएसयू अवधि के लिए सीपीएसयू बकाये की देयता भारत सरकार द्वारा पूरी की जानी चाहिए, क्योंकि पूर्व डीईएसयू भारत सरकार के गृह मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार में था। यहां यह गैरतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने यह मामला भारत सरकार के समक्ष उठाया है और उस ऋण को रद्द कर देने का अनुरोध किया है जो दिल्ली सरकार के खिलाफ बकाया दिखाया गया है। इसलिए देयता की प्रकृति को देखते हुए, बताई गई परिस्थितियों में डीपीसीएल के हिसाब-किताब में दर्शाई गई राशि का लेखांकन सही और समुचित है, क्योंकि यह राशि कंपनी द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से वसूली योग्य है।
(ii)	समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियों के अनुसार आस्तियों और देयताओं के तहत पूर्व दिल्ली विद्युत बोर्ड से स्थानांतरित निम्नलिखित राशि 2002 से विभिन्न बिजली विवरणधारेणधुत्पादन कंपनियों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की पुष्टि और समायोजन के अधीन है।	वित्तीय विवरणों की संबंधित टिप्पणियों में स्पष्टीकरण के अनुसार दर्ज विषयवस्तु। आरंभिक शेष का समायोजन डीपीसीएल द्वारा किया जा चुका है। इसके अलावा डीपीसीएल द्वारा किए गए समायोजन की फाइल, परामर्शदाता सीए फर्म की रिपोर्ट के साथ दिल्ली सरकार को, समिति के गठनधसदस्यों के नामांकन के लिए अग्रसरित कर दी गई है। समिति में डीपीसीएल के निदेशक मंडल के निर्णयानुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त और बिजली विभाग के प्रतिनिधि शामिल हैं। समिति से प्राप्त सिफारिशों और निदेशक मंडल के अनुमोदन के बाद आवश्यक समायोजन किया जाएगा।

टिप्पणी संख्या	शीर्षक	उपशीर्षक	निकासी / जमा	राशि (लाख रुपए में)	
				31.3.2021	31.3.2020
देयताएं					
13.1	विभिन्न जमाकर्ता गैर वर्तमान देयताएं	विभिन्न जमाकर्ता	जमा	16,933.98	16,933.98
14	अन्य वित्तीय देयताएं	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	जमा	1,57,708.99	1,57,708.99
	गैर वर्तमान देयताएं	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	जमा	1,57,708.99	1,57,708.99
आस्तियां					
5	अन्य गैर वर्तमान आस्तियां	डूबे और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	जमा	11,523.97	11,523.97
5	अन्य गैर वर्तमान आस्तियां	डीवीवी के विघटन के पहले की अवधि की बसूली योग्य बिजली बकाया	निकासी	44,653.30	44,653.30
8	अन्य वित्तीय आस्तियां वर्तमान आस्तियां	अग्रिम-अन्य	निकासी	45,393.89	45,718.25
9.2	अन्य वर्तमान आस्तियां	वसूली योग्य अग्रिम	निकासी	8,116.10	8,116.10

उपरोक्त के संदर्भ में समायोजन का परिणाम लंबित रहते, एकल इंड एस वित्तीय विवरणों पर वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, तो वह निर्धारण योग्य नहीं है।

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता / -

(सत्य गोपाल)

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

दिनांक: 28.12.2021

स्थान: नई दिल्ली

अनुलग्नक-II

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां—

कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की तैयारी कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत, स्वतंत्र लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित लेखा परीक्षण मानकों के अनुरूप वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। दिनांक 30 नवम्बर 2021 की लेखा परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा यह कार्य किया जा चुका है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक की ओर से दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड की 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का पूरक लेखा परीक्षण, कंपनी अधिनियम की धारा 143 (6) (ए) के तहत किया है। यह पूरक लेखा परीक्षण, वैधानिक लेखा परीक्षक के कार्य दस्तावेजों तक किसी पहुंच के बिना, स्वतंत्र रूप से किया गया है और वैधानिक लेखा परीक्षक तथा कंपनी कर्मियों की पृष्ठताछ तथा कुछ लेखांकन रिकॉर्ड के परीक्षण तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जिसके लिए अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर किसी टिप्पणी या अनुपूरक की आवश्यकता हो।

कृते और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
और की ओर से

हस्ता /—

(समर कांत ठाकुर)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 28.12.2021

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित अधिनियम की धारा 143 (6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां—

कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित, अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत, इन वित्तीय विवरणों पर, स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर, अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत निर्धारित लेखा परीक्षण मानकों के अनुरूप अपना मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। दिनांक 30 नवम्बर 2021 की लेखा परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा यह कार्य किया जा चुका है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक की ओर से दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड के 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का पूरक लेखा परीक्षण, कंपनी अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित अधिनियम की धारा 143 (6) (ए) के तहत किया है। हमने दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की, परन्तु, चार सहयोगी कंपनियों के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा नहीं की, जैसा कि उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अनुलग्नक में कहा गया है। इसके अलावा, सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति और पूरक लेखा परीक्षा संचालन संबंधी अधिनियम की धारा 139(5) और 143(6)(ए) के प्रावधान बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड, बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड, टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, और इंद्रप्रस्थ एनर्जी एंड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी (प्रा) लिमिटेड पर लागू नहीं हैं, क्योंकि ये निजी संस्थान हैं। तदनुसार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने इन कंपनियों के लिए न तो सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की है और न ही उनकी पूरक लेखा-परीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षण, वैधानिक लेखा परीक्षक के कार्य दस्तावेज तक किसी पहुंच के बिना, स्वतंत्र रूप से किया गया है और वैधानिक लेखा परीक्षक तथा कंपनी कर्मियों की पूछताछ तथा कुछ लेखांकन रिकॉर्ड के परीक्षण तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जिसके लिए अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर किसी टिप्पणी या अनुपूरक की आवश्यकता हो।

कृते और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
और की ओर से

हस्ता /—

(समर कांत ठाकुर)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 28.12.2021

अनुलग्नक

दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड की चार सहयोगी कंपनियों के नाम दिखाने वाला विवरण

1. बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड
2. बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड
3. टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड
4. इंद्रप्रस्थ एनर्जी एंड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी (प्रा.) लिमिटेड

फॉर्म संख्या-एमआर-3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

ख्कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी (प्रबंधन कर्मियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) विनियम 2014 के नियम 9 के अनुरूप,

सेवा में,

सदस्य, दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड

शक्ति सदन, कोटला मार्ग

नई दिल्ली- 110002

मैंने दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे कंपनी कहा गया है) द्वारा व्यवहार्य वैधानिक प्रावधानों और उत्तम कॉरपोरेट पद्धतियों के अनुपालन का सचिवीय लेखा परीक्षण किया है। यह सचिवीय लेखा परीक्षण इस तरह संचालित किया गया जिससे कॉरपोरेट पद्धतियों/वैधानिक अनुपालनों के मूल्यांकन और इन पर अपना मत व्यक्त करने का तर्कसंगत आधार उपलब्ध हुआ।

कंपनी की बहियों, कागजातों, बैठकों की विवरण पुस्तिकाओं, फॉर्म और दायर रिटर्न तथा कंपनी द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्ड की पुष्टि के आधार पर तथा कंपनी, इसके अधिकारी, एजेंट और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवलयीय लेखा परीक्षण के दौरान उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर, मैं रिपोर्ट करता हूं कि मेरे मत में और मेरे परिवेक्षण के अनुसार कंपनी ने 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखा परीक्षा अवधि के दौरान वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा कंपनी के पास समुचित बोर्ड प्रक्रियाओं और अनुपालन तंत्र की भी व्यवस्था है।

मैंने 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के बहियों, कागजातों, विवरण पुस्तिकाओं, फॉर्म और भरे गए रिटर्न और कंपनी द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्ड का परीक्षण इन प्रावधानों के अनुसार किया है:

- कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) और इसके तहत निर्मित विनियम।
- प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) अधिनियम 1956 (एससीआरए) और इसके तहत निर्मित नियम- व्यवहार्य नहीं;
- डिपोजिटरीज एक्ट 1956 और इसके तहत निर्मित विनियम और उपविधान
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 और इसके तहत निर्मित नियम-विनियम, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशों में प्रत्यक्ष निवेश और वाह्य वाणिज्यिक उधारी से संबंधित- व्यवहार्य नहीं;
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम)- व्यवहार्य नहीं;
- मैं आगे प्रतिवेदित करता हूं कि प्रबंधन द्वारा पुष्टि के अनुसार कंपनी के लिए कोई अधिनियम विशेष व्यवहार्य नहीं है।

मैंने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी निम्नलिखित सचिवीय मानकों की व्यवहार्य उपधारा से संबंधित अनुपालन का भी परीक्षण किया है:

- निदेशक मंडल की बैठकों के बारे में सचिवीय मानक (एसएस-1); और
- आम बैठकों से संबंधित सचिवीय मानक (एसएस-2).

समीक्षावधि के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित टिप्पणी के सिवाय, उपर्युक्त अधिनियम, नियम, विनियमों, दिशा-निर्देशों, मानकों इत्यादि के प्रावधानों का सामान्य रूप से अनुपालन किया है:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल और लेखा परीक्षा समिति की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के उचित अनुपालन में नहीं थी क्योंकि कंपनी के पास केवल एक स्वतंत्र निदेशक था जबकि आवश्यकता दो की थी।

परन्तु, 17 सितंबर 2021 से गैर-अनुपालन संबंधी यह कमी दूर कर दी गई।

आम तौर पर, सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों का कार्यक्रम तय करने के लिए पर्याप्त नोटिस दिया जाता है, कार्यसूची और कार्यसूची विषयक विस्तृत नोट्स कम से कम सात दिन पहले भेजे गए, और बैठक में बोर्डसमिति सदस्य द्वारा सार्थक भागीदारी के लिए बैठक से पहले उसमें विचारणीय विषयों पर और जानकारी एवं स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-(1)ए के तहत एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है।

मेरी राय है कि उपरोक्त टिप्पणी के सिवाय कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं मौजूद हैं।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, उपरोक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर प्रमुख प्रभाव डालने वाली कोई विशिष्ट घटना/कार्रवाई नहीं हुई।

कृते पी.पी. अग्रवाल एंड कंपनी
कंपनी सचिव

हस्ताक्षर
(प्रमोद प्रसाद अग्रवाल)

प्रोप्राइटर

एफसीएस नं.: 4955, सी.पी.नंबर 10566

पीआरसी नंबर: 124 / 2021

यूडीआईएन: एफ 004955 सी 001880576

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 23.12.2021

यह रिपोर्ट इसी तिथि के हमारे पत्र के साथ पढ़ी जाए जो "अनुलग्नक क" के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न हिस्सा है।

अनुलग्नक क

सेवा में,

सदस्य गण,

दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए इसी तिथि की हमारी सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

प्रबंधन का दायित्व

1. सचिवीय रिकॉर्ड रखना, सभी व्यवहार्य विधानों और विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने की समुचित व्यवस्था करना और यह सुनिश्चित करना कि सभी व्यवस्थाएं पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं, प्रबंधन का दायित्व है।

लेखा परीक्षक का दायित्व

1. हमारी जिम्मेदारी इन सचिवीय रिकॉर्ड, मानकों और सचिवीय अनुपालनों के संदर्भ में कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं पर अपना मत व्यक्त करना है।
2. हमारा विश्वास है कि लेखा परीक्षा प्रमाण और कंपनी प्रबंधन से प्राप्त जानकारी हमारे मत का आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और समुचित हैं। प्रमाणों और जानकारीयों की पुष्टि परीक्षण जांच आधार पर की गई है ताकि सचिवीय रिकॉर्ड्स में सही तथ्य सुनिश्चित किए जा सकें।
3. कोविड-19 महामारी और संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण कार्यस्थल/कार्यालय बंद रहे या कम से कम कर्मचारियों के साथ काम चलाया गया। सरकार द्वारा जारी परामर्श को देखते हुए कंपनी के कार्यालय का दौरा बहुत कम हो सका और इसके कारण सचिवीय रिकॉर्ड की भौतिक प्रतियों की पुष्टि विस्तृत रूप से नहीं हो सकी। हमें उपलब्ध कराए गए सचिवीय रिकॉर्ड/दस्तावेजों की सॉफ्ट प्रतियों पर अधिक निर्भरता रही। जहां आवश्यक हुआ हमने विधानोन्धनियों और विनियमों तथा घटनाक्रमों इत्यादि के बारे में प्रबंधन का वक्तव्य प्राप्त किया।

स्पष्टीकरण

1. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट ने तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के विषय में और न ही प्रबंधन द्वारा कंपनी के कार्यों के संचालन संबंधी प्रभावकारिता के बारे में कोई आश्वासन दिया है।
2. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा बहियों की परिशुद्धता और औचित्य की पुष्टि नहीं की है।

कृते पी.पी. अग्रवाल एंड कंपनी
कंपनी सचिव

हस्ता/-
(प्रमोद पी. अग्रवाल)
प्रोप्राइटर

एफसीएस नं.: 4955, सी.पी.नंबर 10566
पीआरसी नंबर: 429/2016
यूडीआईएन: एफ004955सी0041880576

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 23.12.2021

अनुलग्नक-IV

सचिवीय लेखा परीक्षक के निरीक्षण पर प्रबंधन के जवाब

क्र. सं.	सचिवीय लेखा परीक्षक का प्रेक्षण	प्रबंधन के जवाब
1.	निदेशक मंडल की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के प्रावधानों के अनुपालन में नहीं थी, क्योंकि कंपनी में दो की आवश्यकता के स्थान पर केवल एक स्वतंत्र निदेशक था।	रा. रा. क्षेत्र. दिल्ली सरकार द्वारा बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों के नामांकन का अनुमोदन किए जाने के बाद 17.09.2021 को एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की गई। तदनुसार, बोर्ड और लेखा परीक्षा समिति की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कर दी गई।
2.	कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-ए के तहत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकृत किए जाने की आवश्यकता है।	प्रबंधन का मानना है कि डीपीसीएल स्वयं एनबीएफसी का कोई कार्य नहीं करती है और इसलिए, इसे एनबीएफसी के रूप में वर्गीकृत और पंजीकृत नहीं किया जाना चाहिए। 27.08.2021 को एक वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री संजीव कुमार दुबे से इस मामले में राय प्राप्त की गई है जिसमें उन्होंने विचार व्यक्त किया है कि डीपीसीएल गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) नहीं है और इसलिए इसे आरबीआई के साथ एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है।" इससे पहले दिनांक 22.04.2021 को मेसर्स राजहर गोपाल एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स से भी राय ली गई थी जिसने यह मत व्यक्त किया कि डीपीसीएल गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी के अंतर्गत नहीं आती है इसलिए उसे आरबीआई के साथ पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। अब, दिनांक 24.12.2021 को आरबीआई को एक पत्र जारी कर उसकी राय मांगी गई है कि क्या डीपीसीएल को एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है। यह कदम बोर्ड की पिछली बैठक में बोर्ड द्वारा वांछित अनुसार उठाया गया।

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/-

(सत्य गोपाल)

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

दिनांक: 28.12.2021

स्थान: नई दिल्ली

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधानों और उसके तहत कंपनी द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कंपनी ने सीएसआर समिति का गठन किया है और कंपनी के निदेशक मंडल के अनुमोदन से सीएसआर नीति तैयार की है।

कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति (सीएसआर पॉलिसी) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट इकाई है जो व्यापक स्तर पर समाज के कल्याण और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और लोक हित एवं महत्व के बुनियादी ढांचे में योगदान दे रही है। सीएसआर के संबंध में वैधानिक आवश्यकता का अनुपालन करके, कंपनी अपने लिए सद्भावना अर्जित करने और एक कॉर्पोरेट इकाई के रूप में सकारात्मक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार छवि सुदृढ़ करने में सक्षम होगी।

महत्व वाले क्षेत्र

इससे पहले, कंपनी ने समाज कल्याण के लिए आवश्यक धनराशि का योगदान करके सीएसआर गतिविधियां शुरू करने का निर्णय लिया और इस उद्देश्य के लिए कंपनी ने रा. रा. क्षे. दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग के साथ जुड़ने का निर्णय लिया। परन्तु बाद में, कंपनी ने सीएसआर गतिविधियों के दायरे का विस्तार करके सीएसआर नीति को संशोधित करने का निर्णय लिया। उक्त संशोधित सीएसआर नीति में, निम्नांकित प्रमुख संभावना वाले क्षेत्रों को शामिल किया गया है—

- अत्यधिक भूखमरी और गरीबी का उन्मूलनय शिक्षा को बढ़ावा देना;
- शिक्षा को बढ़ावा देना;
- लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना;
- बाल मृत्यु दर में कमी और मातृ स्वास्थ्य में सुधार;
- ह्यूमन इन्फ़ेक्शियस वायरस (एचआईवी) से उत्पन्न रोग—प्रतिरक्षण की कमी से होने वाली बिमारियों के समूह (एड्स), मलेरिया और अन्य बीमारियों से निपटने के उपाय;
- पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना;
- रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशल;
- प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकारों द्वारा सामाजिक-आर्थिक विकास और राहत के लिए स्थापित किसी अन्य कोष और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के कल्याण संबंधी निधि में योगदानय तथा
- ऐसे अन्य मामले जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित किए जा सकते हैं।

कंपनी ने फैसला किया है कि वह ऐसी सीएसआर गतिविधियों के लिए धन खर्च कर सकती है जो कंपनी अधिनियम, 2013, यथा संशोधित, की **अनुसूची VII** के तहत निर्दिष्ट हैं।

2. सीएसआर समिति की संरचना

समिति में वर्तमान में निम्नलिखित निदेशक सदस्य के रूप में शामिल हैं:

- सुश्री अंजलि राय, स्वतंत्र निदेशक—अध्यक्ष
- श्री अनिल कुमार ओझा, स्वतंत्र निदेशक—सदस्य
- डॉ. संजय कुमार लाल, निदेशक (वित्त)—सदस्य

सीएसआर समिति की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार है। कंपनी का कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

सीएसआर समिति की भूमिका और जिम्मेदारियां में सीएसआर नीति तैयार करना और बोर्ड को उसकी अनुशंसा करना शामिल है। सीएसआर नीति में **अनुसूची VII** में निर्दिष्ट उन गतिविधियों का उल्लेख होगा, जो कंपनी द्वारा आयोजित की जानी हैं। इसके अलावा समिति सीएसआर पर किए जाने वाले व्यय की राशि की सिफारिश करेगी, समय-समय पर कंपनी की सीएसआर नीति पर निगरानी रखेगी, सीएसआर नीति के अनुसरण में एक वार्षिक कार्य योजना तैयार करेगी और उसकी सिफारिश बोर्ड को करेगी। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कोविड-19 महामारी के कारण सीएसआर समिति की कोई बैठक नहीं हो सकी।

3. वेब लिंक:

कंपनी की अपनी कोई वेब साइट नहीं है।

4. कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन का विवरण –लागू नहीं
5. कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसार समायोजन के लिए उपलब्ध राशि का विवरण और वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन के लिए आवश्यक राशि- शून्य
6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कर पूर्व शुद्ध लाभरू

2019-20: रुपये 9240.29 लाख

2018-19: रुपये 7312.30 करोड़

2017-18: रुपये 13997.05 करोड़

औसत शुद्ध लाभ रुपये 10183.21 करोड़

7. (क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का 2% – रुपये 203.66 लाख
- (ख) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष-शून्य
- (ग) वित्तीय वर्ष के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो-शून्य
- (घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क+7ख-7ग)- रुपये 203.66 लाख

8. (क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च या अव्ययित सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची टप्प के तहत निर्दिष्ट किसी निधि को हस्तांतरित राशि		
	राशि	अंतरण की तारीख	निधि का नाम	राशि (रुपये में)	अंतरण की तारीख
शून्य	शून्य	लागू नहीं	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष	2,03,66,000.00	27.09.2021

- क) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण रु शून्य
- ख) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरणरू शून्य
- ग) प्रशासनिक उपरिव्यय में खर्च की गई राशि-शून्य
- घ) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि-लागू नहीं

ड) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (8क8ख8ग8घ)—शून्य

च) समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि— शून्य

9. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरणरू

क्र.सं	पिछले वित्तीय वर्ष में (रुपये में)	धारा 135 (6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी निधि को हस्तांतरित राशि			परवर्ती वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रुपये में)
				निधि का नाम	राशि (रुपये में)	अंतरण की तारीख	
1	2018—19	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	2019—20	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष/वर्षों की जारी परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण: शून्य

10. पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, इस प्रकार बनाई या अर्जित की गई संपत्ति पर सीएसआर के माध्यम से वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए धन से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें— शून्य

11. यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का 2: खर्च करने में विफल रही है, कारण निर्दिष्ट करें—

कंपनी कोविड-19 महामारी के कारण वित्त वर्ष 2020—21 के दौरान सीएसआर व्यय की आवश्यक राशि खर्च करने के लिए किसी भी परियोजना की पहचान नहीं कर सकी।

हस्ताक्षर

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

निदेशक मंडल

हस्ताक्षर

अध्यक्ष

सीएसआर समिति

कॉर्पोरेट अधिशासन रिपोर्ट

कॉर्पोरेट शासन को लेकर कंपनी के सिद्धांतों का लक्ष्य अपने संचालन के सभी क्षेत्रों तथा शेयरधारकों, कर्मचारियों, सरकार और अन्य हितधारकों के साथ संबंधों में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और समानता का सर्वोच्च स्तर प्राप्त करना है।

कंपनी अपने मूल सिद्धांतों को बनाये रखते हुए बिजली क्षेत्र की वैश्विक शक्ति बनने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये अपने संसाधनों, शक्तियों और रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगी।

बोर्ड की संरचना

वर्ष के अंत में कंपनी में तीन निदेशक थे जिनमें एक अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सहित कार्यकारी निदेशक तथा शेष दो मनोनीत और स्वतंत्र निदेशक सहित गैर-कार्यकारी निदेशक थे।

बोर्ड की बैठकें

कंपनी इस ढंग से बोर्ड बैठकों का आयोजन करती है कि दो बैठकों के बीच में 120 दिनों से अधिक का अंतराल न रहे और वर्ष में कम से कम चार बैठकें आयोजित हों।

बोर्ड बैठकों का निर्धारण काफी पहले तय हो जाता है और संबंधित नोटिस पर्याप्त समय रहते भेज दी जाती है। बैठक की कार्य सूची विषयों को स्पष्ट करने वाली टिप्पणियों के साथ काफी पहले निदेशकों को वितरित कर दी जाती है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बोर्ड की 3 बैठकें क्रमशः 24 जून, 2020, 09 सितंबर, 2020 और 30 दिसंबर 2020 को हुईं।

निदेशक मंडल की बैठकों की जानकारी इस प्रकार है:-

वर्ष	निदेशक का नाम और श्रेणी	वर्ष में हुई बोर्ड बैठकों की कुल संख्या	बैठकों में निदेशक की कुल उपस्थिति	उपस्थिति के लिए अपेक्षित बैठकों की संख्या	क्या निदेशकों ने एजीएम में भाग लिया
2020-21	1. कार्यकारी निदेशक	03			
	सुश्री पद्मिनी सिंगला, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक		3	3	हां
	2. गैर-कार्यकारी निदेशक	03			
	श्री रवि दधीच, नामित निदेशक		0	1	लागू नहीं
	श्री जे के जैन, नामित निदेशक		2	2	हां
	श्री अजित केशव रानौडे, स्वतंत्र निदेशक		3	3	हां

*व्यवहार्य नहीं का अर्थ है कि संबंधित व्यक्ति उक्त तिथि पर डीपीसीएल बोर्ड में शामिल नहीं है।

कंपनी के वित्तीय विवरण में संलग्न निदेशक प्रतिवेदन में निदेशक दायित्व ब्योरा शामिल है। वार्षिक वित्तीय विवरणों की तैयारी में व्यवहार्य लेखांकन मानकों का पालन किया गया है। किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन के संबंध में समुचित स्पष्टीकरण भी दिया गया है। कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा किसी धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और रोकथाम के लिये निदेशकों ने कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों और लेखांकन मानकों के अनुपालन का समुचित और पर्याप्त ध्यान रखा है।

लेखा परीक्षण समिति

समिति में निम्नलिखित निदेशक वर्तमान सदस्य हैं:

1. सुश्री अंजलि राय, स्वतंत्र निदेशक
2. श्री अनिल कुमार ओझा, स्वतंत्र निदेशक
3. श्री अजीमुल हक, मनोनीत निदेशक

लेखा परीक्षण समिति का कार्य आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और लेखा परीक्षा कार्यक्षेत्र के बारे में लेखा परीक्षकों से विचार विमर्श के लिये धारा 177 के अनुसार किसी मामले की छानबीन करना, आवधिक और वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना और अनुशंसाओं के साथ बोर्ड को विवरण सौंपना, कंपनी की वित्तीय और जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा तथा धोखाधड़ी और अनियमितताओं पर नजर रखना है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में लेखा परीक्षा समिति की एकमात्र बैठक 30 दिसम्बर, 2020 को हुई।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की बैठक और उसमें सदस्यों की उपस्थिति का ब्योरा नीचे दिया गया है:-

लेखा परीक्षा समिति की बैठकें	उपस्थिति विवरण	
सदस्यों के नाम	अपेक्षित उपस्थिति की बैठकों की संख्या	बैठकों में भागीदारी
श्री अजीत केशव राणाडे	1	1
सुश्री पद्मिनी सिंगला	1	1
श्री जे के जैन	1	1

समिति बोर्ड को सौंपे जाने से पहले वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा करती है। समिति द्वारा सुझायी गयी अनुशंसाओं और उजागर की गयी खामियों को बोर्ड स्वीकार करता है। समिति आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक लेखा परीक्षण प्रणाली की पर्याप्तता की भी समीक्षा करती है। समिति के अध्यक्ष कंपनी की वार्षिक आम बैठक में भाग लेते हैं।

कंपनी के कंपनी-सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

गैर कार्यकारी निदेशकों का पारिश्रमिक

स्वतंत्र निदेशकों सहित गैर कार्यकारी निदेशकों का कंपनी के साथ कोई वित्तीय संबंध या लेनदेन नहीं होता सिवाय इसके कि स्वतंत्र निदेशक को बोर्ड और अन्य समितियों की बैठकों में शामिल होने के लिये शुल्क का भुगतान किया जाता है।

वार्षिक आम बैठक

पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों के स्थान और समय:

वर्ष	वार्षिक आम बैठक	स्थान	तिथि	समय
2019-20	19वीं	कंपनी का सम्मेलन कक्ष, चौथी मंजिल, शक्ति सदन, कोटला मार्ग, नई दिल्ली-110002	30.12.2020	तीसरे पहर 03.30 बजे
	स्थगित 19वीं	कंपनी का सम्मेलन कक्ष, चौथी मंजिल, शक्ति सदन, कोटला मार्ग, नई दिल्ली-110002	25.10.2021	तीसरे पहर 02.30 बजे
2018-19	18वीं	कंपनी का सम्मेलन कक्ष, चौथी मंजिल, शक्ति सदन, कोटला मार्ग, नई दिल्ली-110002	23.12.2019	तीसरे पहर 02.45 बजे

वर्ष	वार्षिक आम बैठक	स्थान	तिथि	समय
2017-18	17वीं	कंपनी का सम्मेलन कक्ष, चौथी मंजिल, शक्ति सदन, कोटला मार्ग, नई दिल्ली-110002	06.12.2018	शाम 5.00 बजे
	स्थगित 17वीं	कंपनी का सम्मेलन कक्ष, चौथी मंजिल, शक्ति सदन, कोटला मार्ग, नई दिल्ली-110002	13.12.2018	शाम 5.00 बजे

2020-21 के लिये वार्षिक आम बैठक

तिथि : 29.12.2021

समय : दिन के 03.30 बजे

स्थान : कंपनी सम्मेलन कक्ष, चौथी मंजिल, शक्ति सदन, कोटला मार्ग, नई दिल्ली-110002

कंपनी एक मुक्त और प्रेरक माहौल उपलब्ध कराती है और उसका मानना है कि कंपनी का विकास उसके मानव संसाधनों के विकास से ही संभव है। कर्मचारियों की जानकारी और कौशल विकास के लिये लगातार प्रशिक्षण कंपनी की कॉरपोरेट रणनीति का हिस्सा बन गया है। प्रबंधन अपने कर्मचारियों को सर्वोच्च पेशेवर क्षमता तक विकसित होने के लिये प्रोत्साहित करता है। कंपनी का सिद्धांत अपने संचालन और सभी हितधारकों के साथ संपर्कों में पारदर्शिता, निष्ठा और समानता का सर्वोच्च स्तर प्राप्त करना है।

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/-

(सत्य गोपाल)

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

दिनांक: 28.12.2021

स्थान: नई दिल्ली

स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट

दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड के सदस्यों के लिए
एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट

अर्हताप्राप्त मत

हमने दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड (कंपनी) की एकल वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च 2021 तक के तुलन पत्रक, लाभ-हानि खाते (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में बदलाव संबंधी विवरण और उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए नकदी-प्रवाह विवरण शामिल है। इसमें एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश भी शामिल है (जिसे यहां बाद में एकल वित्तीय विवरण कहा जाएगा)।

हमारे मत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट में अर्हताप्राप्त मत के आधार में दिये गये विषय के प्रभावों को छोड़कर, ये एकल वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) द्वारा अपेक्षित और धारा 133 के तहत, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015, संशोधित इंड एस, भारत में स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ पठित, निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप, 31 मार्च 2021 को कंपनी की स्थिति तथा इसके लाभ, इक्विटी में बदलाव और इस तिथि पर समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह के बारे में सही और निष्पक्ष जानकारी उपलब्ध कराते हैं।

अर्हताप्राप्त मत का आधार

- एकल इंड एस विवरणों की टिप्पणी संख्या 5.1, 9.1, 12.1 और 15.1 के विवरण के अनुसार कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2013-14 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से, डीईएसयू अवधि के सीपीएसयू बकाया के भुगतान के लिये 3,32,639 लाख रुपये का ब्याज युक्त ऋण लिया था जिसे 31 मार्च 2014 से दस समान किस्तों में चुकाया जाना था। कंपनी ने मूल राशि और 31 मार्च 2021 तक के बकाया ब्याज, क्रमशः 2,99,375.10 और 2,27,178.77 लाख रुपये का भुगतान नहीं किया। दूसरी तरफ कंपनी ने 3,32,639 लाख रुपये की राशि को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त गैर वापसी योग्य वित्तीय सहयोग माना। 3,32,639 लाख रुपये की मूल राशि और 31 मार्च 2021 तक 2,27,178.77 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1,95,578.06 लाख रुपये) का बकाया ब्याज जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से वसूली योग्य दर्शाया गया है, दिल्ली सरकार के अनुमोदन के अधीन है। यही राशि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को भुगतान योग्य वर्तमान देयता के रूप में भी दर्शायी गयी है।
- एकल इंड एस वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में दी गयी विस्तृत जानकारी के अनुसार पूर्व दिल्ली विद्युत बोर्ड से हस्तांतरित आस्तियों और देयताओं के तहत दर्शायी गयी निम्नलिखित राशि 2002 से विभिन्न विद्युत वितरणधारेण ६ उत्पादन कंपनियों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से समायोजन और पुष्टि के अधीन है।

टिप्पणी संख्या	शीर्षक	उप शीर्षक	जमा / निकासी	राशि (लाख रुपये में)	
				31.03.2021	31.03.2020
देयताएं					
13.1	विभिन्न जमाकर्ता— गैर वर्तमान देयताएं	व्यापार प्राप्य	जमा	16,933.98	16,933.98
14	अन्य वित्तीय देयताएं—गैर वर्तमान देयताएं	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	जमा	1,57,709.00	1,57,709.00
आस्तियां					
5	अन्य गैर वर्तमान आस्तियां	खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	जमा	11,523.97	11,523.97
5	अन्य गैर वर्तमान आस्तियां	डीवीबी के विघटन से पहले की अवधि का वसूली योग्य बिजली बकाया	निकासी	44,653.30	44,653.30
8	वर्तमान आस्तियां	अग्रिम — अन्य	निकासी	45,393.89	45,718.25
9.2	अन्य वर्तमान आस्तियां	अग्रिम वसूली योग्य	निकासी	8,116.10	8,116.10

उपरोक्त के संदर्भ में समायोजन का लंबित परिणाम, एकल इंड एस वित्तीय विवरण पर संबंधित वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो तो वह निर्धारण योग्य नहीं है।

हमने अपनी लेखा परीक्षा, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार की है। इन मानकों के तहत हमारे दायित्व, हमारी रिपोर्ट के एकल वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के लिये लेखा परीक्षक के दायित्व खंड में आगे स्पष्ट किये गये हैं। हम इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी नीति संहिता और साथ ही अधिनियम के प्रावधानों और संबंधित नियमों के तहत एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा संबंधी नीतिगत अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं तथा हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारी इन अपेक्षाओं और आईसीएआई की नीति संहिता के अनुरूप पूरी की है। हमारा मानना है कि हमें प्राप्त लेखा परीक्षा संबंधी प्रमाण एकल वित्तीय विवरणों पर हमारे अर्हता प्राप्त मत का आधार उपलब्ध कराने के लिये पर्याप्त और समुचित हैं।

वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अतिरिक्त जानकारी

अन्य जानकारीयों की तैयारी के लिये कंपनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल सूचनाएं आती हैं। उदाहरण के तौर पर प्रबंधकीय विचार विमर्श और विश्लेषण, अनुलग्नक सहित बोर्ड रिपोर्ट, व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट, कॉरपोरेट प्रशासन और शेयर धारकों की जानकारी। लेकिन इसमें एकल वित्तीय विवरण, समेकित वित्तीय विवरण और इन पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारे मत में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम इस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन और निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के संदर्भ में हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारीयों को पढ़ना और ऐसा करते हुए विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या लेखा परीक्षा क्रम में हमें प्राप्त सूचनाओं से बहुत ज्यादा अलग तो नहीं, या कहीं इसमें कोई गलत बयानी तो नहीं।

एकल वित्तीय विवरणों के प्रति कंपनी के प्रबंधन और प्रशासन के लिये प्रभारी लोगों का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, इक्विटी और नकदी प्रवाह में बदलाव की वास्तविक और निष्पक्ष जानकारी देने वाले एकल वित्तीय विवरणों की, इंड एस और भारत में स्वीकार्य अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयारी के संदर्भ में अधिनियम की धारा 134(5) में उल्लिखित विषयों के प्रति उत्तरदायी है। इस दायित्व में कंपनी की आस्तियों की रक्षा तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और रोकथाम, किसी भी गलत बयानी से मुक्त तथा सही और वास्तविक स्थिति की जानकारी देने वाले वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिये समुचित लेखांकन नीतियों के चयन और कार्यान्वयन, तर्कसंगत और दूरदर्शी निर्णय और आकलन तथा लेखांकन रिकॉर्ड्स की परिशुद्धता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तय करने और लागू करने के उद्देश्य से अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव करना भी शामिल है।

एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी में निदेशक मंडल एक चालू कंपनी के रूप में जारी रहने की कंपनी की क्षमताओं के आकलन, व्यवहार्यता अनुरूप चालू कंपनी से संबंधित मुद्दों के स्पष्टीकरण और लेखांकन के लिये जारी आधार का उपयोग करने के लिये उत्तरदायी है जब तक कि निदेशक मंडल अन्य कोई विकल्प नहीं होने पर कंपनी को लिक्विडेट करना या संचालन बंद करना न चाहता हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के निरीक्षण के लिये भी उत्तरदायी है।

एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिये लेखा परीक्षक के दायित्व

हमारा उद्देश्य है – तर्कसंगत आश्वस्ति प्राप्त करना कि एकल वित्तीय विवरण समग्र रूप से किसी बड़ी गलतबयानी से, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हुई हो या त्रुटि के कारण, मुक्त हो और लेखा परीक्षक रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारा मत शामिल हो। तर्कसंगत आश्वस्ति एक उच्च स्तर का आश्वासन है लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एसए के अनुरूप किया गया लेखा परीक्षण हमेशा किसी बड़ी गलत बयानी का पता लगा ही लेगा। गलतबयानी या तो धोखाधड़ी के कारण हो सकती है या त्रुटि के कारण और यह तभी महत्वपूर्ण मानी जाती है अगर इनसे व्यक्तिगत या समग्र रूप से, इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर लिये जाने वाले उपयोगकर्ताओं के आर्थिक फैसलों पर असर पड़ने की तर्कसंगत आशंका हो।

एसए के अनुरूप लेखा परीक्षण के हिस्से के रूप में हम पूरी लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर निर्णय लेते हैं और पेशेगत संशयात्मकता बनाये रखते हैं। हम यह दायित्व भी निभाते हैं:

- एकल वित्तीय विवरणों की बड़ी गलतबयानियों के जोखिम की पहचान और आकलन करते हैं, चाहे यह धोखाधड़ी की वजह से हुई हों या किसी त्रुटि की वजह से। इन जोखिमों के अनुकूल लेखा प्रक्रियाएं तय करते हैं और निष्पादित करते हैं और ऐसा लेखा प्रमाण प्राप्त करते हैं जो हमारे मत का आधार उपलब्ध कराने के लिये पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के कारण की गयी गलतबयानी का पता नहीं लग पाने का जोखिम, त्रुटि के कारण होने वाली गलतबयानी की तुलना में अधिक होता है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गयी चूक, भ्रामक उल्लेख या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल होती है।
- लेखा परीक्षा के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करना ताकि परिस्थितियों के अनुसार समुचित लेखा प्रक्रियाएं तय की जा सकें। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत हम इस बात पर भी अपना मत व्यक्त करने के लिये उत्तरदायी हैं कि कंपनी में समुचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली लागू है या नहीं और इन नियंत्रणों की संचालनगत प्रभावकारिता क्या है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता, लेखांकन आकलनों की तर्कसंगतता और प्रबंधन द्वारा किये गये संबंधित स्पष्टीकरणों का मूल्यांकन करना।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के चालू आधार उपयोग की उपयुक्तता के बारे में तथा प्राप्त लेखा प्रमाणों के आधार पर यह निर्णय लेना कि क्या कोई ऐसी अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी के चालू रह पाने की क्षमता पर संदेह उत्पन्न करती हो। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई बड़ी अनिश्चितता मौजूद है तो हमें एकल वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में संबंधित स्पष्टीकरणों पर ध्यान दिलाना होता है, या यदि ऐसे स्पष्टीकरण अपर्याप्त हैं तो हमें अपना मत संशोधित करना होता है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखा प्रमाणों पर आधारित होते हैं। परंतु भविष्य की घटनाएं और स्थितियां कंपनी के चालू रहने पर असर डाल सकती हैं और इसका परिचालन बंद हो सकता है।
- समग्र प्रस्तुति, एकल वित्तीय विवरणों की रूपरेखा और विषयवस्तु, स्पष्टीकरणों सहित का मूल्यांकन करना और यह देखना कि क्या एकल वित्तीय विवरणों में लेन-देन और घटनाक्रमों का ब्यौरा इस प्रकार दिया गया है या नहीं जो प्रस्तुति को निष्पक्ष बनाता हो।

एकल वित्तीय विवरणियों में गलत बयानी के प्रभाव का आकलन करना महत्वपूर्ण है, जो व्यक्तिगत या समग्र रूप से यह निश्चित करता हो कि इन विवरणों का उपयोग करने वालों के आर्थिक फैसलों पर असर पड़ सकता है। हम निम्नलिखित में मात्रात्मक और गुणात्मक कारणों पर विचार करते हैं।

- (i) अपने लेखांकन कार्य के दायरे को तय करने और कार्यों के परिणामों का मूल्यांकन करने में और
- (ii) एकल वित्तीय विवरणों में किसी चिन्हित गलत बयानी के असर का आकलन करने में।

हम अन्य बातों के अलावा लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखा निष्कर्षों के बारे में उन लोगों से संपर्क करते हैं जिन्हें प्रशासन का प्रभार दिया गया है। आंतरिक नियंत्रण में उन बड़ी खामियों के बारे में भी संपर्क किया जाता है जिन्हें लेखा परीक्षा के दौरान हमने चिन्हित किया है।

हम संबंधित प्रशासन प्रभारियों को विवरण भी उपलब्ध कराते हैं जिसे हमने निष्पक्षता संबंधी नैतिक अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार किया है। प्रभारियों को उन सारे संबंधों और विषयों के बारे में भी बताया जाता है जिनका असर हमारी स्वतंत्रता और संबंधित सुरक्षा नियंत्रणों पर पड़ सकता है।

प्रशासन प्रभारियों तक संप्रेषित मुद्दों में से हम उन विषयों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरणियों के लेखा परीक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं और जिन्हें प्रमुख लेखा परीक्षा विषय माना जा सकता है। हम लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इन मुद्दों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियम इसके सार्वजनिक खुलासे को प्रतिबंधित न करता हो या जब अत्यधिक विरल परिस्थितियों में हम निश्चित करते हैं कि ये विषय रिपोर्ट में नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने का प्रतिकूल प्रभाव सार्वजनिक हित पर पड़ सकता है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम की धारा 143, उपधारा (11) के संदर्भ में जारी कंपनी (लेखा परीक्षा रिपोर्ट) आदेश 2016 (आदेश) की अपेक्षानुसार हमने अनुलग्नक 'I' में आदेश के पैरा 3 और 4 में निर्दिष्ट विषयों पर, जहां तक व्यवहार्य हो, विवरण दिया है।

2. भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक ने, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उपधारा 5 के संदर्भ में परीक्षित किए जाने वाले क्षेत्रों के बारे में निर्देश जारी किया है, जिसका अनुपालन अनुलग्नक-III में दिया गया है।
3. अधिनियम की धारा 143 (3) की अपेक्षानुसार, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - (क) हमने वे सभी जानकारियां और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षण के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।
 - (ख) उपर्युक्त अर्हता प्राप्त मत के आधार में दिए गए विषय के प्रभावों को छोड़कर, हमारे मत में अधिनियम द्वारा अपेक्षित लेखा बहियों का समुचित रख-रखाव कंपनी द्वारा किया गया है, जैसा कि इन बहियों के परीक्षण से प्रतीत होता है।
 - (ग) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलनपत्रक, लाभ-हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में बदलाव संबंधी विवरण और नकदी प्रवाह विवरण लेखाबहियों के अनुरूप हैं।
 - (घ) उपर्युक्त अर्हता प्राप्त मत के लिए आधार पैराग्राफ में दिए गए विषय के प्रभावों को छोड़कर, हमारे मत में ये एकल वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133, कंपनी (लेखा) विनियम 2014 के नियम 7 के साथ पठित, के तहत निर्दिष्ट इंड एएस के अनुरूप हैं।
 - (ङ) निर्देशकों से 31 मार्च 2021 को प्राप्त और निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड में रखे गए लिखित बयान के आधार पर कोई भी निदेशक 31 मार्च 2021 को अधिनियम की धारा 164 (2) के संदर्भ में एक निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य नहीं था।
 - (च) लेखा विवरणों के रख-रखाव और संबंधित योग्यता का ब्यौरा उपर्युक्त अर्हता प्राप्त मत के आधार पैराग्राफ में दिया गया है।
 - (छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और इन नियंत्रणों की संचालनगत प्रभावकारिता के संदर्भ में अनुलग्नक-II में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें।
 - (ज) अधिनियम की अपेक्षा के अनुसार लेखा परीक्षण रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संदर्भ में—
हमारे मत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्ष, के दौरान अपने निदेशकों को कंपनी द्वारा भुगतान किया गया पारिश्रमिक अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों के अनुरूप है।
 - (प) कंपनी (लेखा और लेखा परीक्षक) विनियम 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षण रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के बारे में हमारे मत और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें उपलब्ध कराये गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:
 - i. कंपनी ने अपने एकल वित्तीय विवरण में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मामलों का प्रभाव स्पष्ट किया है— एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 26 देखें
 - ii. कंपनी के पास किसी डेरिवेटिव अनुबंध सहित कोई भी दीर्घावधि अनुबंध नहीं है, जिसे लेकर किसी बड़ी हानि का पूर्वानुमान रहा हो।
 - iii. कंपनी निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष में अंतरित की जाने वाली राशि जमा करने में आमतौर पर नियमित रही है।

कृते बी आर माहेश्वरी एंड कंपनी एलएलपी

सनदी लेखाकार

कंपनी पंजीकरण संख्या— 001035एन/एन500050

हस्ता/—

संजय नाथ

साझेदार

सदस्यता संख्या—082700

यूडीआईएन: 21082700एएएसीडीएक्स7662

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 30.11.2021

स्वतंत्र लेखा-परीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक 'I'

(‘अन्य विधिक और नियामक अपेक्षा रिपोर्ट’ शीर्षक के तहत इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ I में उल्लिखित)

- 1) कम्पनी की आवधिक जमा आस्तियों के संदर्भ में:
 - (क) कम्पनी ने सावधि जमा आस्तियों के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूरी जानकारी उपलब्ध कराते हुए समुचित रिकॉर्ड का प्रबंधन किया है।
 - (ख) जैसा कि हमें बताया गया, सावधि जमा आस्तियों का सत्यापन प्रबंधन द्वारा किया गया, जो हमारे मत में कम्पनी के आकार तथा इसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति को देखते हुए तर्कसंगत है। इनकी पुष्टि में कोई बड़ी अनियमितता नहीं पाई गई।
 - (ग) लेखा परीक्षा प्रक्रिया के आधार पर और कम्पनी के रिकॉर्ड के अनुसार कम्पनी के पास कोई भी अचल परिसंपत्ति नहीं है।
- 2) आदेश के पैराग्राफ (II) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते, क्योंकि कम्पनी के पास कोई स्टॉक नहीं है।
- 3) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के अनुसार, कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अधिनियम की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कम्पनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पार्टियों को सुरक्षित या असुरक्षित कोई ऋण नहीं दिया है, और तदनुसार आदेश के पैरा (iii) के खंड (क), (ख) और (ग) लागू नहीं हैं।
- 4) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के अनुसार, कम्पनी ने ऋण, निवेश, गारंटी और प्रतिभूति के संदर्भ में अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।
- 5) हमारे मत में और हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम की धारा 73 से 76 या किसी अन्य संबंधित प्रावधानों के अर्थ में सार्वजनिक तौर पर कोई भी जमा स्वीकार नहीं किया है।
- 6) जैसा कि हमें बताया गया कम्पनी की संचालित गतिविधियों के संदर्भ में अधिनियम की धारा 148(1) के तहत लागत रिकॉर्ड का प्रबंधन केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट नहीं किया गया है।
- 7) (क) हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी समुचित प्राधिकरणों के पास भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, वस्तु और सेवाकर, सीमा शुल्क, उपकर और अन्य महत्वपूर्ण वैधानिक व्यवहार्य बकाया सहित अविवादित वैधानिक बकायों को जमा कराने में नियमित रही है। हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च 2021 को उपर्युक्त बकायों के संदर्भ में, भुगतान योग्य होने की तिथि से 6 महीने से अधिक अवधि की कोई भी अविवादित राशि भुगतान योग्य और बकाया नहीं थी।
- (ख) हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी द्वारा जमा नहीं कराये गए आयकर की विवादित राशि का ब्यौरा इस प्रकार है—

वैधानिक कर का नाम	बकाया की प्रकृति	विवादित राशि (करोड़ रुपए में)	अवधि, जिससे राशि संबंधित है (आकलन वर्ष)	फोरम जहां विवाद लंबित है
आयकर अधिनियम	आयकर	शून्य	शून्य	—

- 8) हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को ऋण का पुनर्भुगतान नहीं किया है, ब्यौरा इस प्रकार है—

ऋणदाता का नाम	तुलनपत्रक तिथि पर जमा नहीं कराई गई किस्तों की राशि	तुलनपत्रक तिथि पर जमा नहीं कराये गए ब्याज की राशि	चूक की अवधि
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	2,99,375.10	2,27,178.77	31 मार्च 2021

- 9) संचालित लेखा प्रक्रिया और प्रबंधन द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर कम्पनी ने ऋण पत्रों और सावधि ऋण सहित किसी भी आईपीओ या भविष्य के सार्वजनिक निर्गम द्वारा धन एकत्र नहीं किया है। इसलिए आदेश के अनुच्छेद 3(ix) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते और इसीलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

- 10) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास तथा हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कोई भी जालसाजी या कंपनी द्वारा धोखाधड़ी नहीं पाई गई।
- 11) हमारे मत में अधिनियम की धारा 197, अनुच्छेद V के साथ पठित, के प्रावधानों द्वारा अधिदेशित आवश्यक अनुमोदन के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान कर दिया गया या उपलब्ध करा दिया गया।
- 12) हमारे मत में कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। इसलिए आदेश के अनुच्छेद 3 (XII) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।
- 13) हमारे मत में, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेन-देन, जहां भी व्यवहार्य हों, अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में है। व्यवहार्य लेखांकन मानकों के अनुसार संबंधित विवरण एकल वित्तीय विवरणों में दे दिया गया है।
- 14) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्राथमिकता के आधार पर आवंटन या शेयरों का निजी आवंटन या पूर्ण या आंशिक परिवर्तनीय डिबेंचर का आवंटन नहीं किया है इसलिए आदेश के अनुच्छेद 3 (XIV) के तहत रिपोर्टिंग व्यवहार्य नहीं है।
- 15) हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के वित्तीय विवरणों के समग्र परीक्षण के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने निदेशकों या उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ कोई गैर नकदी लेन-देन नहीं किया है।
- 16) 22 मार्च 2012 को हुई निदेशक मंडल की बैठक में बोर्ड ने आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45(I) के तहत एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में कंपनी का पंजीकरण अनुमोदित कर दिया था राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने एनबीएफसी के रूप में कंपनी के पंजीकरण के लिए 05.02.2016 को अनुमोदन दिया जो प्रक्रियाधीन है। हालांकि पंजीकरण लंबित होने के कारण कंपनी एनबीएफसी के लिए व्यवहार्य प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है।

कृते बी आर माहेश्वरी एंड कंपनी एलएलपी

सनदी लेखाकार

कंपनी पंजीकरण संख्या— 001035एन/एन500050

हस्ता/—

संजय नाथ

साझेदार

सदस्यता संख्या—082700

यूडीआईएन: 21082700एएएसीडीएक्स7662

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 30.11.2021

स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक-II

(अन्य विधिक और नियामक अपेक्षा रिपोर्ट' शीर्षक के तहत इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ 2 (जी) में उल्लिखित)

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (प) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड (कंपनी) के एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के साथ, 31 मार्च 2021 की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का दायित्व

कंपनी का प्रबंधन कंपनी द्वारा, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा से संबंधित मार्गदर्शक टिप्पणी में उल्लिखित आवश्यक आंतरिक नियंत्रण घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के प्रबंधन और कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त और समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तय करना, लागू करना और प्रबंधन शामिल हैं, जो व्यवसाय के सुचारु और कुशल संचालन के लिए आवश्यक हैं। कंपनी की नीतियों के अनुपालन, परिसंपत्तियों की रक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की स्टीकता और संपूर्णता तथा कंपनी अधिनियम 2013 के तहत अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समयबद्ध तैयारी भी इन जिम्मेदारियों में शामिल है।

लेखा परीक्षक का दायित्व

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में अपना मत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखा परीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण से संबंधित मार्गदर्शक टिप्पणी और इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी तथा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार संपन्न की है, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए व्यवहार्य सीमा तक। ये दोनों मार्गदर्शक सिद्धांत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के लिए व्यवहार्य हैं और दोनों इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी हैं। इन मानकों और मार्गदर्शक टिप्पणी की अपेक्षा है कि हम नैतिक अपेक्षाओं और योजनाओं का अनुपालन करें और इस बारे में तर्क संगत आश्वस्त प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षण करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित थे और कार्यान्वित किए गए थे और क्या यह नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण संदर्भों में कारगर ढंग से संचालित किए गए।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता और इसकी संचालनगत प्रभावकारिता के बारे में लेखा प्रमाण प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना, किसी बड़ी खामी को लेकर जोखिम का आकलन करना तथा इस आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और प्रभावकारिता का मूल्यांकन और परीक्षण करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं एकल वित्तीय विवरणों में किसी धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुई बड़ी गलत बयानी के जोखिमों के आकलन सहित लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं।

हमारा मानना है कि हमें प्राप्त लेखा प्रमाण कंपनी की वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के बारे में हमारे लेखा परीक्षा मत का आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और समुचित हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में तर्कसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने और सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप बाह्य उद्देश्यों के लिए एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए निर्धारित की गई है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) प्रबंधन रिकॉर्ड से संबंधित हों यानि कंपनी की आस्तियों की लेनदेन और निपटान के बारे में स्टीक और निष्पक्ष जानकारी उपलब्ध कराती होय (2) यह तर्कसंगत आश्वासन उपलब्ध कराती हो कि लेनदेन सामान्य

रूप से स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी की आवश्यकतानुसार रिकॉर्ड किए गए हैं और यह भी कि कंपनी की प्राप्तियां और व्यय कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों की अधिकृत अनुमति के अनुसार किए गए हैं; (3) कंपनी की आस्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान, जिसका एकल वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण असर पड़ सकता है की रोकथाम या समय पर पता लगाने से संबंधित तर्कसंगत आश्वासन उपलब्ध कराना।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की सीमाएं

किसी मिलीभगत की संभावना या नियंत्रण को लेकर अनुपयुक्त प्रबंधन सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की सीमाओं के कारण हुई त्रुटि या धोखाधड़ी की वजह से बड़ी गलत बयानी होने की आशंका रहती है। इसके अलावा भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के आकलन का अनुमान भी जोखिम के अधीन है। क्योंकि परिस्थितियों में बदलाव या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन में कमी के कारण आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त साबित हो सकता है।

मत

हमारे मत में कंपनी के पास, सभी प्रमुख संदर्भों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडियासे जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा से संबंधित मार्गदर्शक टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित रिपोर्टिंग मानकों के अनुरूप 31 मार्च 2021 तक प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे।

कृते बी आर माहेश्वरी एंड कंपनी एलएलपी

सनदी लेखाकार

कंपनी पंजीकरण संख्या— 001035एन/एन500050

हस्ता/—

संजय नाथ

साझेदार

सदस्यता संख्या—082700

यूडीआईएन: 21082700एएएसीडीएक्स7662

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 30.11.2021

स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध 'III'

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) में वर्णित निर्देशों के अंतर्गत दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड के वर्ष 2020-21 के वार्षिक खातों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट।

- I. क्या कंपनी ने आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की व्यवस्था की है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन की प्रोसेसिंग के वित्तीय प्रभावों के साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, की जानकारी दें।
आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास एक उचित प्रणाली है। हमें आईटी प्रणाली के बाहर संसाधित किए गए किसी भी लेखांकन लेनदेन का पता नहीं चला है।
- II. क्या ऋण चुकाने में कंपनी की असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दी गई उधारी/ऋण/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने के मामले में मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव बताया जा सकता है।
कंपनी अपने सभी ऋणों का भुगतान करने में पूरी तरह सक्षम है, इसलिए किसी ऋणदाता द्वारा किसी उधारी/ऋण/ब्याज आदि का पुनर्गठन या माफी/बट्टे खाते में नहीं डाला गया है।
- III. क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त प्राप्त होने वाली निधियों का नियम और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।
केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से प्राप्त निधियों का लेखा-जोखा रखा गया था और उन नियमों और शर्तों के अनुसार उपयोग किया गया था जिनके लिए धन प्राप्त किया गया था।

कृते बी आर माहेश्वरी एंड कंपनी एलएलपी

सनदी लेखाकार

कंपनी पंजीकरण संख्या- 001035एन/एन500050

हस्ता/-

संजय नाथ

साझेदार

सदस्यता संख्या-082700

यूडीआईएन: 21082700एएसीडीएक्स7662

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 30.11.2021

दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का उपक्रम

सीआईएन: यू40103डीएल2001एसजीसी111528

31 मार्च 2021 को एकल तुलन पत्रक

(लाख रुपये में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
आस्तियां			
1 गैर वर्तमान आस्तियां			
क) संपत्ति, संयंत्र, उपकरण			
ख) अमूर्त आस्तियां	2	5.62	5.68
	3	0.03	0.03
ग) वित्तीय आस्तियां			
i) इक्विटी शेयर में निवेश	4	1,64,158.00	1,32,674.80
ii) अन्य वित्तीय आस्तियां	4क	3,508.17	-
घ) अन्य गैर-वित्तीय आस्तियां	5	66,393.23	99,657.13
ङ) साख		2,34,065.05	2,32,337.64
2 वर्तमान आस्तियां			
(क) वित्तीय आस्तियां			
(i) नकदी और नकदी समतुल्य	6	165.84	3,511.07
(ii) बैंक शेष और जमा	7	1,30,207.93	1,18,132.87
(iii) अन्य वित्तीय आस्तियां	8	48,799.37	50,525.00
(ख) अन्य वर्तमान आस्तियां	9	5,35,724.60	4,70,860.68
(ग) वर्तमान कर वापसी योग्य	9क	39.39	-
		7,14,937.13	6,43,029.62
कुल परिसंपत्तियां		9,49,002.18	8,75,367.26
इक्विटी और देयताएं			
1 इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	10	74,505.00	74,505.00
(ख) अन्य इक्विटी	11	1,39,824.15	97,937.69
		2,14,329.15	1,72,442.69
2 देयताएं			
गैर वर्तमान देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	12	33,263.90	66,527.80
(ii) व्यापार देयताएं			
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को	13	-	-
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से अलग अन्य को	13	16,933.98	16,933.98
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	14	1,57,709.00	1,57,709.00
		2,07,906.88	2,41,170.78
वर्तमान देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) अन्य वित्तीय देयताएं	15	5,26,553.87	4,61,689.26
(ii) व्यापार देयताएं			
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को	16	2.70	2.38
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से अलग अन्य को	16	-	-
(ख) अन्य वर्तमान देयताएं	17	5.92	6.93
(ग) प्रावधान	18	203.66	-
(घ) वर्तमान कर देयता	18	-	55.22
		5,26,766.15	4,61,753.79
कुल इक्विटी और देयताएं		9,49,002.18	8,75,367.26

संलग्न टिप्पणियां 1 से 40, इन वित्तीय विवरणियों का अभिन्न हिस्सा हैं। टिप्पणी संख्या 1 इंड एस और कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की अपेक्षानुसार जानकारी उपलब्ध कराती है।

समान तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते बी आर माहेश्वरी एंड कंपनी एलएलपी

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या 001035 एन/एन 500050

हस्ता/-

सीए संजय नाथ

साझेदार

सदस्यता संख्या 082700

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 30.11.2021

हस्ता/-

(हरशंदर सिंह)

उप महाप्रबंधक वित्त

हस्ता/-

(पलक जैन)

कंपनी सचिव

हस्ता/-

(संजय कुमार लाल)

निदेशक (वित्त)

डीन: 09320148

हस्ता/-

(सत्य गोपाल)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीन: 08144273

दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का उपक्रम

सीआईएन: यू40103डीएल2001एसजीसी111528

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिये एकल लाभ और हानि विवरण

(लाख रुपये में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिये
आय			
I संचालन से राजस्व	21	-	-
II अन्य आय	22	16,761.08	14,399.94
III कुल आय (I+II)		16,761.08	14,399.94
IV व्यय			
(क) कर्मचारी लाभ व्यय	23	324.45	217.43
(ख) ह्रास	2 & 3	1.86	1.07
(ग) अन्य व्यय	24	267.84	72.51
कुल व्यय (IV)		594.15	291.01
V कर पूर्व लाभ / (हानि) (III-IV)		16,166.93	14,108.93
VI कर व्यय			
(क) वर्तमान कर		2,202.47	1,422.27
(ख) आस्थगित कर			
VII कर बाद लाभ / (हानि) (V-VI)		13,964.46	12,686.66
VIII अन्य व्यापक आय			
ए. (i) लाभ-हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किये जाने वाले मद		27,922.00	-
(ii) लाभ-हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किये जाने वाले मदों से संबंधित आयकर		-	-
बी (i) लाभ-हानि में पुनर्वर्गीकृत किये जाने वाले मद		-	-
(ii) लाभ-हानि में पुनर्वर्गीकृत किये जाने वाले मदों से संबंधित आयकर		-	-
		27,922.00	-
IX अवधि के लिये कुल व्यापक आय (VII+VIII) (लाभ हानि) शामिल		41,886.46	12,686.66
प्रति इक्विटी शेयर आय			
प्राथमिक (मूल्य प्रत्येक 10 रुपये)	25	5.62	1.70
तनुकृत (प्रत्येक 10 रुपये मूल्य का)	25	5.62	1.70

संलग्न टिप्पणियां 1 से 40, इन वित्तीय विवरणियों का अभिन्न हिस्सा हैं। टिप्पणी संख्या 1 इंड एस और कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की अपेक्षानुसार जानकारी उपलब्ध कराती है।

समान तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते बी आर माहेश्वरी एंड कंपनी एलएलपी

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या 001035 एन/एन 500050

हस्ता/-

सीए संजय नाथ

साझेदार

सदस्यता संख्या 082700

हस्ता/-

(हरशंदर सिंह)

उप महाप्रबंधक वित्त

हस्ता/-

(पलक जैन)

कंपनी सचिव

हस्ता/-

(संजय कुमार लाल)

निदेशक (वित्त)

डीन: 09320148

हस्ता/-

(सत्य गोपाल)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीन: 08144273

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 30.11.2021

दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का उपक्रम

सीआईएन: यू40103डीएल2001एसजीसी111528

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिये एकल नकदी प्रवाह विवरण

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिये
क. संचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व कुल व्यापक आय	16,166.93	14,108.93
निम्न के लिये समायोजन:		
ह्रास	1.86	1.07
बैंको के पास सावधि जमा से ब्याज आय	(6,708.36)	(8,373.30)
सहयोगी कंपनियों में निवेश पर क्षति हानि की वापसी	(3,561.20)	(1,109.20)
लामांश आय	(6,491.52)	(4,868.64)
देयताओं और आस्तियों में समायोजन से पहले संचालन गत आय	(592.29)	(241.14)
अन्य वित्तीय आस्तियों (वर्तमान आस्तियों) में कमी/(वृद्धि)	325.04	3,239.72
वर्तमान देयताओं में वृद्धि/(कमी)	(0.68)	(11.78)
अन्य वित्तीय देयताओं में वृद्धि/(कमी)	-	(129.93)
वर्तमान कर देयता में वृद्धि/(कमी)	(55.22)	(23.81)
प्रावधानों में कमीध्वृद्धि	203.66	-
	472.80	3,074.20
आयकर भुगतान योग्य	-	(55.22)
भुगतान किया गया अग्रिम कर	(2,241.86)	(1,367.06)
परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ए)	(2,361.35)	1,410.78
बी. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
मोचन योग्य 12 प्रतिशत संवर्धी वरीयता शेयरों का विमोचन	-	-
परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर पूंजी व्यय	(1.80)	(1.43)
बैंकों में सावधि जमा से ब्याज आय	8,109.63	6,727.88
लामांश आय	6,491.52	4,868.64
सावधि जमा नकदीकृत और निवेशित	(12,075.06)	(35,235.49)
अन्य गैर-वर्तमान आस्तियों में कमी	(3,508.17)	-
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ख)	(983.88)	(23,640.40)
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
वर्ष के दौरान चुकाया गया ऋण	-	-
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ग)	-	-
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)	(3,345.23)	(22,229.62)
वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य	3,511.07	25,740.69
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य	165.84	3,511.07
तुलन पत्रक के साथ नकदी और नकदी समतुल्य का मिलान		
तुलन पत्रक के अनुसार नकदी और नकदी समतुल्य	165.84	3,511.07
नकदी और नकदी समतुल्य के घटक		
बैंको में जमा शेष		
(i) चालू खाता	16.79	9.84
(ii) बैंको में सावधि जमा	149.05	3,501.23
कुल नकदी और नकदी समतुल्य	165.84	3,511.07

संलग्न टिप्पणियां 1 से 40, इन वित्तीय विवरणियों का अभिन्न हिस्सा हैं। टिप्पणी संख्या 1 इंड एसएस और कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की अपेक्षानुसार जानकारी उपलब्ध कराती है।

समान तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते बी आर माहेश्वरी एंड कंपनी एलएलपी

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या 001035 एन/एन 500050

हस्ता/-

सीए संजय नाथ

साझेदार

सदस्यता संख्या 082700

हस्ता/-

(हरशिनंदर सिंह)

उप महाप्रबंधक वित्त

हस्ता/-

(पलक जैन)

कंपनी सचिव

हस्ता/-

(संजय कुमार लाल)

निदेशक (वित्त)

डीन: 09320148

हस्ता/-

(सत्य गोपाल)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीन: 08144273

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 30.11.2021

दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिये इक्विटी में एकल बदलाव का विवरण
क. इक्विटी शेयर पूंजी
(लाख रुपये में)

रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति यानी 31.03.2020 को शेष	वर्ष 2020-2021 के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में बदलाव	रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति यानी 31.03.2021 को शेष
74,505.00	-	74,505.00

ख. अन्य इक्विटी
(लाख रुपये में)

विवरण	रिजर्व और अधिशेष (2019-20)		कुल
	पूंजी रिजर्व	प्रतिधारित आय	
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत यानी 1 अप्रैल 2019 को शेष	2,07,969.69	(1,22,718.66)	85,251.03
वर्ष के लिये लाभ (क)	-	12,686.66	12,686.66
अन्य व्यापक आय (ख)	-	-	-
वर्ष के लिये कुल व्यापक आय (क+ख)	-	12,686.66	12,686.66
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में यानी 31 मार्च 2020 को शेष	2,07,969.69	(1,10,032.00)	97,937.69

(लाख रुपये में)

विवरण	रिजर्व और अधिशेष (2020-21)		कुल
	पूंजी रिजर्व	प्रतिधारित आय	
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत यानी 1 अप्रैल 2020 को शेष	2,07,969.69	(1,10,032.00)	97,937.69
वर्ष के लिये लाभ (क)	-	13,964.46	13,964.46
अन्य व्यापक आय (ख)	-	27,922.00	-
वर्ष के लिये कुल व्यापक आय (क+ख)	-	41,886.46	41,886.46
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में यानी 31 मार्च 2021 को शेष	2,07,969.69	(68,145.54)	1,39,824.15

संलग्न टिप्पणियां 1 से 40, इन वित्तीय विवरणियों का अभिन्न हिस्सा हैं। टिप्पणी संख्या 1 इंड एस और कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की अपेक्षानुसार जानकारी उपलब्ध कराती है।

समान तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते बी आर माहेश्वरी एंड कंपनी एलएलपी

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या 001035 एन/एन 500050

हस्ता/-

सीए संजय नाथ

साझेदार

सदस्यता संख्या 082700

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 30.11.2021

हस्ता/-

(हरशिंदर सिंह)

उप महाप्रबंधक वित्त

हस्ता/-

(पलक जैन)

कंपनी सचिव

हस्ता/-

(संजय कुमार लाल)

निदेशक (वित्त)

डीन: 09320148

हस्ता/-

(सत्य गोपाल)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीन: 08144273

दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड

टिप्पणी-1

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों में शामिल टिप्पणियां।

क. कंपनी संबंधी जानकारी

- (i) दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड (कंपनी) भारत में स्थित और शेयरों से संचालित कंपनी है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता है— 'शक्तिसदन, कोटला मार्ग नई दिल्ली, 110002' कंपनी दिल्ली विद्युत बोर्ड की उत्तराधिकारी कंपनी के रूप में शुरू की गई थी।
- (ii) दिल्ली बिजली सुधार अधिनियम 2020 की धारा 60, धारा 15 और 16 के साथ पठित, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिल्ली बिजली सुधार (हस्तांतरण योजना) विनियम 2001 बनाया और दिनांक 20.11.2001 की अधिसूचना संख्या एफ.11(99)2001-पावर/2867 द्वारा जारी किया। इसके तहत दिल्ली विद्युत बोर्ड (डीवीबी) की आस्तियों, कार्यवाहियों और कर्मियों का उत्तराधिकारी कंपनियों में हस्तांतरण और इसके लिए आवश्यक नियम और शर्तों तय की गई। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिनांक 26 जून 2002 की अधिसूचना संख्या 215 के द्वारा एक जुलाई 2002 से इन नियमों को प्रभावी बनाया। इसी तिथि से दिल्ली विद्युत बोर्ड की आस्तियां और देयताएं दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड सहित उत्तराधिकारी कंपनियों को हस्तांतरित कर दी गई।
- (iii) दिल्ली विद्युत बोर्ड की आस्तियां और देयताएं उत्तराधिकारी कंपनियों में, हस्तांतरण योजना विनियम की अनुसूची बी से जी तक अनुगुणित आरंभिक तुलनपत्रकों के अनुरूप हस्तांतरित की गई। दिल्ली विद्युत बोर्ड को समाप्त किए जाने के पहले की अवधि की देयताएं जो बाद की पांच उत्तराधिकारी कंपनियों को हस्तांतरित नहीं की गई थी, वे अनुसूची-जी के अनुसार दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी गई।
- (iv) कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी तीन डिस्कॉम्स— बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड, बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड, टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड तथा पारेषण केंद्र— दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, उत्पादन केंद्र— इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड और कचरा प्रबंधन परियोजना के लिए गठित इंद्रप्रस्थ एनर्जी एंड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में है। कंपनी ने इन कंपनियों की कुल इक्विटी शेयर पूंजी के निम्नलिखित अनुपात में इक्विटी शेयर पूंजी का अंशदान किया है।

संस्था / कंपनी	डीपीसीएल की इक्विटी शेयर पूंजी का प्रतिशत
क) बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड	49
ख) बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड	49
ग) टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड	49
घ) दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड	6.58
ङ) इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड	19.01
च) इंद्रप्रस्थ एनर्जी एंड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	50

ख. तैयारी का आधार

1. अनुपालन विवरण

ये वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 (कंपनी) की धारा 133, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) विनियम 2015, अद्यतन संशोधित, और अधिनियम के अन्य व्यवहार्य प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक—(इंड एसएस) के अनुसार लेखांकन के प्रोद्भूत आधार पर तैयार किए गए हैं।

2. मापन का आधार

वित्तीय विवरण कॉस्ट कन्वेंशन के तहत लेखांकन के प्रोद्भूत आधार पर तैयार किए गए हैं। केवल कुछ वित्तीय आस्तियों और देयताओं का मापन समुचित मूल्य पर किया गया है।

3. सक्रिय और प्रस्तुति मुद्रा

ये वित्तीय विवरण भारतीय रुपए (आईएनआर) में प्रस्तुत किए गए हैं, जो कि कंपनी की सक्रिय मुद्रा है। आईएनआर में प्रस्तुत वित्तीय जानकारी कंपनी के लिए निकटतम लाख रुपए में समायोजित की गई है।

4. आकलनों और प्रबंधकीय निर्णयों का उपयोग

इंड एसएस के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को निर्णय, अनुमानों और आकलनों की आवश्यकता है जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और तुलन पत्रक तिथि पर आकस्मिक आस्तियों और देयताओं सहित आस्तियों, देयताओं

के प्रतिवेदित मूल्य, आय, व्यय और संबंधित स्पष्टीकरणों पर प्रभाव डाल सके। अनुमान और प्रबंधन के निर्णय पूर्व अनुभव और संबंधित परिस्थितियों में तर्कसंगत और विवेकपूर्ण माने गए अन्य कारकों पर आधारित हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं। आकलनों और निहित अनुमानों की समीक्षा मौजूदा आधार पर की गई है, लेखांकन आकलनों की पुनरु समीक्षा, यदि कोई हो तो, वे उस अवधि में मान्य की जाएंगी जिसमें इन आकलनों को संशोधित किया गया था।

ग. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. वर्तमान और गैर वर्तमान वर्गीकरण।

कंपनी वर्तमान/गैर वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर तुलन पत्रक में आस्तियों और देयताओं को दर्शाती है।

कोई आस्ति वर्तमान माना जाती है जब यह:

- सामान्य संचालन क्रम में मान्य या बिक्री के लिए प्रस्तुत या उपयोग में लाई जाती है,
- मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखी जाती है,
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद 12 महीने के अंदर मान्य की जा सकती है, या
- नकदी या नकदी समतुल्य जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 महीने बाद किसी देयता के समायोजन के लिए प्रयुक्त या अदल-बदल के लिए प्रतिबंधित न हो।

अन्य सभी आस्तियां गैर वर्तमान के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं।

कोई देयता वर्तमान मानी जाती है जब इसके:

- सामान्य संचालन क्रम में समायोजित होने की संभावना हो,
- मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य के रखी गई हो,
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद 12 महीने के अंदर समायोजित किया जाना हो, या
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 महीने के लिए देयता का समायोजन स्थगित करने का कोई अप्रतिबंधित अधिकार न हो।

अन्य सभी देयताएं गैर वर्तमान श्रेणी में रखी जाती हैं। वर्तमान देयताओं में गैर वर्तमान वित्तीय देयताओं का वर्तमान हिस्सा शामिल है।

2. परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

- i) परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) के मदों का मापन लागत रहित संचित मूल्य/परिशोधन और संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, के रूप में होता है। लागत में वह व्यय शामिल है जो आस्ति को स्थल तक लाने और प्रबंधन के निर्णयानुसार संचालन के लिए सक्षम बनाने में किया गया। पीपीई का कोई मद एक आस्ति के रूप में मान्य होता है यदि यह संभावना हो कि भविष्य में इससे जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और मद की लागत विश्वसनीय रूप से मापी जा सकेगी।
- ii) बाद में किया जाने वाला व्यय आस्ति के मौजूदा मूल्य में बढ़ोतरी के रूप में मान्य होता है जब ये संभावना हो कि किए गए व्यय से होने वाला आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेगा और मद की लागत विश्वसनीय ढंग से मापी जा सकेगी।
- iii) पीपीई के किसी मद को अमान्य किया जाता जब उसके निस्तारण या उसके उपयोग से किसी आर्थिक लाभ की संभावना न हो। अमूर्त आस्तियों को अमान्य किए जाने से होने वाला लाभ या हानि का मापन निवल निस्तारण प्रक्रिया और आस्ति के मौजूदा मूल्य के अंतर के रूप में किया जाता है और इसे आस्ति के अमान्य होने पर लाभ हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

3. अमूर्त आस्तियां

- i) अलग से अधिगृहित की गई अमूर्त आस्तियों का मापन लागत की आरंभिक मान्यता पर किया जाता है। आरंभिक मान्यता के बाद अमूर्त आस्तियां, किसी संचित परिशोधन और संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर मान्य की जाती है।
- ii) आंतरिक उपयोग के लिए अधिगृहित सॉफ्टवेयर (संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न हिस्सा नहीं होने की स्थिति में), अधिग्रहण लागत पर, संचित परिशोधन और क्षति हानि, यदि कोई हो, को घटाकर मान्य किए जाते हैं।
- iii) अमूर्त आस्तियों का कोई मद निस्तारण के बाद या भविष्य में इसके उपयोग या निस्तारण से किसी आर्थिक लाभ की संभावना नहीं रहने के बाद अमान्य कर दिया जाता है। किसी अमूर्त आस्ति को अमान्य किए जाने से होने वाले लाभ

या हानि का मापन निवल निस्तारण प्रक्रिया और आस्ति के मौजूदा मूल्य के बीच के अंतर के रूप में किया जाता है और इसे आस्ति के अमान्य होने पर लाभ-हानि विवरण में मान्य कर दिया जाता है।

4. मूल्यहास और परिशोधन

- i) स्थाई आस्तियों में मूल्यहास का मापन कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची ८ में निर्दिष्ट उपयोगी जीवन के अनुरूप सीधी रेखा विधि से किया जाता है।
- ii) अमूर्त आस्तियों का परिशोधन इसके उपयोग की कानूनी अवधि या तीन वर्ष की अवधि, जो भी कम हो, के आधार पर सीधी रेखा विधि से किया जाता है।
- iii) पांच हजार रुपए मूल्य की या इससे कम की स्थायी आस्तियां, खरीद वर्ष में पूरी तरह ह्रासित कर दी जाती हैं।

5. अनुषंगी कंपनियों, संयुक्त उपक्रम और सहायक कंपनियों में निवेश

- i) अनुषंगी कंपनियों, संयुक्त उपक्रम और सहायक कंपनियों में इक्विटी शेयर में निवेश लागत मूल्य पर किया जाता है। इंड एस 36 'आस्तियों की क्षति' के प्रावधानों पर विचार करते हुए क्षति संबंधी किसी संकेत के निर्धारण के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर निवेश की समीक्षा की जाती है। यदि कोई ऐसा संकेत मिलता है तो क्षति हानि मान्य कर दी जाती है।

6. अनुषंगी कंपनियों, संयुक्त उपक्रम और सहायक कंपनियों में निवेश के अलावा वित्तीय आस्तियां

- i) कंपनी की वित्तीय आस्तियों में नकदी और नकदी समतुल्य, बैंक बैलेंस, अन्य कंपनियों के इक्विटी शेयर में निवेश, व्यापार प्राप्त, कर्मचारियों/ठेकेदारों को अग्रिम, सुरक्षा जमा, वसूली योग्य दावे इत्यादि शामिल होते हैं। इन आस्तियों में नकदी या कोई अन्य वित्तीय आस्ति प्राप्त करने संबंधी अनुबंध या कंपनी के लिए अनुकूल होने की स्थिति में वित्तीय आस्तियों या वित्तीय देयताओं की अदला-बदली भी शामिल है। किसी वित्तीय आस्ति को तभी मान्य किया जाता है जब कंपनी अनुबंधगत प्रावधानों के तहत एक पक्ष होती है।
- ii) कंपनी अपनी वित्तीय आस्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करती है;
 - परिशोधित मूल्य पर आकलित आस्तियां,
 - अन्य व्यापक आय के जरिये उचित मूल्य पर आकलित आस्तियां (एफवीटीओसीआई)।
- iii) सभी वित्तीय आस्तियों को आरंभ में उचित मूल्य पर मान्य किया जाता है। वित्तीय आस्तियों के उचित मूल्य पर दर्ज न होने की स्थिति में उस वित्तीय आस्ति के अधिग्रहण में लगी लागत वित्तीय आस्ति की लागत के रूप में मान्य की जाती है।
- iv) उधारी का मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है यदि ये दोनों शर्तें पूरी होती हों:
 - आस्ति ऐसे व्यवसाय मॉडल में हो, जिसका उद्देश्य अनुबंधगत नकदी प्रवाह के संकलन के लिए आस्ति धारित करना हो।
 - आस्ति की अनुबंधगत शर्तें विशिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह में वृद्धि करती हों जो पूरी तरह से मूल राशि और मूल राशि पर बकाया ब्याज (एसपीपीआई) का भुगतान हो।

आरंभिक मापन के बाद इन वित्तीय आस्तियों का मापन परिशोधित लागत पर, प्रभावी ब्याजदर (ईआईआर) विधि से किया जाता है। परिशोधित लागत की संगणना किसी डिस्काउंट या प्रिमियम तथा शुल्क या लागत को ध्यान में रखकर की जाती है जो ईआईआर का अभिन्न हिस्सा है। ईआईआर परिशोधन लाभ हानि विवरण में वित्तीय आय में शामिल किया जाता है। क्षति के कारण होनेवाली हानि लाभ-हानि विवरण में मान्य की जाती है।

- v) किसी उधारी का मापन एफवीटीओसीआई पर किया जाता है यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हों:

- व्यापार मॉडल का उद्देश्य, अनुबंधगत नकदी प्रवाह के संकलन और वित्तीय आस्ति के बिक्रय दोनों माध्यमों से पूरा होता हो, और
- आस्ति का अनुबंधगत नकदी प्रवाह, एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करता हो।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर उधारी का मापन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर किया जाता है। उचित मूल्य संबंधी गतिविधियां अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्य की जाती हैं। हालांकि कंपनी ब्याज आय, क्षति हानि को लाभ-हानि विवरण में दर्शाती है। आस्ति को अमान्य किए जाने की स्थिति में संचित लाभ या हानि जो पहले ओसीआई में मान्य की गई थी, लाभ और हानि से इक्विटी में पुनर्वर्गीकृत की जाती है। इन वित्तीय आस्तियों से होने वाली ब्याज आय ईआईआर विधि से अन्य आय में शामिल की गई है।

- vi) अनुषंगी, सहायक और संयुक्त उपक्रमों के अलावा अन्य कंपनियों में इक्विटी निवेश का मापन अन्य व्यापक आय के जरिये उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) पर किया जाता है। ये वर्गीकरण आरंभिक मान्यता पर किया गया है और बदले जाने योग्य नहीं है। एफवीटीओसीआई पर वर्गीकृत किसी इक्विटी के मूल्य संबंधी बदलावों को ओसीआई में मान्य

किया जाता है। लाभ-हानि विवरण में उचित मूल्य लाभ और हानि का पुनः वर्गीकरण नहीं किया गया है। हालांकि कंपनी संचयी लाभ या हानि को इक्विटी में हस्तांतरित कर सकती है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, यदि कोई हो तो उसका मापन लाभ-हानि विवरण में मान्य सभी बदलावों के साथ उचित मूल्य पर किया जाता है।

vii) किसी वित्तीय आस्ति को तभी अमान्य किया जाता है जब:

- कंपनी ने वित्तीय आस्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार हस्तांतरित कर दिया हो या
- वित्तीय आस्ति का नकदी प्रवाह प्राप्त करने का अनुबंधगत अधिकार बनाए रखा हो लेकिन नकदी प्रवाह का भुगतान एक या अनेक प्राप्तकर्ताओं को करने के अनुबंधगत शर्त से बंधा हो।

viii) इंड एस 109 के अनुसार कंपनी निम्नलिखित आस्तियों पर क्षति हानि के मापन और मान्यता के लिए अनुमानित जमा हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करती है:

- वित्तीय आस्तियां जो ऋण साधन हैं और परिशोधित लागत पर मापी गई हैं,
- वित्तीय आस्तियां जो ऋण साधन हैं और एफवीटीओसीआई पर मापी गई हैं।

7. वित्तीय देयताएं

- i) कंपनी की वित्तीय देयताएं कंपनी के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों में अन्य कंपनी को नकद भुगतान या अन्य वित्तीय आस्तियां देने या किसी अन्य कंपनी के साथ वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं की अदल-बदल की अनुबंधगत शर्त है। कंपनी की वित्तीय देयताओं में ऋण और उधारी, व्यापार और अन्य भुगतान योग्य, प्रतिभूति जमा, धन धारिता इत्यादि आती हैं।
- ii) वित्तीय देयताओं को आरंभ में उचित मूल्य से सीधे तौर पर भुगतान योग्य लेन-देन लागत घटाकर मान्य किया जाता है। निवल लेन देन लागत और आरंभिक मान्यता पर उचित मूल्य का अंतर लाभ-हानि विवरण में या आस्ति के मौजूदा मूल्य में मान्य किया जाता है, यदि अन्य मानक प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करते हुए उधारी अवधि से इतर के लिए अनुमति देता हो।
- iii) आरंभिक मान्यता के बाद वित्तीय देयताओं का मापन ईआईआर विधि से परिशोधित लागत पर किया जाता है अन्य मामलों में जब देयताएं अमान्य की जाती हैं तो लाभ और हानि को लाभ हानि विवरण में या आस्ति की मौजूदा राशि में दर्शाया जाता है, यदि अन्य मानक अनुमति देते हों। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रिमियम को और शुल्क या लागत को ध्यान में रखकर की जाती है, जो ईआईआर का अभिन्न हिस्सा है। लाभ-हानि विवरण में ईआईआर परिशोधन को वित्तीय लागत के रूप में शामिल किया जाता है।
- iv) एक वित्तीय देयता तब अमान्य की जाती है जब देयता के अंतर्गत दायित्वों को पूरा कर दिया गया हो या रद्द कर दिया गया हो या उनकी अवधि समाप्त हो चुकी हो। जब कोई मौजूदा वित्तीय देयता उसी ऋणदाता के अन्य देयता से भिन्न शर्तों पर बदली जाती है या मौजूदा देयता की शर्तें संशोधित हो जाती हैं, तो इस प्रकार की अदल-बदल का संशोधन मूल देयता के अमान्यीकरण और एक नई देयता के मान्यीकरण के रूप में मानी जाती है। संबंधित मौजूदा राशि में अंतर लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है।
- v) वित्तीय आस्तियां और वित्तीय देयताएं ऑफसेट कर दी जाती हैं और निवल राशि तुलनपत्रक में प्रतिवेदित की जाती है, यदि मान्य राशि को ऑफसेट करने का बाध्यकारी कानूनी अधिकार होता है और निवल आधार पर आस्तियों को मान्य करने तथा देयताओं के समायोजन की मंशा होती है।

8. राजस्व मान्यीकरण और अन्य आय

कंपनी की, 01.04.2018 से प्रभावी इंड एस 115 "ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व" के तहत आने वाली कोई आय नहीं है, इसलिये कंपनी के लिये इंड एस 115 के अनुसार लेखा में मापन और स्पष्टीकरण संबंधी अपेक्षाएं पूरी करना जरूरी नहीं है। अन्य स्रोतों से प्राप्त राजस्व को उस सीमा तक मान्य किया गया है जहां तक उससे कंपनी को आर्थिक लाभ पाने और राजस्व के विश्वसनीय ढंग से मापन की संभावना है, चाहे भुगतान किसी भी समय किया जा रहा हो, केवल निम्नलिखित स्थितियों को छोड़कर जो नकदी आधार पर लेखांकित किये जाते हैं।

- i) समायोजन पर या न्यायालयधम्यस्थता, अर्ध न्यायिक निकायों के निर्णय के अनुसार ब्याज सहित प्राप्त दावे
- ii) बीमा दावों की प्राप्ति
- iii) स्क्रेप की बिक्री
- iv) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को चुकाया गया ब्याजधरपीडीआरपी योजना के तहत ऋण पर डिस्कॉम्स से प्राप्त ब्याज
- v) इक्विटी शेयर पर प्राप्त लाभांश
- vi) ऋण पर दंडात्मक ब्याज सहित ओवरड्यू भुगतान पर विलंब भुगतान सरचार्ज प्राप्ति आधार पर दर्ज किया जाता है।

ब्याज आय

सभी ऋण साधनों के लिये, चाहे वे अन्य व्यापक आय के जरिये परिशोधित लागत पर मापे गये हों या उचित मूल्य पर,

ब्याज आय प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का उपयोग करते हुए दर्ज की जाती है। ईआईआर वह दर है जो वित्तीय साधन के अनुमानित जीवन काल या उससे कम अवधि पर, जहां उचित हो, होने वाली भविष्य की अनुमानित नकद प्राप्तियों को वित्तीय साधन की सकल मौजूदा राशि से या वित्तीय देयता के परिशोधित मूल्य से सटीक ढंग से घटाता हो। प्रभावी ब्याज दर की गणना करते समय कंपनी वित्तीय साधन की सभी अनुबंधगत शर्तों (उदाहरण के लिये पूर्व भुगतान, विस्तार, कॉल और समान विकल्प) पर विचार करते हुए अनुमानित नकदी प्रवाह का आकलन करती है, लेकिन अनुमानित जमा हानि पर विचार नहीं करती। लाभ हानि विवरण में ब्याज आय अन्य आय में शामिल की जाती है।

लाभांश

लाभांश आय तब मान्य की जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का कंपनी का अधिकार स्थापित हो जाता है जो सामान्य रूप से शेयर धारकों द्वारा लाभांश के अनुमोदन से होता है।

9. सरकारी अनुदान

- i) प्रमोटर के अंशदान के रूप में सरकार से प्राप्त अनुदान सहायता पूंजीगत रिजर्व मानी जाती है।
- ii) जहां सरकारी अनुदान सकल मूल्य पर प्रस्तुत आस्ति से जुड़ा होता है, वहां वह लाभ-हानि विवरण में आस्ति के उपयोगी जीवन पर आय के रूप में मान्य होता है। जो अनुदान कंपनी द्वारा किये गये व्यय की पारिश्रमिक के लिये होते हैं वे उस अवधि में मान्य होते हैं जिसमें व्यय किया गया।

10. नकदी और नकदी समतुल्य तथा बैंक शेष और जमा

तुलन पत्रक में नकदी और नकदी समतुल्य तथा बैंक शेष और जमा में बैंक में रखी और पास में उपलब्ध नकद राशि तथा तीन महीने से कम की वास्तविक परिपक्वता अवधि वाले लघु अवधि जमा शामिल होते हैं, जिनके मूल्य में बदलाव का जोखिम नहीं के बराबर होता है। तीन महीने से अधिक की वास्तविक परिपक्वता अवधि वाले सावधि जमा सहित बैंक शेष अलग से बैंक शेष के तहत दर्शाये जाते हैं।

11. प्रावधान और आपात देयताएं

कोई प्रावधान तब मान्य किया जाता है जब किसी पिछली घटना के कारण कंपनी का मौजूदा कानूनी या रचनात्मक दायित्व हो जिसका विश्वसनीय ढंग से आकलन किया जा सकता हो, और यह संभावित हो कि इस दायित्व के समायोजन के लिये आर्थिक लाभ का बहिर्गमन जरूरी होगा। यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण हो, तो प्रावधानों का निर्धारण कर पूर्व दर पर भविष्य के अनुमानित नकदी प्रवाह को निकाल कर किया जाता है जो धन के समय मूल्य का मौजूदा बाजार आकलन और देयता के लिये जोखिम विशेष दर्शाता है। जब कटौती का उपयोग किया जाता है तो समय गुजरने के साथ प्रावधान में वृद्धि वित्तीय लागत के रूप में दर्शायी जाती है।

जब किसी प्रावधान के समायोजन के लिये आवश्यक कुछ या सभी आर्थिक लाभ किसी तीसरे पक्ष से वसूले जाने की संभावना होती है तो प्राप्य को एक आस्ति के रूप में मान्य किया जाता है यदि यह निश्चित प्रतीत होता हो कि प्रतिपूर्ति प्राप्त हो जायेगी और प्राप्य राशि विश्वसनीय ढंग से मापी जा सकेगी। प्रावधान से संबंधित लागत, किसी भी प्रतिपूर्ति से निवल, लाभ-हानि विवरण में दर्शायी जाती है।

आपात देयताएं लेखा में टिप्पणी या इन देयताओं की राशि के जरिये स्पष्ट की जाती है।

12. कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ

डीपीसीएल में कार्यरत कर्मचारी डीटीएल/आईपीजीसीएल से या तो स्थानांतरित या प्रतिनियुक्ति आधार पर हैं। कंपनी इन्हें वेतन, चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति, एलटीसी, अवकाश वेतन, पेंशन अंशदान आदि का भुगतान डीटीएल/आईपीजीसीएल को प्रतिपूर्ति/समायोजन के जरिये कर रही है। कंपनी में प्रतिनियुक्ति के आधार पर काम कर रहे कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ के लिये अंशदान का भुगतान संबंधित मूल विभाग/कंपनी को किया जा रहा है। चूंकि कंपनी का अपना कोई नियमित कर्मचारी नहीं है, इसलिये कंपनी में सेवा निवृत्ति लाभ की कोई नीति नहीं बनायी गयी है।

13. पूर्व अवधि व्यय

पूर्व वर्षों के प्रत्येक संदर्भ में 25,000 रुपये तक का आय/व्यय मौजूदा वर्ष में प्रभारित किया जाता है।

14. प्रति शेयर आय

प्रति इक्विटी शेयर प्राथमिक आय की संगणना, कंपनी के इक्विटी शेयर धारकों को होने वाले निवल लाभ या हानि को वित्तीय वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों की औसत संख्या से भाग देकर की जाती है।

प्रति शेयर तनुकृत आय में प्रति शेयर प्राथमिक आय के निर्धारण में प्रयुक्त आंकड़ों का समायोजन किया जाता है ताकि ब्याज के कर बाद प्रभाव और तनुकृत किये जा सकने वाले इक्विटी शेयर से जुड़े अन्य वित्तीय लागत, तथा अतिरिक्त इक्विटी शेयर की औसत संख्या, जो तनुकृत किये जा सकने वाले शेयरों के बदलाव के कारण बकाया रह सकते थे, को ध्यान में रखा जा सके।

15. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण इंड एस-7 "नकदी प्रवाह विवरण" में निर्दिष्ट अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया जाता है।

16. स्थायी आस्तियों की क्षति

गैर-वित्तीय आस्तियां

अमूर्त आस्तियां और परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मूल्यांकन प्रतिलब्धता के लिये तब किया जाता है जब घटनाक्रम या परिस्थितियों में बदलाव संकेत करते हैं कि उनकी वर्तमान राशि की वसूली संदिग्ध है। क्षतिगत परीक्षण के उद्देश्य से वसूलीयोग्य राशि (जैसे बिक्री लागत और उपयोग मूल्य को घटाकर अधिकतम उचित मूल्य) का निर्धारण एक अलग आस्ति आधार पर होता है जबतक कि वह आस्ति अन्य आस्तियों से बड़े पैमाने पर स्वतंत्र नकदी प्रवाह का सृजन न करती हो। ऐसे मामलों में वसूली योग्य राशि का निर्धारण सीजीयू के लिये होता है जिससे कि वह आस्ति संबंधित है।

यदि ऐसी आस्तियां क्षतिग्रस्त निर्धारित की जाती हैं तो लाभ-हानि विवरण में दर्शायी जाने वाली क्षति का मापन उस राशि से किया जाता है जितनी राशि से आस्ति का वास्तविक मूल्य उसके अनुमानित वसूली योग्य मूल्य से अधिक होता है। यदि वसूली योग्य राशि के निर्धारण में प्रयुक्त अनुमानों में कोई परिवर्तन होता है तो लाभ-हानि विवरण में क्षति हानि पलट दी जाती है। आस्ति का मूल्य उसके संशोधित वसूली योग्य मूल्य तक बढ़ा दिया जाता है, लेकिन यह राशि आस्ति के उस मूल्य से अधिक नहीं होनी चाहिये जो पहले के वर्षों में कोई क्षति हानि नहीं होने पर (किसी संचित परिशोधन या मूल्यह्रास से निवल) निर्धारित किया जाता है।

वित्तीय आस्तियां

कंपनी उन वित्तीय आस्तियों के लिये हानि भत्तों को अनुमानित जमा हानि (ईसीएल) मॉडल अपनाकर मान्य करती है जिनका लाभ या हानि के जरिये उचित मूल्यांकन नहीं हुआ है।

उन व्यापार प्राप्यों का मापन, जिनमें कोई महत्वपूर्ण घटक नहीं है, लाइफ टाईम ईसीएल के बराबर राशि पर किया जाता है। अन्य सभी वित्तीय आस्तियों के लिये अनुमानित जमा हानि का मापन 12 महीने के ईसीएल के बराबर राशि पर किया जाता है।

17. कराधान

आय कर व्यय में वर्तमान और आस्थगित कर शामिल होता है। वर्तमान कर व्यय लाभ या हानि में मान्य किया जाता है, उस सीमा को छोड़कर जहां यह सीधे अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में दर्ज मदों से या इक्विटी से संबंधित होता है, इस स्थिति में यह ओसीआई या इक्विटी में मान्य होता है।

वर्तमान कर वर्ष के लिये कर योग्य आय पर भुगतान योग्य अनुमानित कर है। इसकी गणना लागू कर दर या बाद में लागू और रिपोर्टिंग तिथि पर व्यवहार्य दर और पिछले वर्षों के किसी भुगतान योग्य कर के समायोजन से की जाती है।

आस्थगित कर तुलन पत्रक विधि का उपयोग करते हुए मान्य किया जाता है, वित्तीय रिपोर्टिंग के लिये आस्तियों और देयताओं की वर्तमान राशि और कराधान के लिये प्रयुक्त राशि के बीच के अस्थायी अंतर का प्रावधान करते हुए। अनावशोषित संचित हानियों का लाभ, जिसे आयकर विभाग तय करता है, आस्थगित कर माना जाता है। आस्थगित कर का मापन, लागू या रिपोर्टिंग तिथि पर लागू होने वाले कानूनों के आधार पर, उन दरों पर होता है जिन्हें अस्थायी अंतरों पर लागू किये जाने की संभावना होती है। आस्थगित कर आस्तियां और देयताएं ऑफसेट हो जाती हैं यदि वर्तमान कर देयता और आस्तियों को ऑफसेट करने का कानूनी बाध्यकारी अधिकार होता है और वे उसी कर प्राधिकरण द्वारा लगाये गये आय करों से संबंधित होती हैं।

आस्थगित कर लाभ या हानि में मान्य किया जाता है, उस सीमा को छोड़कर जहां यह सीधे अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में दर्ज मदों से या इक्विटी से संबंधित होता है, इस स्थिति में यह ओसीआई या इक्विटी में मान्य होता है।

आस्थगित कर आस्ति उस सीमा तक मान्य की जाती है जहां यह संभव हो कि भविष्य में करयोग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसपर अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकेगा। आस्थगित कर आस्ति के लिये अनावशोषित हानि और क्षति की राशि पर केवल तभी विचार किया जाता है जब इस राशि का अंतिम आकलन आयकर विभाग द्वारा किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आस्थगित कर आस्तियों की समीक्षा की जाती है और इसे इस सीमा तक कम कर दिया जाता है कि संबंधित कर लाभ मान्य होने की कोई संभावना नहीं रह जाती।

दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिये वित्तीय विवरणों का टिप्पणी भाग

टिप्पणी 2. परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण – गैर वर्तमान आस्तियां

(लाख रुपये में)

विवरण	फर्नीचर और फिक्सचर	वाहन	कार्यालय उपकरण	कम्प्यूटर	एयर कंडीशनर	मोबाईल फोन	ब्रीफ केस	कुल
समग्र ब्लॉक								
31 मार्च 2020 को	26.66	4.33	3.39	20.25	3.64	0.33	0.37	58.97
1 अप्रैल 2020 को	26.66	4.33	3.39	20.25	3.64	0.33	0.37	58.97
योग				1.45	-	0.16	0.19	1.80
निस्तारण								
31 मार्च 2020 को	26.66	4.33	3.39	21.70	3.64	0.49	0.56	60.77
ह्रास								
1 अप्रैल 2019 को	25.23	4.12	3.09	18.75	1.52	0.21	0.37	53.29
अवधि के लिये प्रभार	25.23	4.12	3.09	18.75	1.52	0.21	0.37	53.29
निरसन / समायोजन	0.16	-	0.04	0.77	0.57	0.13	0.19	1.86
31 मार्च 2020 को	25.39	4.12	3.13	19.52	2.09	0.34	0.56	55.15
निबल खंड								
31 मार्च 2019 को	1.43	0.21	0.30	1.50	2.12	0.12	-	5.68
31 मार्च 2020 को	1.27	0.21	0.26	2.18	1.55	0.15	(0.00)	5.62

टिप्पणी 3. अमूर्त आस्तियां— गैर वर्तमान आस्तिया

(लाख रुपये में)

विवरण	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर
सकल खंड	
1 अप्रैल 2019 को	0.93
संवर्द्धन	-
निस्तारण	-
31 मार्च 2020 को	0.93
1 अप्रैल 2020 को	0.93
संवर्द्धन	
निस्तारण	
31 मार्च 2021 को	0.93
मूल्यह्रास	
परिशोधन	(0.90)
1 अप्रैल 2020 को	-
अवधि के लिये प्रभार	-
निरसन	(0.90)
समायोजन	
31 मार्च 2021 को	0.03
निवल खंड	0.03
31 मार्च 2020 को	
31 मार्च 2021 को	

3.1 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर की राशि, कंपनी द्वारा लगातार उपयोग में लाये जाने पर अपने परिरक्षित मूल्य पर रहती है।

टिप्पणी 4. इक्विटी शेयर में निवेश – गैर वर्तमान आस्तियां

(लाख रुपये में)

विवरण	%	इकाईयां	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
अनुषंगी कंपनी के शेयरों में निवेश—(अनुदधृत, पूर्ण चुकता)				
(i) इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लि. (रु. 10/-प्रत्येक शेयर)	19	14,00,00,000	14,000	14,000
(ii) दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड. (रु. 10/-प्रत्येक शेयर)	7	26,00,00,000	26,000	26,000
(iii) बीएसईएस यमुना पावर लि. (रु. 10/-प्रत्येक शेयर)	49	27,24,40,000	27,244	27,244
(iv) बीएसईएस राजधानी पावर लि. (रु. 10/-प्रत्येक शेयर)	49	50,96,00,000	50,960	50,960
(v) टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लि. (रु. 10/-प्रत्येक शेयर) (इसमें 901,60,000 बोनस शेयर शामिल हैं)	49	51,54,80,000	18,032	18,032
(vi) इंद्रप्रस्थ एनर्जी एंड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी लि. IEWMCL (रु. 10/-प्रत्येक शेयर)	50	50,000	5	5
घटाएं : डीटीएल में निवेश पर क्षति हानि				-3,561
घटाएं : आईडबल्यूएमसीएल में निवेश पर क्षति हानि			-5	-5
जोड़ें: डीटीएल में निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ और हानि			5,018	
जोड़ें: आईडबल्यूएमसीएल में निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ और हानि			22,904	
कुल			1,64,158	1,32,675

4.1 इंड एस 28 के अनुसार क्रम संख्या (iii), (iv), (v) और (vi) की कंपनियां डीपीसीएल की सहयोगी कंपनियां हैं। इन कंपनियों के कुल इक्विटी शेयर में 20 प्रतिशत या अधिक की शेयर धारिता के जरिये डीपीसीएल को वोटिंग का अधिकार है।

‘मेसर्स दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड और मेसर्स इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड को वित्तीय वर्ष 2019-20 तक सहयोगी माना गया और लागत पर लिया गया। परन्तु, चालू वित्तीय वर्ष में कंपनी ने राय ली है कि ये कंपनियां सहयोगी कंपनियां नहीं हैं क्योंकि इन कंपनियों में निवेश 20: से कम है। इसलिए, हमने इन निवेशों को इंड एस 109 के अनुसार अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई) के माध्यम से इक्विटी विलेख में निवेश के रूप में माना है और इसलिए उचित मूल्य पर मूल्यांकित किया गया है। इन निवेशों का उचित मूल्यांकन भारतीय लेखा मानक 109 की आवश्यकता के अनुसार पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा किया गया है।

4.2 टीडीपीपीएल ने 12.03.2021 को प्रति शेयर 10/- रुपये मूल्य के कुल 245,000,000 बोनस शेयर आवंटित किए हैं। इस प्रकार शेयरों की कुल संख्या 270,480,000 से बढ़कर 515,480,000 हो गई है। जबकि टीडीपीपीएल में डीपीसीएल का कुल निवेश 1803,200,000/- रुपये रहेगा।

टिप्पणी 4 क अन्य वित्तीय आस्तियां—गैर वर्तमान आस्तियां

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
12 महीने से अधिक अवधि की बैंक जमा राशि	3,508.17	-
कुल	3,508.17	-

टिप्पणी 5: अन्य गैर वर्तमान आस्तियां

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
वसूली योग्य बकाया—असुरक्षित लेकिन अच्छे समझे गए		
i. दिल्ली विद्युत बोर्ड के विघटन से पहले का वसूली योग्य बकाया	44,653.30	44,653.30
घटाएं: फंसे और संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान	(11,523.97)	(11,523.97)
	33,129.33	33,129.33
ii. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से वसूली योग्य सीपीएसयू बकाया (डेसू अवधि)	33,263.90	66,527.80
कुल	66,393.23	99,657.13

5.1 भारत सरकार के निर्णय के अनुसार डेसू अवधि का सीपीएसयू और रेल मंत्रालय को चुकाये जाने वाली बिजली खरीद लागत देयता का भुगतान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी किया जाना था जिसके लिये भारत सरकार ने दिल्ली सरकार को 3,32,639 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत/संवितरित किया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सीपीएसयू बकाये के भुगतान के लिये कंपनी को यह ऋण 9.50 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर जारी कर दिया। इस ऋण को 31 मार्च 2014 से दस बराबर किस्तों में चुकाया जाना था। चूंकि कंपनी कोई वाणिज्यिक राजस्व सृजित नहीं करती इसलिये वह तय भुगतान रूपरेखा के अनुसार ऋण देयता के भुगतान में सक्षम नहीं हुई और कंपनी के जिम्मे 31.03.2021 को 33,263.90 लाख रुपये (पिछले वर्ष 66,527.80 लाख रुपये) बकाया हैं। परन्तु, कंपनी की राय में डीईएसयू अवधि का सीपीएसयू बकाया हस्तांतरण योजना नियमों के अनुसार कंपनी की देयता का हिस्सा नहीं था, इसलिये कंपनी ने यह मामला, बकाया राशि को दिल्ली सरकार से गैर वापसी योग्य वित्तीय सहयोग मानने के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को भेजा है। इस संदर्भ में दिल्ली सरकार इस ऋण को रद्द करने और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पक्ष में एक मुश्त अनुदान में बदलने के लिये केंद्र सरकार से लगातार संपर्क कर रही है। दिल्ली सरकार ने भारत सरकार से यह भी कहा है कि इस राशि को दिल्ली सरकार के लिये एक मुश्त अनुदान में बदल देने से डीपीसीएल के खाते में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को भुगतान योग्य दिखाई गयी यह राशि अपने आप दिल्ली सरकार द्वारा डीपीसीएल के लिये एक मुश्त अनुदान में बदल जायेगी। इस संदर्भ में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बिजली विभाग ने 18.04.2017 को भारत सरकार के बिजली मंत्रालय को फिर इस आशय का प्रतिवेदन भेजा है। इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विद्युत सचिव ने भारत सरकार के बिजली मंत्रालय के सचिव को दिनांक 21.10.2020 को डीओ पत्र भी भेजा है। इस बारे में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से लंबित अनुमोदन के कारण कंपनी इस ऋण राशि को ब्याज सहित बकाया और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से अग्रिम के रूप में वसूली योग्य दिखला रही है, जिसे इस टिप्पणी और टिप्पणी-9 में 'अन्य वर्तमान आस्तियों' के रूप में दर्शाया गया है। इसे देखते हुए लेखा में ऋण की बकाया राशि पर दंड स्वरूप ब्याज का प्रावधान नहीं किया गया है।

5.2 संदिग्ध ऋणों के प्रावधान को छोड़कर 44,653.30 लाख रुपये की राशि (पिछले वर्ष 44,653.30 लाख) उपभोक्ताओं—घरेलू औद्योगिक और सरकारी विभाग/कंपनियों से वसूली योग्य दिल्ली विद्युत बोर्ड के विभाजन से पहले की अवधि के बिजली शुल्क को दर्शाती है। जहां 28,682.80 लाख रुपये (पिछले वर्ष 28,682.80 लाख) सरकारी विभागों/कंपनियों से वसूली योग्य है वहीं 15,970.50 लाख रुपये (पिछले वर्ष 15,970.50 लाख) अन्य घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं से वसूली योग्य हैं। इन बकाया राशियों की वसूली का प्रयास अदालतों और अन्य अर्द्ध न्यायिक फोरम और तीन डिस्कॉम्स के हस्तक्षेप से किया जा रहा है। परन्तु, अधिशेष विलंब भुगतान प्रभार राशि, पुष्टि और समायोजन के अधीन है, जिसकी प्रक्रिया जारी है और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद आवश्यक समायोजन कर लिया जायेगा।

5.3 याचिकाकर्ता ललित गुलाटी और रणवीर सिंह ने रा.रा.क्षे.दि.स. की दिनांक 16th 19 मई 2008 की अधिसूचना के खिलाफ 2009 में दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी, जिसमें रा.रा.क्षे.दि.स. के दिनांक 16th 19 मई 2008 के आदेश अधिसूचना संख्या 1278 को खारिज करने/अप्रभावी करने की मांग की गई थी। उक्त आदेश में कहा कहा गया था कि डीईआरसी निजी बिजली उपभोक्ताओं के संबंध में डीईएसयू/डीवीबी अवधि के दौरान बिजली की बिक्री के प्रति मूल बकाया को बट्टे खाते में डालने और केवल उस अवधि से संबंधित उनके विलंबित भुगतान अधिभार को माफ करने के निर्देश देगा, सिवाय उन मामलों के जो किसी फोरम और किसी स्तर पर मुकदमेबाजी के तहत हों।

जीएनसीटीडी/डीपीसीएल द्वारा दायर एलपीएज (अपील): — रणवीर सिंह और ललित गुलाटी के नाम से एलपीएज (अपील) का बंच दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है, जो रा.रा.क्षे.दि.स. के बिजली विभाग द्वारा डीपीसीएल के साथ सह-अपीलकर्ता

के रूप में दायर की गई थीं। यह एक महत्वपूर्ण मामला है जिसमें बिजली उपभोक्ताओं रणवीर सिंह, ललित गुलाटी और अन्य द्वारा दायर रिट याचिकाओं के बंच पर रा.रा.क्षे.दि.स. के खिलाफ आदेश पारित किया गया था, जिससे रा.रा.क्षे.दि.स./डीपीसीएल पर भारी वित्तीय प्रभाव पड़ेगा। चूंकि इन रिट याचिकाओं/धूलपीए में समान प्रश्न हैं और डीपीसीएल और जीएनसीटीडी दोनों के लिए निहितार्थ हैं, इसलिए उन्हें डीपीसीएल और जीएनसीटीडी के बीच घनिष्ठ समन्वय के साथ निपटाया जाना है।

वर्तमान में जीएनसीटीडी और डीपीसीएल द्वारा दायर अपीलें नियमित की श्रेणी में माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के समक्ष लंबित हैं और सुनवाई की अंतिम तिथि 1 सितंबर 2021 थी।

टिप्पणी 6. नकदी और नकदी समतुल्य

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
बैंको में अधिशेष		
चालू खाते में	16.79	9.84
जमा खातों में (3 महीने के भीतर मूल परिपक्वता के साथ एफडीआर)	149.05	3501.23
कुल	165.84	3,511.07

6.1 नकदी और नकदी समतुल्य उचित मूल्य होने से परिशोधित मूल्य पर लिया गया है।

टिप्पणी 7. बैंक अधिशेष और जमा

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
बैंको में अधिशेष		
जमा खातों में (3 महीने से अधिक की एफडीआर)	1,30,207.93	1,18,132.87
कुल	1,30,207.93	1,18,132.87

टिप्पणी 8. अन्य वित्तीय आस्तियां— वर्तमान आस्तियां

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
(i) जमा पर प्रोद्भूत ब्याज		
ब्याज प्रोद्भूत लेकिन एफडीआर पर बकाया नहीं	3,405.48	4,806.75
ब्याज प्रोद्भूत और ऋण-आईपीजीसीएल पर बकाया	-	-
(ii) अग्रिम-अन्य		
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से वसूली योग्य	5.72	5.72
डीटीएल से वसूली योग्य	17,484.04	17,808.40
आईपीजीसीएल से वसूली योग्य	8,011.61	8,011.61
बीएसईएस- आरपीएल से वसूली योग्य	12,293.81	12,293.81
बीएसईएस- वाईपीएल से वसूली योग्य	5,579.89	5,579.89
टीपीडीडीएल से वसूली योग्य	2,018.82	2,018.82
कुल	48,799.37	50,525.00

8.1 "अग्रिम-अन्य" के तहत दर्शायी गयी राशि में दिल्ली विद्युत बोर्ड के विभाजन से पहले किये गये कार्यों के लिये ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं के दावों पर भुगतान के लिये कंपनी द्वारा जारी और बीआरपीएल, बीवाईपीएल, टीपीडीडीएल, डीटीएल और आईपीजीसीएल से वसूली योग्य क्रमशः 9,258.52 लाख, 3,441.41 लाख, 1,319.24 लाख, 12,210.63 लाख और 119.55 लाख रुपये की राशि शामिल है। कानूनी मत के अनुसार ये राशि इन कंपनियों से, 2010 में के.आर.जैन मामले में दिये गये माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुरूप, वसूली योग्य हैं। कंपनी ने बकायों की वसूली के लिये बीआरपीएल, बीवाईपीएल और टीपीडीडीएल के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में मामला दायर किया है। समान प्रबंधन के तहत सरकारी

कंपनियां होने के नाते डीटीएल और आईपीजीसीएल से वसूली का काम कंपनी सीधे देख रही है। "अग्रिम-अन्य" के तहत दर्शाये गये शेष में, दिल्ली विद्युत बोर्ड को समाप्त किये जाने की तिथि पर कंपनी को स्थानांतरित 19,044.55 लाख रुपये की राशि भी शामिल है, जो समायोजन/पुष्टि के अधीन है, जिसकी प्रक्रिया जारी है और आवश्यक समायोजन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन और समाधान के तहत किया जायेगा।

टिप्पणी 9. अन्य वित्तीय आस्तियां

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
1. सीपीएसयू बकाये (डीईएसयू अवधि) पर रा.रा.क्षे.दि.स. से वसूली योग्य अग्रिम	2,99,375.10	2,66,111.20
2. सीपीएसयू (डीईएसयू अवधि) पर रा.रा.क्षे.दि.स. से वसूली योग्य राशि पर ब्याज	2,27,178.76	1,95,578.06
3. वसूली योग्य अग्रिम	8,116.10	8,116.10
4. रिफंड योग्य आयकर	1,054.64	1,055.32
कुल	5,35,724.60	4,70,860.68

9.1 भारत सरकार के निर्णय के अनुसार सीपीएसयू और रेल मंत्रालय को भुगतान योग्य डीईएसयू अवधि की बिजली खरीद देयता का निर्वहन रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा किया जाना था, और इसके लिये भारत सरकार ने रा.रा.क्षे.दि.स. को 3,32,639 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत/संवितरित किया था। रा.रा.क्षे.दि.स. ने सीपीएसयू बकाये के भुगतान के लिये यह ऋण 9.50 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर कंपनी को संवितरित कर दिया और 31 मार्च 2014 से 10 समान किस्तों में ऋण चुकाने का निर्देश दिया। चूंकि कंपनी कोई वाणिज्यिक राजस्व सृजित नहीं करती इसलिये वह तय भुगतान रूपरेखा के अनुसार ऋण देयता के भुगतान में सक्षम नहीं हुई और कंपनी के जिम्मे 31.03.2021 को 33,263.90 लाख रुपये (पिछले वर्ष 66,527.80 लाख रुपये) बकाया हैं। परन्तु, कंपनी की राय में डीईएसयू अवधि का सीपीएसयू बकाया हस्तांतरण योजना नियमों के अनुसार कंपनी की देयता का हिस्सा नहीं था, इसलिये कंपनी ने यह मामला, बकाया राशि को दिल्ली सरकार से गैर वापसी योग्य वित्तीय सहयोग मानने के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को भेजा है। इस संदर्भ में दिल्ली सरकार इस ऋण को रद्द करने और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पक्ष में एक मुश्त अनुदान में बदलने के लिये केंद्र सरकार से लगातार संपर्क कर रही है। दिल्ली सरकार ने भारत सरकार से यह भी कहा है कि इस राशि को दिल्ली सरकार के लिये एक मुश्त अनुदान में बदल देने से डीपीसीएल के खाते में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को भुगतान योग्य दिखाई गयी यह राशि अपने आप दिल्ली सरकार द्वारा डीपीसीएल के लिये एक मुश्त अनुदान में बदल जायेगी। इस संदर्भ में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बिजली विभाग ने 18.04.2017 को भारत सरकार के बिजली मंत्रालय को फिर इस आशय का प्रतिवेदन भेजा है। इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विद्युत सचिव ने भारत सरकार के बिजली मंत्रालय के सचिव को दिनांक 21.10.2020 को डीओ पत्र भी भेजा है। इस बारे में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से लंबित अनुमोदन के कारण कंपनी इस ऋण राशि को ब्याज सहित बकाया और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से अग्रिम के रूप में वसूली योग्य दिखला रही है, जिसे इस टिप्पणी और टिप्पणी-9 में 'अन्य गैर वर्तमान आस्तियों' के रूप में दर्शाया गया है। इसे देखते हुए लेखा में ऋण की बकाया राशि पर दंड स्वरूप ब्याज का प्रावधान नहीं किया गया है।

9.2 8,116 लाख रुपये (पिछले वर्ष 8,116 लाख) की राशि वसूली योग्य अग्रिम को दर्शाती है जो दिल्ली विद्युत बोर्ड को समाप्त किये जाने की तिथि पर कंपनी को स्थानांतरित हुई थी। हांलाकि अधिशेष समायोजन/पुष्टि के अधीन है, जिसकी प्रक्रिया जारी है और आवश्यक समायोजन सक्षम प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन और समाधान के तहत किया जायेगा।

टिप्पणी 9क. वर्तमान कर रिफंड योग्य

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
कर देयता के लिए प्रावधान		
अदा किया गया अग्रिम कर/काटा गया टीडीएस	2,241.86	-
घटाएं: वर्तमान कर देयता	2202.47	-
वर्तमान कर रिफंड योग्य	39.39	-
कुल	39.39	-

टिप्पणी 10. इक्विटी शेयर पूंजी

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
अधिकृत शेयर पूंजी		
प्रति 10 रुपये का इक्विटी शेयर	1,50,000.00	1,50,000.00
	1,50,000.00	1,50,000.00
जारी, सब्सक्राइब्ड और भुगतान की गयी पूंजी		
प्रति 10 रु. इक्विटी शेयर, पूर्ण चुकता	74,505.000	74,505.00
कुल	74,505.00	74,505.00

शेयरों की संख्या का मिलान

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में बचे शेयर	74,50,50,000	74,50,50,000
अवधि के दौरान योग		9.84
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बचे शेयर	74,50,50,000	74,50,50,000

शेयरों से जुड़े अधिकार, प्राथमिकताएं और प्रतिबंध

कंपनी के पास प्रत्येक 10 रुपये मूल्य का केवल एक ही श्रेणी का शेयर है। प्रत्येक शेयर धारक को समान वोटिंग, पूंजी और अन्य अधिकार हैं। शेयर धारक लाभांश प्राप्त करने और शेयर धारकों की बैठक में अपनी शेयर धारिता के अनुपात में वोटिंग अधिकार का पात्र है। निदेशक मंडल की अनुशंसा के बिना शेयरधारकों को कोई भी लाभांश या निधि लौटाने के अन्य साधनों का भुगतान नहीं किया जायेगा।

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर धारकों को वितरित किये जाने के लिये मान्य प्रति शेयर लाभांश की राशि 'शून्य' थी।

कंपनी में कुल शेयर के 5% से अधिक धारिता वाले शेयरधारकों के शेयरों का विवरण:

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
शेयरों की संख्या	74,50,50,000	74,50,50,000
दिल्ली के उपराज्यपाल और नामिति निदेशक/रा.रा.क्षे.दि.स.के कर्मचारी	100%	100%

टिप्पणी 11. अन्य इक्विटी

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
पूंजी रिजर्व		
रा.रा.क्षे.दि.स.से सहायता अनुदान		
31 मार्च 2020 को शेष	2,07,969.69	2,07,969.69
	2,07,969.69	2,07,969.69
बहाल आमदनी		
आरंभिक शेष	(1,10,032.00)	(1,22,718.66)
जोड़े: वर्ष के लिये लाभ	13,964.46	12,686.66
जोड़ें: वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	27922.00	
	(68,145.54)	(1,10,032.00)
कुल	1,39,824.15	97,937.69

टिप्पणी 12. गैर वर्तमान देयताएं— वित्तीय देयताएं

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
ऋण / उधारी—असुरक्षित		
(i) रा.रा.क्षे.दि.स, सीपीएसयू बकाया (डीईएसयू अवधि)	3,32,639.00	3,32,639.00
घटाये: उधारी की वर्तमान परिपक्वता	(2,99,375.10)	(2,66,111.20)
कुल	33,263.90	66,527.80

12.1 भारत सरकार के निर्णय के अनुसार सीपीएसयू और रेल मंत्रालय को भुगतान योग्य डीईएसयू अवधि की बिजली खरीद देयता का निर्वहन रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा किया जाना था, और इसके लिये भारत सरकार ने रा.रा.क्षे.दि.स. को 3,32,639 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत/संवितरित किया था। रा.रा.क्षे.दि.स. ने सीपीएसयू बकाये के भुगतान के लिये यह ऋण 9.50 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर कंपनी को संवितरित कर दिया और 31 मार्च 2014 से 10 समान किस्तों में ऋण चुकाने का निर्देश दिया। चूंकि कंपनी कोई वाणिज्यिक राजस्व सृजित नहीं करती इसलिये वह तय भुगतान रूपरेखा के अनुसार ऋण देयता के भुगतान में सक्षम नहीं हुई और कंपनी के जिम्मे 31.03.2021 को 33,263.90 लाख रुपये (पिछले वर्ष 66,527.80 लाख रुपये) बकाया हैं। परन्तु, कंपनी की राय में डीईएसयू अवधि का सीपीएसयू बकाया हस्तांतरण योजना नियमों के अनुसार कंपनी की देयता का हिस्सा नहीं था, इसलिये कंपनी ने यह मामला, बकाया राशि को दिल्ली सरकार से गैर वापसी योग्य वित्तीय सहयोग मानने के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को भेजा है। इस संदर्भ में दिल्ली सरकार इस ऋण को रद्द करने और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पक्ष में एक मुश्त अनुदान में बदलने के लिये केंद्र सरकार से लगातार संपर्क कर रही है। दिल्ली सरकार ने भारत सरकार से यह भी कहा है कि इस राशि को दिल्ली सरकार के लिये एक मुश्त अनुदान में बदल देने से डीपीसीएल के खाते में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को भुगतान योग्य दिखाई गयी यह राशि अपने आप दिल्ली सरकार द्वारा डीपीसीएल के लिये एक मुश्त अनुदान में बदल जायेगी। इस संदर्भ में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बिजली विभाग ने 18.04.2017 को भारत सरकार के बिजली मंत्रालय को फिर इस आशय का प्रतिवेदन भेजा है। इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विद्युत सचिव ने भारत सरकार के बिजली मंत्रालय के सचिव को दिनांक 21.10.2020 को डीओ पत्र भी भेजा है। इस बारे में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से लंबित अनुमोदन के कारण कंपनी इस ऋण राशि को ब्याज सहित बकाया और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से अग्रिम के रूप में वसूली योग्य दिखला रही है, जिसे टिप्पणी-9 "अन्य वर्तमान आस्तियां" में दर्शाया गया है। इसे देखते हुए लेखा में ऋण की बकाया राशि पर दंड स्वरूप ब्याज का प्रावधान नहीं किया गया है।

12.2 उधारियां उचित मूल्य होने से परिशोधित मूल्य पर ली गयी है।

टिप्पणी 13. व्यापार भुगतान योग्य ऋणदाता – गैर वर्तमान देयताएं

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
व्यापार भुगतान योग्य		
सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों को दाय	-	-
सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों के अलावा अन्य को दाय	16,933.98	16,933.98
कुल	16,933.98	16,933.98

13.1 दिल्ली विद्युत बोर्ड (डीवीबी) समाप्त किये जाने पर पांच उत्तराधिकारी कंपनियों को हस्तांतरित किये जाने के बाद रह गयीं डीवीबी की सभी आस्तियां और देयताएं दिल्ली बिजली सुधार (हस्तांतरण योजना) विनियम, 2001 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी द्वारा ले ली गयीं थीं। इसके अनुसार फूटकर ऋणदाताओं (डीवीबी अवधि) के प्रति देयता राशि 16,933.98 लाख रुपये, डीवीबी से ली गयी देयताओं की राशि है जो समायोजन/पुष्टि के अधीन है। समाधान प्रक्रिया जारी है और सक्षम प्राधिकरण के समाधान/अनुमोदन द्वारा आवश्यक समायोजन किया जायेगा।

13.2 व्यापार भुगतान योग्य/ऋणदाताओं को उचित मूल्य होने के कारण परिशोधित मूल्य पर रखा गया है।

टिप्पणी 14. अन्य वित्तीय देयताएं— गैर वर्तमान देयताएं

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
अन्य		
(i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	1,57,709.00	1,57,709.00
कुल	1,57,709.00	1,57,709.00

- 14.1** दिल्ली विद्युत बोर्ड (डीवीबी) समाप्त किये जाने पर पांच उत्तराधिकारी कंपनियों को हस्तांतरित किये जाने के बाद रह गयीं डीवीबी की सभी आस्तियां और देयताएं दिल्ली बिजली सुधार (हस्तांतरण योजना) विनियम, 2001 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी द्वारा ले ली गयीं थीं। इसके अनुसार रा.रा.क्षे.दि.स. को भुगतान योग्य राशि, जैसा कि उपर दर्शाया गया है, सौदे/आपतन का निवल प्रभाव व्यक्त करती है और वसूली योग्य नहीं श्रेणी की विभिन्न आस्तियों और भुगतान योग्य नहीं श्रेणी की वर्तमान देयताएं/फुटकर ऋणदाताओं को रद्द किया जाना आवश्यक बनाती है क्योंकि ये सौदे/आपतन कंपनी के दायित्व नहीं हैं। परन्तु, रा.रा.क्षे.दि.स. को भुगतान योग्य दर्शायी गयी राशि कंपनी और रा.रा.क्षे.दि.स. के विद्युत विभाग के बीच पुष्टि/समाधान के अधीन है। समाधान प्रक्रिया जारी है और सक्षम प्राधिकरण के समाधान/अनुमोदन द्वारा आवश्यक समायोजन किया जायेगा।

टिप्पणी 15. अन्य वित्तीय देयताएं—वर्तमान

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
(a) दीर्घावधि उधारियों की वर्तमान परिपक्वता (टिप्पणी 12 देखें)	2,99,375.10	2,66,111.20
(b) रा.रा.क्षे.दि.स.को भुगतानयोग्य सीपीएसयू बकाया(डीईएसयू अवधि) के लिये उधारियों पर प्रोद्भूत ब्याज	2,27,178.77	1,95,578.06
कुल	5,26,553.87	4,61,689.26

- 15.1** भारत सरकार के निर्णय के अनुसार सीपीएसयू और रेल मंत्रालय को भुगतान योग्य डीईएसयू अवधि की बिजली खरीद लागत की देयता का निर्वहन रा.रा.क्षे.दि.स.द्वारा किया जाना था और इसके लिये भारत सरकार ने रा.रा.क्षे.दि.स. को 3,32,639 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत/संवितरित किया था। रा.रा.क्षे.दि.स. ने सीपीएसयू बकाये के भुगतान के लिये यह ऋण 9.50 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर कंपनी को संवितरित कर दिया। यह ऋण 31 मार्च 2014 से 10 समान किस्तों में चुकाया जाना था। चूंकि कंपनी कोई वाणिज्यिक राजस्व सृजित नहीं करती इसलिये वह तय भुगतान रुपरेखा के अनुसार ऋण देयता के भुगतान में सक्षम नहीं हुई और कंपनी के जिम्मे 31.03.2021 को 2,99,375.20 लाख रुपये (पिछले वर्ष 2,66,111.20 लाख रुपये) बकाया हैं। हालांकि कंपनी की राय में डीईएसयू अवधि का सीपीएसयू बकाया हस्तांतरण योजना नियमों के अनुसार कंपनी की देयता का हिस्सा नहीं था, इसलिये कंपनी ने यह मामला, बकाया राशि को दिल्ली सरकार से गैर वापसी योग्य वित्तीय सहयोग मानने के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को भेजा है। इस संदर्भ में दिल्ली सरकार इस ऋण को रद्द करने और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पक्ष में एक मुश्त अनुदान में बदलने के लिये केंद्र सरकार से लगातार संपर्क कर रही है। दिल्ली सरकार ने भारत सरकार से यह भी कहा है कि इस राशि को दिल्ली सरकार के लिये एक मुश्त अनुदान में बदल देने से डीपीसीएल के खाते में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को भुगतान योग्य दिखाई गयी यह राशि अपने आप दिल्ली सरकार द्वारा डीपीसीएल के लिये एक मुश्त अनुदान में बदल जायेगी। इस संदर्भ में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बिजली विभाग ने 18.04.2017 को भारत सरकार के बिजली मंत्रालय को फिर इस आशय का प्रतिवेदन भेजा। इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विद्युत सचिव ने भारत सरकार के बिजली मंत्रालय के सचिव को दिनांक 21.10.2020 को डीओ पत्र भी भेजा है। इस बारे में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से लंबित अनुमोदन के कारण कंपनी इस ऋण राशि को ब्याज सहित बकाया और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से अग्रिम के रूप में वसूली योग्य दिखला रही है, जिसे टिप्पणी—5 और टिप्पणी—9 में दर्शाया गया है। इसे देखते हुए लेखा में ऋण की बकाया राशि पर दंड स्वरूप ब्याज का प्रावधान नहीं किया गया है।

- 15.2** अन्य वित्तीय देयताएं चालू वित्तीय वर्ष के अंत में उचित मूल्य पर होने के कारण परिशोधित मूल्य पर ली गयी है।

टिप्पणी 16. व्यापार भुगतान योग्य

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
व्यापार भुगतान योग्य		
सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों को दाय	2.70	2.38
सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों के अलावा अन्य को दाय	-	-
कुल	2.70	2.38

टिप्पणी- 17. अन्य वर्तमान देयताएं

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
व्यय भुगतान योग्य	1.60	2.11
लेखा परीक्षक पारिश्रमिक भुगतानयोग्य	3.43	3.91
सुरक्षा जमा/प्रतिधारण राशि	0.05	0.05
वैधानिक देयताएं		
टीडीएस कॉन्ट्रैक्टर	0.14	0.15
टीडीएस वैधानिक/पेशेवर	0.65	0.68
प्रतिप्रभार के अंतर्गत जीएसटी	0.05	0.03
कुल	5.92	6.93

टिप्पणी 18. अल्पावधि प्रावधान

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
सीएसआर के लिए प्रावधान (देखें टिप्पणी संख्या 24 (ii))	203.66	-
कर देयता के लिए प्रावधान		
वर्ष के लिए कर देयता	-	1,422.28
घटाएं: अग्रिम कर/टीडीएस कटौती	-	(1,367.06)
वर्तमान कर देयता		55.22
कुल	203.66	55.22

टिप्पणी 19. उचित मूल्य के रूप में परिशोधित लागत पर वित्तीय आस्तियां

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
अन्य वित्तीय आस्तियां (टिप्पणी 8 देखें)	48,799.37	50,525.00
नकदी और नकदी समतुल्य (टिप्पणी 6 देखें)	165.84	3,511.07
नकदी और नकदी समतुल्य के अतिरिक्त बैंकशेष (टिप्पणी 7 देखें)	1,30,207.93	1,18,132.87
कुल	1,79,173.14	1,72,168.94

टिप्पणी 20. उचित मूल्य के रूप में परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
गैर-चालू देयताएं – वित्तीय देयताएं (ऋण/उधार – नोट 12 देखें)	33,263.90	66,527.80
व्यापार देय / लेनदार (नोट 13 देखें)	16,933.98	16,933.98
अन्य वित्तीय देनदारियां – गैर-वर्तमान देनदारियां (नोट 14 देखें)	1,57,709.00	1,57,709.00
अन्य वित्तीय देनदारियां – चालू (नोट 15 देखें)	5,26,553.87	4,61,689.26
व्यापार देय (नोट 16 देखें)	2.70	2.38
कुल	7,34,463.45	7,02,862.42

टिप्पणी 21. संचालन से राजस्व

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
कुल	-	-

टिप्पणी 22. अन्य आय

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
लाभांश आय		
टीपीडीडीएल से लाभांश		
इक्विटी शेयर	6,491.52	4,868.64
बैंक जमा पर ब्याज	6,708.36	8,373.30
विविध आय	-	48.80
डीटीएल में निवेश पर पूर्व वर्षों में सृजित क्षति प्रावधानों में बदलाव	3,561.20	1,109.20
कुल	16,761.08	14,399.94

22.1 वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए टीपीडीडीएल द्वारा 6185.76 लाख रुपये के इक्विटी लाभांश की घोषणा की गई है, परन्तु, इस संबंध में कंपनी की लेखा नीति के अनुसार इसे चालू अवधि के दौरान कंपनी की आय के रूप में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि यह राशि 31.03.2021 को वित्तीय वर्ष समाप्त होने तक प्राप्त नहीं हुई है। इक्विटी डिविडेंड की उक्त राशि कंपनी को जुलाई, 2021 के माह में प्राप्त हुई है।

टिप्पणी 23. कर्मचारी लाभ व्यय

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
वेतन, पारिश्रमिक, भत्ता और लाभ	324.45	217.43
कुल	324.45	217.43

23.1 डीपीसीएल में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन और पारिश्रमिक की राशि डीटीएल और आईपीजीसीएल द्वारा डीपीसीएल में कार्यरत कर्मचारियों के लिये जारी वेतन, पारिश्रमिक इत्यादि विवरण पर आधारित है।

टिप्पणी 24. अन्य व्यय

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
प्रशासनिक और सामान्य व्यय		
कानूनी और पेशेवर शुल्क	4.61	10.86
यात्रा और परिवहन	0.09	0.73
निदेशक बैठक शुल्क	0.24	0.65
विविध व्यय	0.98	0.95
बैंक प्रभार	0.05	0.08
डाक और टेलीफोन	1.02	1.86
छपाई और स्टेशनरी	1.77	2.23
मरम्मत और रखरखाव	0.72	0.60
पुस्तकें और पत्रिकाएँ	0.09	0.13
वाहन बीमा	0.06	-
वाहन-पेट्रोल	0.16	0.16
मानव शक्ति हायरिंग व्यय	36.31	35.46
डी-मैट शुल्क	0.02	0.02

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
बिजली शुल्क	4.80	4.88
शुल्क और अंशदान	0.22	0.18
कम्प्यूटर सामान	1.17	1.07
कर और शुल्क	0.10	1.00
कार्यालय की साफ सफाई	0.32	0.15
कार्यालय रखरखाव व्यय	0.93	0.81
परामर्श शुल्क	6.07	6.12
लेखापरीक्षा शुल्क (देखें टिप्पणी संख्या 24 (i))	4.45	4.56
आस्तियों को दर्ज करने पर व्यय	-	0.01
एमएटी/आयकर पर ब्याज (दंडात्मक ब्याज)		
सीएसआर व्यय (देखें टिप्पणी संख्या 24 (ii))	203.66	-
कुल	267.84	72.51

(i) लेखा परीक्षकों को भुगतान

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
लेखा परीक्षा शुल्क		
वैधानिक लेखापरीक्षक	3.03	2.92
कर लेखापरीक्षक	0.47	0.40
वैधानिक लेखापरीक्षकों पर अतिरिक्त व्यय	0.50	0.50
आंतरिक लेखापरीक्षक	0.45	0.45
सचिवालयीय लेखापरीक्षक	-	0.29
कुल	4.45	4.56

(ii) कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व व्यय (सीएसआर)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति), नियम 2021 के साथ संशोधित, कंपनी अपनी सीएसआर नीति के अनुसार सीएसआर गतिविधियों के लिए खर्च करती है। वर्ष के लिए सीएसआर व्यय का विवरण इस प्रकार है:

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली कुल राशि	203.66	93.98
ख) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	-	-
i) किसी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-
ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	-	-
— विभिन्न न्यासों/एनजीओ/सोसाइटियों/एजेंसियों में योगदान और उनका उपयोग	-	-
— सीएसआर के लिए नियमित प्रशासनिक व्यय	-	-
कुल	203.66	93.98

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के साथ पठित धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) मद में क्रमशः 54.99 लाख और 93.98 लाख रुपये खर्च किए जाने अपेक्षित थे। यह धनराशि राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय (आरपीवीवी), सिविल लाइंस, शिक्षा निदेशालय, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार, में विद्यार्थियों के लिए उपकरणों के साथ कनेक्टेड कक्षाओं की स्थापना संबंधी गतिविधियां पर पहले ही खर्च की जा चुकी है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2020-21 में "प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष" के लिए सितंबर 2021 तक 203.66 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

टिप्पणी 25: प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (ईपीएस)

प्राथमिक ईपीएस राशि की गणना वर्ष के दौरान इक्विटी धारकों से संबद्ध लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

डाइल्यूटिव ईपीएस राशियों की गणना मूल इक्विटी धारकों से संबद्ध लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और इक्विटी शेयरों में परिवर्तित किए जाने वाले सभी संभावित डाइल्यूटिव इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या के योग के प्रतिफल से विभाजित (परिवर्तनीय वरीयता शेयरों पर ब्याज के समायोजन के बाद) करके की जाती है।

निम्नलिखित तालिका प्राथमिक और डाइल्यूटिव ईपीएस संगणना में प्रयुक्त आय और शेयरों से संबंधित डेटा दर्शाती है।

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
प्राथमिक अर्जन		
रिपोर्टिंग वर्ष के आरंभ में इक्विटी शेयर	74,50,50,000	74,50,50,000
वर्ष के दौरान योग	-	-
वर्ष के अंत में कुल शेयर	74,50,50,000	74,50,50,000
रिपोर्टिंग वर्ष का लाभ (रुपये में)	41886.46	12686.66
प्रत्येक 10 रुपये के इक्विटी शेयर पर प्राथमिक अर्जन (रुपये में)	5.62	1.70
तनुकृत अर्जन		
वर्ष के आरंभ में इक्विटी शेयर	74,50,50,000	74,50,50,000
वर्ष के दौरान योग	-	-
वर्ष के अंत में कुल शेयर	74,50,50,000	74,50,50,000
वर्ष का लाभ (रुपये में)	41886.46	12686.66
प्रत्येक 10 रुपये के इक्विटी शेयर पर तनुकृत अर्जन (रुपये में)	5.62	1.70

टिप्पणी 26: आकस्मिक देयता और प्रतिबद्धताएँ

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
क) कंपनी के खिलाफ दावे जो ऋण के रूप में मान्य नहीं	5856.03	5801.04
ख) अतिरिक्त आयकर की मांग	5951.43	4525.44
ग) अन्य प्रतिबद्धताएं (राजस्व की मांग)		
कुल	11,807.46	10,326.48

26.1 उपरोक्त क्रम संख्या (क) के अनुसार आकस्मिक देयताएं जिला न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और संपत्ति कर अधिकरण में लंबित अदालती मामले दर्शाती हैं। इन मामलों में हांलाकि कंपनी अपने कानूनी दृष्टिकोण से प्रतिपक्षों/दावेदारों द्वारा उठाये गये दावों के लिये उत्तरदायी नहीं है लेकिन चूंकि कंपनी को इस मामले में प्रतिवादी/जवाबदेह बनाया गया है इसलिये कंपनी अदालत में ये मुकदमें लड़ रही है। इसलिये कानूनी दृष्टिकोण से कंपनी पर प्रतिपक्ष द्वारा विभिन्न अदालतों में दायर इन दावों के लिये कोई वर्तमान दायित्व नहीं है और इसे देखते हुए वर्तमान वित्त वर्ष 2020-21 के लिये लेखा में देयता के किसी प्रावधान की जरूरत नहीं है। परन्तु, इंड एस 37 के अनुसार विभिन्न अदालतों और अधिकरणों में लंबित दावों की राशि आकस्मिक देयता के रूप में दर्शायी गयी है।

26.2 उपर्युक्त क्रम संख्या क) और ख) में दर्शायी गयी आपात देयता की राशि ब्याज या विलंब भुगतान अधिशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, प्रभारित किये जाने के अधीन है।

26.3 डीपीसीएल की आकस्मिक देयताओं की सूची

मामला संख्या	शीर्षक	राशि (रुपये में)	विषय वस्तु
एक्स. 47 / 2004	ईसीई इंडस्ट्रीज बनाम डीपीसीएल और अन्य	13,164,274.82	पंचाट के विरुद्ध किया गया भुगतान डीटीएल द्वारा 1.34 करोड़ और डीपीसीएल द्वारा 67 लाख
एफएओ.सं.74 / 2011	डीपीसीएल बनाम ए.के. बिल्डर्स	166,062.00	डीपीसीएल ने आर्बिट्रेशन संख्या 01/10/2010 में एडीजे साकेत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.10.2010 को चुनौती दी है, जिसके तहत डीपीसीएल को 2,54,628 रुपये की राशि का 50% ब्याज सहित भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।
एफएओ.सं.08 / 2020	मैसर्स कैपिटल ट्रांसफॉर्मर बनाम डीपीसीएल और अन्य	1,992,072.00	दिनांक 30.08.2019 के आदेश के विरुद्ध मध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम 1966 की धारा 37 के तहत अपील
एफएओ.सं.11 / 2020	मैसर्स कैपिटल ट्रांसफॉर्मर बनाम डीपीसीएल और अन्य		दिनांक 30.08.2019 के आदेश के विरुद्ध मध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम 1966 की धारा 37 के तहत अपील
आर्बि.सं. 584308 / 2016	मैसर्स गगन साहनी बनाम दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड	421,251.00	गगन साहनी द्वारा आर्बिट्रेशन की धारा 34 के तहत 24/7/2015 को दायर याचिका
आर्बि.सं. 584341 / 2016	डीपीसीएल बनाम मैसर्स युगल कंस्ट्रक्शन्स		33के ग्रीड सब स्टेशन, रानी बाग में नियंत्रण कक्ष भवन निर्माण के लिए कार्य अनुबंध दिनांक 03/12/1997 के संबंध में भुगतान विवाद
केस सं.	टीपीडीडीएल बनाम एनडीएमसी	मूल्यांकित प्लॉट 8080 वर्ग फिट राशि की गणना नहीं	संपत्ति कर देयता
केस सं.	बीएसईएस आरपीएल बनाम एसडीएमसी	318,400,292.00	संपत्ति कर देयता
केस सं.	बीएसईएस वाईपीएल बनाम ईडीएमसी	168,277,023.00	संपत्ति कर देयता
आर्बि.सं. 4298 / 2016	टीपीडीडीएल बनाम विशाल कुमार शर्मा एवं अन्य (आर्बि. याचिका संख्या 127 / 2009)	471,384.00	टीपीडीडीएल ने ले. आर्बिटेटर श्री एच.सी. अग्रवाल, द्वारा पारित निर्णय को चुनौती दी।
आर्बि.सं. 4296 / 2016	टीपीडीडीएल बनाम विशाल कुमार शर्मा एवं अन्य (आर्बि.याचिका संख्या 126 / 2009)	483,816.19	याचिकाकर्ता टीपीडीडीएल ने मध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम की धारा 34 के तहत मध्यस्थता याचिका दाखिल की।
आर्बि.सं. 4297 / 2016	टीपीडीडीएल बनाम विशाल कुमार शर्मा एवं अन्य (आर्बि.याचिका संख्या 125 / 2009)	480,985.00	याचिकाकर्ता टीपीडीडीएल ने मध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम की धारा 34 के तहत मध्यस्थता याचिका दाखिल की।
आर्बि.सं. 240 / 2019 (ओल्ड न. 97208 / 2016)	हिंदुस्तान विद्युत प्रोड. बनाम डीपीसीएल	303,142.00	निविदा के माध्यम से डीवीबी के समय वादी द्वारा जमा किए गए ब्याज सहित सुरक्षा राशि की वापसी
आरएफए संख्या 145 / 2011	जीएस माथुर बनाम डीपीसीएल	725,000.00	मामला ठेकेदार के कार्य से संबंधित है और पूर्व डीवीबी द्वारा भुगतान जारी नहीं किया गया था क्योंकि मूल कार्य ठेकेदार द्वारा पूरा नहीं किया गया था। वर्तमान मामला जिला न्यायालय द्वारा पारित आदेश से नियमित प्रथम अपील है।
एफएओ (ओएस) कम्पु-93 / 2019	बीवाईपीएल बनाम कनोहर इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और अन्य	4,775,868.00	याचिकाकर्ताओं ने मध्यस्थता की कार्यवाही और दिल्ली उच्च न्यायालय के पिछले आदेश को चुनौती दी
एफएओ (ओएस) कम्पु-103 / 2019	टीपीडीडीएल बनाम कनोहर इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और अन्य।		निविदा के माध्यम से डीवीबी के समय वादी द्वारा जमा किए गए ब्याज सहित सुरक्षा राशि की वापसी
विविध 119 / 70 / 2012	डीटीएल बनाम मैसर्स साई इलेक्ट्रिकल एंड अन्य।	8,370,903.60	ठेकेदार विवाद में डीटीएल ने उत्तर प्रदेश राज्य सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद, कानपुर द्वारा पारित निर्णय, दिनांक 06.05.2012, के विरुद्ध जिला न्यायाधीश कानपुर न्यायालय में मध्यस्थता की धारा 34 के तहत अर्जी दाखिल की है।
सीएस(ओएस) 1582 / 2000	अंसल थिएटर एंड क्लब्स लिमिटेड बनाम डीपीसीएल	65,500,000.00	मैसर्स अंसल थिएटर एंड क्लबोटेल्स द्वारा दायर मुकदमे में पूर्ववर्ती डीवीबी, अब कब्ज और उत्कृष्ट, के खिलाफ 6 करोड़ रुपये के नुकसान का दावा किया गया है। विषय उपहार त्रासदी मामले से संबंधित है।
आरएफए संख्या. 139 / 2009	डीपीसीएल बनाम राम मोहन सहाय	339,562.00	ठेकेदार विवाद में डीपीसीएल ने केस नं. 115 / 2007 में लर्नेड एडीजे द्वारा पारित रु. 3,39,562/- के निर्णय और आदेश, दिनांक 17.09.2008 के खिलाफ अपील दायर की।
आरएफए संख्या 284 / 2013 (सूट संख्या 252 / 2005 में)	अशोक कुमार शर्मा (मैसर्स चतुर भुज एंटरप्राइजेज) बनाम डीपीएससीएल	1,731,902.00	याचिकाकर्ता ने इस प्रार्थना के साथ याचिका दायर की कि एडीजे द्वारा वाद संख्या 112/2011 में, दिनांक 30/01/2013 को पारित आदेश को अपास्त/रद्द किया जाए।
कुल		585,603,537.61	

टिप्पणी 27-वित्तीय जोखिम प्रबंधन-उद्देश्य और नीतियां

कंपनी की मूल वित्तीय देयताओं में उधारी और देनदारियां शामिल हैं। वित्तीय देयताएं दिल्ली विद्युत बोर्ड समाप्त किये जाने की अवधि से पहले की देयताओं के कारण रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा सौंपे गये वित्तीय दायित्वों के कारण हैं। कंपनी की मूल वित्तीय आस्तियों में ऋण और अग्रिम, नकदी और नकदी समतुल्य, बैंक शेष और जमा तथा अन्य प्राप्य शामिल हैं। ये मुख्य रूप से निवेशी कंपनियों से प्राप्त लाभांश तथा दिल्ली विद्युत बोर्ड की विभाजन तिथि पर वसूली योग्य और अन्य अग्रिम प्राप्त हो जाने से और आधिक्य निधि से किये गये एफडीआर पर ब्याज से प्राप्त होते हैं।

कंपनी को किसी बाजार जोखिम, लिक्विडिटी जोखिम और ऋण जोखिम की आशंका नहीं है क्योंकि कंपनी ऋण और अग्रिम स्वीकार करने और मंजूर करने के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मध्यस्थ के रूप में कार्य कर रही है और किसी वाणिज्यिक या व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं है।

इसके अलावा कंपनी की सभी उधारियां निर्धारित ब्याज दर पर हैं और इसलिये उसे किसी ब्याज दर जोखिम की आशंका नहीं है। नकदी और नकदी समतुल्य तथा बैंक शेष और जमा के मामले में भी उसे कोई जोखिम नहीं है।

टिप्पणी-28 श्रेणी और उचित मूल्य वर्गीकरण द्वारा वित्तीय साधन

कंपनी के वित्तीय साधनों की मौजूदा राशि और उचित मूल्य की श्रेणीगत तुलना उचित मूल्य से तर्कसंगत निकटता की मौजूदा राशियों से नीचे दी गयी है।

विवरण	मौजूदा मूल्य		उचित मूल्य	
	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
वित्तीय आस्तियां				
इक्विटी शेयरों में निवेश	1,64,158.00	1,32,674.80	1,64,158.00	1,32,674.80
नकदी और बैंक शेष	165.84	3,511.07	165.84	3,511.07
नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष	1,30,207.93	1,18,132.87	1,30,207.93	1,18,132.87
अन्य वित्तीय आस्तियां	3,508.17	-	3,508.17	-
	48,799.37	50,525.00	48,799.37	50,525.00
वित्तीय देयताएं				
गैरवर्तमान देयता-वित्तीय देयता	3,32,639.00	3,32,639.00	3,32,639.00	3,32,639.00
अन्य वित्तीय देयताएं	3,84,887.76	3,53,287.06	3,84,887.76	3,53,287.06

नकदी और नकदी समतुल्य, बैंक शेष और जमा, वसूली योग्य, अन्य भुगतान योग्य इत्यादि अपनी लघु अवधि के कारण अपने वर्तमान मूल्य के समान माने गये हैं।

टिप्पणी संख्या 4, 4क, 6, 7, 8, 12, 14 और 15 में उल्लिखित वित्तीय आस्तियां और देयताएं, स्थानांतरण योजना विनियम में निर्दिष्ट मूल्य पर पूर्ववर्ती दिल्ली विद्युत बोर्ड से ली गयीं आस्तियों और देयताओं सहित, वर्तमान मूल्य पर दर्ज की गयी हैं क्योंकि इनका समाधानधुष्टि धसमायोजन होना है।

टिप्पणी-29: पूंजी प्रबंधन

पूंजी में कंपनी के शेयर धारकों के लिये निर्धारित जारी इक्विटी पूंजी और अन्य इक्विटी रिजर्व शामिल हैं। कंपनी के पूंजी प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य पूंजी लागत कम करने के लिये समुचित पूंजी व्यवस्था बनाये रखना और शेयर धारक मूल्य अधिकतम करना है। कंपनी आर्थिक परिस्थितियों में बदलाव और वित्तीय संविदाओं की आवश्यकतानुसार पूंजी संरचना व्यवस्थित करती

है और जरूरी समायोजन करती है। पूंजी संरचना बनाये रखने या व्यवस्थित करने के लिये कंपनी शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान समायोजित कर सकती है, पूंजी लौटा सकती है या नये शेयर जारी कर सकती है। (लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
उधारी (ब्याज सहित)	5,59,817.77	5,28,217.06
घटाये: नकदी और अन्य नकदी आस्तियां	1,30,373.77	1,21,643.95
निबल ऋण	4,29,444.00	4,06,573.11
इक्विटी	2,14,329.15	1,72,442.69
निबल ऋण/इक्विटी अनुपात	2.00	2.36

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान पूंजी प्रबंधन के लिये उद्देश्यों, नीतियों या प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

30. कर व्यय

कंपनी अनावशोषित अग्रसारित हानियों के लिये वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 जे बी के तहत अपनी लाभ बही में न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) के भुगतान के लिये उत्तरदायी है, जो 2202.47 लाख रुपये है।

31. आस्थगित कर देयताएं/आस्तियां

(लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च 2021 को		31 मार्च 2020 को	
		राशि	राशि	राशि	राशि
क.	आस्थगित कर देयता				
क)	आस्तियों की डबल्यूडीवी का अंतर	--	--	--	--
	उप योग (ए)	--	--	--	--
ख.	आस्थगित कर आस्तियां				
क)	आस्तियों की डबल्यूडीवी का अंतर	5.15	1.42	5.21	1.67
ख)	आयकर के अनुसार अनावशोषित ह्रास	--	--	--	14.05
ग)	आयकर के अनुसार अनावशोषित हानि	--	--	--	315.12
	उप योग (बी)	5.15	1.42	5.21	330.84
	आस्थगित कर आस्ति (निबल)	5.15	1.42	5.21	330.84
	(बी-ए)				

कंपनी ने वर्तमान वर्ष के लेखे में आस्थगित कर आस्तियों को मान्य नहीं किया है क्योंकि यह निश्चित नहीं है कि कंपनी इसका लाभ भविष्य की आय में ले पायेगी, इसलिये इस आस्ति को मौजूदा वर्ष के लेखे में मान्य करने पर विचार नहीं किया गया है।

32. संबंधित पक्ष प्रकटीकरण

क) इंड एस 24 के अनुसार निर्दिष्ट संबंधित पक्षों की सूची नीचे दी गयी है:-

i) प्रमुख प्रबंधन कर्मी (31 मार्च 2021 को)

क्र.सं.	नाम	वर्ष के दौरान	
		नियुक्ति	समाप्ति / जारी
1	श्री सत्य गोपाल, आईएएस, सीएमडी	31.03.2021	जारी
2	सुश्री रिकू धुग्गा, आईएएस, सीएमडी	01.01.2021	31.03.2021
3	सुश्री पद्मिनी सिंगला, आईएएस, सीएमडी	05.07.2019	01.01.2021
4	श्री हरेशंदर सिंह, सीएफओ	09.09.2020	जारी
5	श्री सुरेंद्र बब्बर, सीएफओ	22.06.2016	20.08.2020
6	सुश्री पलक जैन, कंपनी सचिव	21.10.2016	जारी

ii) सहयोगी/संयुक्त उद्यम

- क) बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीएसईएस-आरपीएल)
- ख) बीसीईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीसीईएस-वाईपीएल)
- ग) टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (टीपीडीडीसीएल)
- घ) इंड्रप्रस्थ एनर्जी एंड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड

iii) सहयोगी/संयुक्त उद्यम से भिन्न अन्य संबंधित पक्ष लेन देन

- क) दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड (डीटीएल)
- ख) इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (आईपीजीसीएल)

ख) संबंधित पक्षकार लेन-देन

(लाख रुपये में)

i) विवरण	टीपीडीडीएल		बीएसईएस वाईपीएल		बीएसईएस आरपीएल		डीटीएल		आईपीजीसीएल	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
ऋण बकाया (वसूलियाँ)	2018.82	2018.82	5579.89	5579.89	12293.81	12293.81	17484.04	17808.40	8011.60	8011.60
शेयरों में निवेश	18032.00	18032.00	27244.00	27244.00	50960.00	50960.00	26000.00	26000.00	14000.00	14000.00
लाभांश प्राप्त	6491.52	4868.64	--	--	--	--	--	--	--	--
वर्ष के दौरान समायोजित वेतन और भत्ते	--	--	--	--	--	--	324.45	217.43	--	--
सुरक्षित ऋणों पर प्रोद्भूत ब्याज	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- ii) कंपनी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा वर्ष 2013-14 में वितरित 332639.00 लाख रुपये की राशि के ऋणों के बकाया संव्यवहार डेसू अवधि की सीपीएसयू देयताओं के लिए किए हैं। ऋण के इन संव्यवहारों के उपरांत कंपनी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से समान राशि के लिए वसूली योग्य अग्रिम भी सृजित किए हैं। इस संव्यवहार का स्पष्टीकरण अन्य टिप्पणियों में भी दिया गया है। टिप्पणी संख्या 14 में दर्शाए गए अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के साथ संव्यवहार की राशि पुष्टि एवं समाधान की शर्त के अध्याधीन है।

ग) प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों को पारिश्रमिक

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	2020-21	2019-20
1	सीएमडी	शून्य	शून्य
2	मुख्य वित्तीय अधिकारी	50.28	37.60
3	कंपनी सचिव	20.64	शून्य

वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों — सीएमडी के पारिश्रमिक का वहन कंपनी द्वारा नहीं किया गया, इसलिए उपर्युक्त टिप्पणी में इसे शून्य दिखाया गया है। डीपीसीएल के सीएमडी का पारिश्रमिक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा वहन किया गया।

33. कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर केवल एक मानव शक्ति एजेंसी और अन्य मेसर्स अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड और मेसर्स असलेखा इंटरप्राइजेज को छोड़कर और कोई भी सप्लायर/ठेकेदार धसेवा प्रदाता नहीं है जो 31 मार्च 2021 को 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंजीकृत हों।
34. वर्तमान वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया संबंधित पक्षों/केंद्रों, डिस्कॉम्स, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, अग्रिम, वसूली योग्य और भुगतान योग्य अधिशेष पुष्टि/समायोजन के अधीन है।
35. कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए इंड एस 108 द्वारा अपेक्षित रिपोर्टिंग खंड व्यवहार्य नहीं है।
36. वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में कोई व्यय/आमदनी नहीं है।

37. कर्मचारी सेवा निवृत्ति लाभ

डीपीसीएल में काम कर रहे कर्मचारी या तो डीटीएल/आईपीजीसीएल या अन्य संगठनों से स्थानांतरित हैं या फिर डेपुटेशन पर हैं। कंपनी के कर्मचारियों के वेतन, चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति, एलटीसी, अवकाश वेतन, पेंशन अंशदान आदि का भुगतान डीटीएल/आईपीजीसीएल द्वारा किया जाता है, जहां से ये कर्मचारी स्थानांतरित किये गये हैं और कंपनी में पदस्थापित किये गये हैं। कंपनी कर्मचारियों के वेतन इत्यादि की राशि की प्रतिपूर्ति डीटीएल और आईपीजीसीएल से प्राप्य राशि के समायोजन से करती है। चूंकि कंपनी का अपना कोई नियमित कर्मचारी नहीं है, इसलिये नियोजन की शर्तें भी डीटीएल/आईपीजीसीएल द्वारा तय की जाती हैं। कर्मचारियों के पारिश्रमिक और अन्य लाभों के प्रति देयता के प्रोद्भूत मूल्यांकन का प्रावधान भी डीटीएल और आईपीजीसीएल देखती हैं और इसे कंपनी को प्रभारित नहीं किया जाता।

38. स्वतंत्र निदेशक

31 मार्च 2021 को कंपनी में एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की गई थी। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स ने डीपीसीएल बोर्ड में एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित कुल दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की।

39. कॉर्पोरेट-सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के साथ पठित धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) मद में क्रमशः 54.99 लाख और 93.98 लाख रुपये खर्च किए जाने अपेक्षित थे। यह धनराशि राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय (आरपीवीवी), सिविल लाइंस, शिक्षा निदेशालय, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार, में विद्यार्थियों के लिए उपकरणों के साथ कनेक्टेड कक्षाओं की स्थापना संबंधी गतिविधियां पर पहले ही खर्च की जा चुकी है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2020-21 में "प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष" के लिए सितंबर 2021 तक 203.66 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

40. वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण से पुष्टि के लिये पिछले वर्षों के आंकड़े फिर से वर्गीकृत और समूहबद्ध किये गये हैं।

समान तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते बी आर माहेश्वरी एंड कंपनी एलएलपी

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या 001035 एन/एन 500050

हस्ता/-

सीए संजय नाथ

साझेदार

सदस्यता संख्या 082700

हस्ता/-

(हरशंदर सिंह)

उप महाप्रबंधक वित्त

हस्ता/-

(पलक जैन)

कंपनी सचिव

हस्ता/-

(संजय कुमार लाल)

निदेशक (वित्त)

डीन: 09320148

हस्ता/-

(सत्य गोपाल)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीन: 08144273

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 30.11.2021

स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट

सेवा में, दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड के सदस्य

समेकित इंड एस वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट

अर्हताप्राप्त मत

हमने दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड (आगे 'कंपनी' के रूप में उल्लेख) और इसकी सहयोगी कंपनियों के समेकित वित्तीय विवरण का लेखा परीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च 2021 का तुलन पत्रक, समेकित लाभ- हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में बदलाव संबंधी विवरण और समाप्त हुए वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य स्पष्टीकरण सूचनाओं (यहां समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों का संदर्भ) का सारांश शामिल है।

हमारे मत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट में अर्हताप्राप्त मत के आधार पर पैराग्राफ में दिये गये विषय के प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोड़कर, ये समेकित इंड एस वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) द्वारा अपेक्षित और अधिनियम की धारा 133 के तहत, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) विनियम 2015, संशोधित इंड एस, भारत में स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ पठित, निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप, 31 मार्च 2021 को कंपनी और सहयोगी कंपनियों की स्थिति तथा इसके समेकित लाभ, समेकित कुल व्यापक आय, समेकित नकदी प्रवाह और इस तिथि पर समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में बदलाव का समेकित विवरण उपलब्ध कराते हैं।

अर्हताप्राप्त मत का आधार

1) कंपनी के मामले में

- समेकित इंड एस विवरणों की टिप्पणी संख्या 5.1, 9.1, 12.1, और 15.1 के अनुसार कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2013-14 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से, डीईएसयू अवधि के सीपीएसयू बकाये के भुगतान के लिये 3,32,639 लाख रुपये का ब्याज युक्त ऋण लिया था जिसे 31 मार्च 2014 से दस समान किस्तों में चुकाया जाना था। कंपनी ने मूल राशि और 31 मार्च 2021 तक के बकाया ब्याज, क्रमशः 2,99,375.10 और 2,27,178.77 लाख रुपये का भुगतान नहीं किया। दूसरी तरफ कंपनी ने 3,32,639 लाख रुपये की राशि को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त गैर वापसी योग्य वित्तीय सहयोग माना। 3,32,639 लाख रुपये की मूल राशि और 31 मार्च 2021 तक 2,27,178.77 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1,95,578.06 लाख रुपये) का बकाया ब्याज जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से वसूली योग्य दर्शाया गया है, दिल्ली सरकार की मंजूरी के अधीन है। यही राशि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को भुगतान योग्य वर्तमान देयता के रूप में भी दर्शायी गयी है।
- समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में दी गयी विस्तृत जानकारी के अनुसार पूर्व दिल्ली विद्युत बोर्ड से हस्तांतरित आस्तियों और देयताओं के तहत दर्शायी गयी निम्नलिखित राशि 2002 से विभिन्न विद्युत वितरणधारेण ६ उत्पादन कंपनियों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से समायोजन और पुष्टि के अधीन है।

टिप्पणी संख्या	शीर्षक	उप शीर्षक	ऋण / जमा	राशि (लाख रुपये में)	
				31.03.2021	31.03.2020
देयताएं					
13.1	विभिन्न जमाकर्ता—गैर वर्तमान देयताएं	विभिन्न जमाकर्ता	जमा	16,933.98	16,933.98
14	अन्य वित्तीय देयताएं—गैर वर्तमान देयताएं	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	जमा	1,57,708.99	1,57,708.99
आस्तियां					
5	अन्य गैर वर्तमान आस्तियां	डूबे और संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान	जमा	11,523.97	11,523.97
5	अन्य गैर वर्तमान आस्तियां	डीवीबी के विघटन से पहले की अवधि का वसूली योग्य बिजली बकाया	निकासी	44,653.30	44,653.30
8	अन्य वित्तीय आस्तियां वर्तमान आस्तियां	अग्रिम – अन्य	निकासी	45,393.89	45,718.25
9.2	अन्य वर्तमान आस्तियां	अग्रिम वसूली योग्य	निकासी	8,116.10	8,116.10

उपरोक्त के संदर्भ में समाधान का लंबित परिणाम, समेकित इंड एस वित्तीय विवरण पर संबंधित वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो तो, वह निर्धारण योग्य नहीं है।

2) सहयोगी कंपनियों के मामले में

विषयों का प्रभाव

हम समेकित वित्तीय विवरणों की निम्नलिखित टिप्पणी की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं।

क. कंपनी—

ख. सहयोगी कंपनियां—

1. मेसर्स बीएसईएस यमुना पावर लि.(बीवाईपीएल) और मेसर्स बीएसईएस राजधानी पावर लि. (बीआरपीएल)

हम इंड एस वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में निम्नलिखित मुद्दों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं:

- I. कंपनी को मिले डीईआरसी शुल्क आदेश के संदर्भ में समेकित इंड एस वित्तीय विवरण, जिसमें डीईआरसी ने दिनांक 29 सितंबर 2015 से 28 अगस्त, 2020 तक के विभिन्न शुल्क आदेशों द्वारा कुछ अस्वीकृतियों के साथ, 31 मार्च 2019 तक के राजस्व अंतराल को व्यवस्थित किया है। कंपनी ने अस्वीकृतियों के खिलाफ माननीय अपील ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी-एपीटीईएल में अपील की है। कंपनी ने अस्वीकृतियों के बारे में कानूनी राय प्राप्त की है। इसके आधार पर कंपनी ने अस्वीकृतियों को स्वीकार नहीं किया है, जो अपील के अधीन हैं। कंपनी ने इंड एस (और उसके पूर्ववर्ती एसएस) के अनुसार ऐसी राशियों को, जैसा कि वे सही समझी जानी चाहिए, 31 मार्च 2021 को नियामक आस्थगित लेखा शेष के अनुसार स्वीकृत नियामक फ्रेमवर्क के संदर्भ में कैरिंग मूल्य पर अग्रसारित किया है।
- II. विभिन्न बिजली उत्पादन कंपनियों को देय बकाया राशि और संचित नियामक आस्थगित खाता शेष की समय पर वसूली के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण, जिसके लिए मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।
- III. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा लेखापरीक्षा के संबंध में संलग्न समेकित वित्तीय विवरण।
- IV. संलग्न समेकित वित्तीय विवरण जो कोविड-19 महामारी की स्थिति के अनुमानों और आकलनों के आधार पर प्रबंधन के मूल्यांकन की व्याख्या करता है। यह निष्कर्ष निकाला है कि कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं है। कोविड-19 का प्रभाव अनिश्चित बना हुआ है और इन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तारीख के अनुमान से भिन्न हो सकता है क्योंकि भविष्य में कोविड-19 के प्रसार की अवधि और सीमा का निश्चित रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

परन्तु, इन विवरणों के संदर्भ में हमारी राय अहर्ताप्राप्त नहीं है।

2 इंड्रप्रस्थ एनर्जी एंड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड

हम समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 4.3 की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि इंड्रप्रस्थ एनर्जी एंड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड का लेखा प्रबंधन से प्राप्त अस्थायी गैर लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर समेकित किया गया है।

अन्य मामले

क) समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के 78,860.41 लाख रुपये के शुद्ध लाभ का हिस्सा शामिल है, जैसा कि चार सहयोगी कंपनियों के संबंध में समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों में माना गया है, जिनके वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा हमारे द्वारा नहीं की गई है इस वित्तीय विवरणध्वित्तीय जानकारी की लेखापरीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इन सहयोगी कंपनियों के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है, तथा अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (3) के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट, जहां तक यह उपरोक्त सहयोगियों से संबंधित है, पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

ख) उपरोक्त अन्य मामले के पैराग्राफ (क) में वर्णित कंपनियों के संदर्भ में 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए तुलनात्मक वित्तीय जानकारी, जिस पर इस समेकित इंड एस वित्तीय विवरण में विचार किया गया है, की लेखा परीक्षा अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा की गई है और हमने उन पर भरोसा किया है।

- ग) जैसा कि 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए टिप्पणी संख्या 4ख में वर्णित है कि इस वर्ष के दौरान मैसर्स दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड और मैसर्स इंद्रप्रस्थ पावर कंपनी लिमिटेड को "ऐसोशिएट कंपनियां" नहीं समझा गया है, क्योंकि इन कंपनियों में निवेश 20 प्रतिशत से कम रह गया है, अतः कंपनी ने इन कंपनियों की वित्तीय स्थिति को समेकित विवरण में शामिल नहीं किया है।

समेकित वित्तीय विवरणों के प्रति कंपनी के प्रबंधन और प्रशासन के लिये प्रभारी लोगों का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, सहयोगी कंपनियों सहित कंपनी की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय प्रदर्शन और समेकित नकदी प्रवाह में बदलाव की वास्तविक और निष्पक्ष जानकारी देने वाले एकल वित्तीय विवरणों की, इंड एस और भारत में स्वीकार्य अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयारी के संदर्भ में अधिनियम की धारा 133 में उल्लिखित विषयों के प्रति उत्तरदायी है। कंपनी की सहयोगी और शामिल कंपनियों के निदेशकों के बोर्ड के इस दायित्व में कंपनी की आस्तियों की रक्षा तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और रोकथाम, किसी भी गलत बयानी से मुक्त तथा सही और वास्तविक स्थिति की जानकारी देने वाले वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिये समुचित लेखांकन नीतियों के चयन और कार्यान्वयन, तर्कसंगत और दूरदर्शी निर्णय और आकलन तथा लेखांकन रिकॉर्ड्स की परिशुद्धता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तय करने और लागू करने के उद्देश्य से अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव करना भी शामिल है।

समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी में सहयोगी कंपनियों सहित कंपनी का निदेशक मंडल एक चालू कंपनी के रूप में जारी रहने की कंपनी की क्षमताओं के आकलन, व्यवहार्यता अनुरूप चालू कंपनी से संबंधित मुद्दों के स्पष्टीकरण और लेखांकन के लिये जारी आधार का उपयोग करने के लिये उत्तरदायी है जबतक कि निदेशक मंडल अन्य कोई विकल्प नहीं होने पर कंपनी को लिक्विडेट करना या संचालन बंद करना न चाहता हो।

सहयोगी कंपनियों सहित कंपनी का निदेशक मंडल, कंपनी और सहयोगी कंपनियों की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के निरीक्षण के लिये भी उत्तरदायी है।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिये लेखा परीक्षक के दायित्व

हमारा उद्देश्य है—तर्कसंगत आश्वस्ति प्राप्त करना कि समेकित वित्तीय विवरण समग्र रूप से किसी बड़ी गलतबयानी से, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हुई हो या त्रुटि के कारण, मुक्त हो और इसके अलावा लेखा परीक्षक रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारा मत शामिल हो। तर्कसंगत आश्वस्ति उच्च स्तर का आश्वासन है लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एसए के अनुरूप किया गया लेखा परीक्षण हमेशा किसी बड़ी गलत बयानी का पता लगा ही लेगा। गलतबयानी या तो धोखाधड़ी के कारण हो सकती है या त्रुटि के कारण और यह तभी महत्वपूर्ण मानी जाती है अगर इनसे व्यक्तिगत या समग्र रूप से, इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिये जाने वाले उपयोगकर्ताओं के आर्थिक फैसलों पर असर पड़ने की तर्कसंगत आशंका हो।

एसए के अनुरूप लेखापरीक्षण के तहत हम पूरी लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर निर्णय लेते हैं और पेशेगत संशयात्मकता बनाये रखते हैं। हम यह दायित्व भी निभाते हैं:

- समेकित वित्तीय विवरणों की बड़ी गलतबयानियों के जोखिम की पहचान और आकलन करना, चाहे यह धोखाधड़ी की वजह से हुई हो या किसी त्रुटि की वजह से। इन जोखिमों के अनुकूल लेखा प्रक्रियाएं तय करते हैं और निष्पादित करते हैं और लेखा प्रमाण प्राप्त करते हैं जो हमारे मत का आधार उपलब्ध कराने के लिये पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के कारण की गयी गलतबयानी का पता नहीं लग पाने का जोखिम, त्रुटि के कारण होने वाली गलतबयानी की तुलना में अधिक होता है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गयी चूक, भ्रामक उल्लेख या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल होती है।
- लेखा परीक्षा के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करना ताकि परिस्थितियों के अनुसार समुचित लेखा प्रक्रियाएं तय की जा सकें। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत हम इस बात पर भी अपना मत व्यक्त करने के लिये उत्तरदायी हैं कि कंपनी में समुचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली लागू है या नहीं और इन नियंत्रणों की संचालनगत प्रभावकारिता क्या है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता, लेखांकन आकलनों की तर्कसंगतता और प्रबंधन द्वारा किये गये संबंधित स्पष्टीकरणों के मूल्यांकन के लिये भी उत्तरदायी हैं।

- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के चालू आधार उपयोग की उपयुक्तता के बारे में तथा प्राप्त लेखा प्रमाणों के आधार पर यह निर्णय लेना कि क्या घटनाक्रम और स्थितियों से संबंधित कोई ऐसी अनिश्चितता मौजूद है जो सहयोगी कंपनियों सहित कंपनी के चालू रह पाने की क्षमता पर संदेह उत्पन्न करती हो। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई बड़ी अनिश्चितता मौजूद है तो हमें समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में संबंधित स्पष्टीकरणों पर ध्यान दिलाना होता है, या यदि ऐसे स्पष्टीकरण अपर्याप्त हैं तो हमें अपना मत संशोधित करना होता है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखा प्रमाणों पर आधारित होते हैं। हालांकि भविष्य की घटनाएं और स्थितियां सहयोगियों सहित कंपनी के चालू रहने पर असर डाल सकती हैं और इसका परिचालन बंद हो सकता है।
- समग्र प्रस्तुति, समेकित वित्तीय विवरणों की रूपरेखा और विषयवस्तु, स्पष्टीकरणों सहित, का मूल्यांकन करना और यह देखना कि क्या समेकित वित्तीय विवरणों में लेन-देन और घटनाक्रमों का ब्यौरा इस प्रकार दिया गया है कि नहीं जो प्रस्तुति को निष्पक्ष बनाते हों।
- समेकित वित्तीय विवरणों में अपना मत व्यक्त कर पाने के लिये कंपनियों की वित्तीय स्थिति या कंपनी और इसकी सहयोगी कंपनियों में संचालित गतिविधियों के बारे में पर्याप्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त करना। हम उन समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल कंपनियों के, जिनके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं, वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के निर्देशन, निरीक्षण और कार्य निष्पादन के लिये उत्तरदायी हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य कंपनियों के लिये, जिनकी लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों ने की है, ऐसे अन्य लेखा परीक्षक अपने लेखा परीक्षण के निर्देशन, निरीक्षण और कार्य निष्पादन के लिए उत्तरदायी होंगे। हम केवल अपने लेखा परीक्षण मत के लिये उत्तरदायी हैं।

हम कंपनी और समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य कंपनियों के प्रशासन प्रभारियों से अन्य मुद्दों के अलावा लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा हमारी लेखा परीक्षा के दौरान सामने आयी आंतरिक नियंत्रण की बड़ी खामियों सहित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के बारे में संपर्क करते हैं

हम संबंधित प्रशासन प्रभारियों को यह बयान भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने निष्पक्षता संबंधी नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है। प्रभारियों को उन सारे संबंधों और विषयों के बारे में भी बताया जाता है जिनका असर हमारी स्वतंत्रता और, जहां व्यवहार्य हो, संबंधित सुरक्षा नियंत्रणों पर पड़ सकता है।

प्रशासन प्रभारियों तक संप्रेषित मुद्दों में से हम उन विषयों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणियों के लेखा परीक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और जिन्हें प्रमुख लेखा परीक्षा विषय माना जा सकता है। हम लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इन मुद्दों का वर्णन करते हैं, जब तक कि कानून या विनियम इसके सार्वजनिक खुलासे को प्रतिबंधित न करता हो, या जब अत्यधिक विरल स्थितियों में हम निश्चित करते हों कि ये विषय रिपोर्ट में नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने का प्रतिकूल प्रभाव सार्वजनिक हित लाभों पर पड़ सकता है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

- 1 अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर तथा पृथक वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और 'अन्य विषय' पैराग्राफ में सहयोगी कंपनियों की अन्य वित्तीय जानकारी पर विचार करते हुए हम व्यवहार्य सीमा तक प्रतिवेदित करते हैं कि:
 - क) हम/अन्य लेखा परीक्षक जिनकी रिपोर्ट पर विश्वास किया गया, हमने वे सभी जानकारीयों और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षण के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।
 - ख) हमारे मत में उपर्युक्त समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित विधान द्वारा अपेक्षित समुचित लेखा बही का रखरखाव किया गया है जहां तक कि उन बहियों की हमारी जांच और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से प्रतीत होता है।
 - ग) समेकित तुलनपत्रक, समेकित लाभ-हानि विवरण, इक्विटी में बदलाव संबंधी समेकित विवरण और समेकित नकदी प्रवाह विवरण समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिये रखी गयी लेखाबहियों के अनुरूप है।
 - घ) अर्हता प्राप्त मत के आधार पर पैराग्राफ में दिए गए विषय के प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोड़कर, हमारे मत में समेकित इंड एस वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133, कंपनी (लेखा) विनियम 2014 के नियम 7 के साथ पठित, के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं।

- ड) हमारे मत में समेकित इंड एस वित्तीय विवरण, अधिनियम की धारा 133, कंपनी (लेखा) विनियम 2014 के नियम 7 के साथ पठित, के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं।
- च) कंपनी और भारत में इसकी सहयोगी कंपनियों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और इन नियंत्रणों की संचालनगत प्रभावकारिता के संदर्भ में अनुलग्नक-क में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें। और
- छ) कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड में दर्ज, कंपनी के निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रतिनिधित्व और सहयोगी कंपनियों के वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, सहयोगी निदेशकों सहित कंपनी के निदेशकों में से कोई भी 31 मार्च 2021 को, अधिनियम की धारा 164(2) की शर्तों के अनुरूप निदेशक के रूप में नियुक्त होने के अयोग्य नहीं था।
- ज) भारत सरकार की दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के अनुरूप एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 की उपधारा (2) के प्रावधान कंपनी और भारत में कार्यरत इसकी सहयोगी कंपनियों पर लागू नहीं होते।
- झ) उपरोक्त 'विषयो का प्रभाव' पैराग्राफ के तहत दिये गये मामले में प्रतिकूल फैसला होने पर, हमारे मत में, कंपनी के कामकाज पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। 'विषयो का प्रभाव' के पैराग्राफ (पप) के तहत वर्णित मामलों में भी प्रतिकूल निर्णय होने का, हमारे मत में कंपनी के कामों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।
- ञ) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) विनियम 2014 के विनियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक रिपोर्ट में शामिल किये जाने वाले अन्य विषयों के संदर्भ में, हमारे मत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा पृथक वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और सहयोगी कंपनियों की अन्य वित्तीय जानकारी पर विचार विमर्श के अनुसार जैसा कि अन्य विषय पैराग्राफ में उल्लिखित है:
- समेकित इंड एस वित्तीय विवरण, समेकित इंड एस वित्तीय स्थिति पर लंबित कानूनी मामलों का असर दर्शाता है – समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 25 देखें।
 - डेरिवेटिव अनुबंधों सहित दीर्घावधि अनुबंधों के संदर्भ में किसी ऐसी बड़ी हानि की आशंका नहीं है जिसके लिये किसी विधान या लेखांकन मानकों के तहत कोई प्रावधान किये जाने की जरूरत हो।
 - ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी या सहयोगी कंपनियों द्वारा निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष में स्थानांतरित किये जाने की जरूरत हो।

कृते बी आर माहेश्वरी एंड कंपनी एलएलपी

सनदी लेखाकार

कंपनी पंजीकरण संख्या— 001035एन/एन500050

हस्ता/—

संजय नाथ

साझेदार

सदस्यता संख्या—082700

यूडीआईएन: 21082700एएसीडीडब्ल्यू4195

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 30.11.2021

स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक-क

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिये समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों पर दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड के लिये समान तिथि की स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट की अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाएं रिपोर्ट के पैराग्राफ (1)(एफ) में उल्लिखित।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

(कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) तहत)

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष और इस तिथि तक दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड की समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के साथ हमने दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड (इसके बाद कंपनी के रूप में उल्लिखित) और इस तिथि पर भारत में कार्यरत इसकी सहयोगी वित्तीय कंपनियों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का दायित्व

कंपनी, भारत में कार्यरत इसकी सहयोगी कंपनियों का संबंधित निदेशक मंडल, कंपनी द्वारा, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान से जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा से संबंधित मार्गदर्शक टिप्पणी में उल्लिखित आवश्यक आंतरिक नियंत्रण घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के प्रबंधन और कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त और समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तय करना, लागू करना और प्रबंधन शामिल हैं, जो व्यवसाय के सुचारु और कुशल संचालन के लिए आवश्यक हैं। कंपनी की नीतियों के अनुपालन, परिसंपत्तियों की रक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की स्टीकता और संपूर्णता तथा कंपनी अधिनियम 2013 के तहत अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समयबद्ध तैयारी भी इन जिम्मेदारियों में शामिल है।

लेखा परीक्षक का दायित्व

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में अपना मत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखा परीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण से संबंधित मार्गदर्शक टिप्पणी ("मार्गदर्शक टिप्पणी") और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी तथा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार संपन्न की है, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए व्यवहार्य सीमा तक। ये दोनों मार्गदर्शक सिद्धांत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के लिए व्यवहार्य हैं और दोनों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी हैं। इन मानकों और मार्गदर्शक टिप्पणी की अपेक्षा है कि हम नैतिक अपेक्षाओं और योजनाओं का अनुपालन करें और इस बारे में तर्क संगत आश्वस्ति प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षण करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित थे और कार्यान्वित किए गए थे और क्या यह नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण संदर्भों में कारगर ढंग से संचालित किए गए।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता और इसकी संचालनगत प्रभावकारिता के बारे में लेखा प्रमाण प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना, किसी बड़ी खामी को लेकर जोखिम का आकलन करना तथा इस आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और प्रभावकारिता का मूल्यांकन और परीक्षण करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों में किसी धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुई बड़ी गलत बयानी के जोखिमों के आकलन सहित लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं।

हमारा मानना है कि हमें प्राप्त लेखा प्रमाण और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा नीचे दिये गये पैराग्राफ "अन्य विषय" से संबंधित रिपोर्ट में दिये गये प्रमाण वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के बारे में हमारे लेखा परीक्षा मत का आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और समुचित हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में तर्कसंगत आशवासन उपलब्ध कराने और सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए निर्धारित की गई है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो

- (क) रिकॉर्ड प्रबंधन से संबंधित हों यानी कंपनी की आस्तियों की लेनदेन और निपटान के बारे में स्टीक और निष्पक्ष जानकारी उपलब्ध कराती हो;
- (ख) यह तर्कसंगत आश्वासन उपलब्ध कराती हो कि लेनदेन सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की आवश्यकतानुसार रिकॉर्ड किए गए हैं और यह भी कि कंपनी की प्राप्तियां और व्यय कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों की अधिकृत अनुमति के अनुसार किए गए हैं;
- (ग) कंपनी की आस्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण असर पड़ सकता है, की रोकथाम या समय पर पता लगाने से संबंधित तर्कसंगत आश्वासन उपलब्ध कराना।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की सीमाएं

किसी मिलीभगत की संभावना या नियंत्रण को लेकर अनुपयुक्त प्रबंधन सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की सीमाओं के कारण हुई त्रुटि या धोखाधड़ी की वजह से बड़ी गलत बयानी होने की आशंका रहती है। इसके अलावा भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के आकलन का अनुमान भी जोखिम के अधीन है। क्योंकि परिस्थितियों में बदलाव या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन में कमी के कारण आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त साबित हो सकता है।

अर्हता प्राप्त मत

हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर 31 मार्च 2021 तक वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की संचालन गत प्रभावकारिता के बारे में निम्नलिखित महत्वपूर्ण खामी चिन्हित की गयी। बिजली वितरण, पारेषण, उत्पादन कंपनियों और रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के संदर्भ में पूर्व दिल्ली विद्युत बोर्ड से अंतरित हुए असमाधित शेष की समय समय पर कोई समीक्षा नहीं हुई, जो कंपनी के वित्तीय विवरणों पर असर डाल सकते थे।

हमारे मत में कंपनी के पास, सभी प्रमुख संदर्भों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान से जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा से संबंधित मार्गदर्शक टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित रिपोर्टिंग मानकों के अनुरूप 31 मार्च 2021 तक प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे। नियंत्रण कसौटी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के बारे में उपर वर्णित महत्वपूर्ण खामी के संभावित असर को छोड़कर, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2021 तक प्रभावी रूप से काम कर रहे थे।

31 मार्च 2021 तक कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में लागू किये गये लेखा परीक्षण जांच की प्रकृति, समय और सीमा के निर्धारण में हमने चिन्हित और उपर प्रतिवेदित महत्वपूर्ण त्रुटियों पर विचार किया है।

अन्य विषय

कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की संचालनगत प्रभावकारिता और पर्याप्तता के बारे में अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत हमारी रिपोर्ट, जहां तक इसका संबंध भारत में कार्यरत अपनी 6 सहयोगी कंपनियों से है, यह उन सहयोगी कंपनियों के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

कृते बी आर माहेश्वरी एंड कंपनी एलएलपी

सनदी लेखाकार

कंपनी पंजीकरण संख्या— 001035एन/एन500050

हस्ता/—

संजय नाथ

साझेदार

सदस्यता संख्या—082700

यूडीआईएन: 21082700एएएसडीडब्ल्यू4195

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 30.11.2021

दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का उपक्रम

सीआईएन: यू40103डीएल2001एसजीसी111528

31 मार्च 2021 को समेकित तुलन पत्रक

(लाख रुपये में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
आस्तियां			
1 गैर वर्तमान आस्तियां			
क) संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	2	5.62	5.68
ख) अमूर्त आस्तियां	3	0.03	0.03
ग) वित्तीय आस्तियां			
i) इक्विटी शेयर में निवेश	4	4,77,853.65	4,02,835.44
ii) अन्य वित्तीय आस्तियां	4A	3,508.17	-
घ) अन्य गैर-वित्तीय आस्तियां	5	66,393.23	99,657.13
ड) साख			6,897.69
2 वर्तमान आस्तियां		5,47,760.70	5,09,395.97
(क) वित्तीय आस्तियां			
(i) नकदी और नकदी समतुल्य	6	165.84	3,511.07
(ii) बैंक शेष और जमा	7	1,30,207.93	1,18,132.87
(iii) अन्य वित्तीय आस्तियां	8	48,799.37	50,525.00
(ख) अन्य वर्तमान आस्तियां	9	5,35,724.60	4,70,860.68
(ग) वर्तमान कर वापसी योग्य	9A	39.39	-
		7,14,937.13	6,43,029.62
कुल परिसंपत्तियां		12,62,697.83	11,52,425.59
इक्विटी और देयताएं			
1 इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	10	74,505.00	74,505.00
(ख) अन्य इक्विटी	11	4,53,519.81	3,74,996.03
2 देयताएं		5,28,024.81	4,49,501.03
गैर वर्तमान देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	12	33,263.90	66,527.80
(ii) व्यापार देयताएं			
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को	13	-	-
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से अलग अन्य को	13	16,933.98	16,933.98
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	14	1,57,708.99	1,57,708.99
		2,07,906.87	2,41,170.77
वर्तमान देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं	15	5,26,553.87	4,61,689.26
(i) अन्य वित्तीय देयताएं			
(ii) व्यापार देयताएं	16	2.70	2.38
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को	16	-	-
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से अलग अन्य को	17	5.92	6.93
(ख) अन्य वर्तमान देयताएं	18	203.66	-
(ग) प्रावधान	18	-	55.22
(घ) वर्तमान कर देयता		5,26,766.15	4,61,753.79
कुल इक्विटी और देयताएं		12,62,697.83	11,52,425.59

संलग्न टिप्पणियां 1 से 44, इन वित्तीय विवरणियों का अभिन्न हिस्सा हैं। टिप्पणी संख्या 1 इंड एस और कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की अपेक्षानुसार जानकारी उपलब्ध कराती है।

समान तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते बी आर माहेश्वरी एंड कंपनी एलएलपी

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या 001035 एन/एन 500050

हस्ता/-
सीए संजय नाथ
साझेदार
सदस्यता संख्या 082700

हस्ता/-
(हरशंदर सिंह)
उप महाप्रबंधक वित्त

हस्ता/-
(पलक जैन)
कंपनी सचिव

हस्ता/-
(संजय कुमार लाल)
निदेशक (वित्त)
डीन: 09320148

हस्ता/-
(सत्य गोपाल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीन: 08144273

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 30.11.2021

दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का उपक्रम

सीआईएन: यू40103डीएल2001एसजीसी111528

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिये एकल लाभ और हानि विवरण

(लाख रुपये में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिये
आय			
I परिचालन से प्राप्त आय	21	-	-
II अन्य आय	22	10,269.56	8,422.10
III कुल आय (I+II)		10,269.56	8,422.10
IV व्यय			
(क) कर्मचारी लाभ व्यय	23	324.45	217.43
(ख) मूल्यह्रास	2 & 3	1.86	1.07
(ग) अन्य व्यय	24	267.84	72.51
कुल व्यय (IV)		594.15	291.01
V कर पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)		9,675.41	8,131.09
जोड़े: सहयोगी कंपनियों में निवल लाभ/(हानि) का हिस्सा इक्विटी विधि से लेखा परीक्षित		78,860.41	53,031.86
घटाएं: डीटीएल और आईपीजीसीएल लाभ की समायोजित राशि	4B	35,923.70	-
VI कर व्यय			
(क) वर्तमान कर		2,202.47	1,422.27
(ख) आस्थगित कर			
VII कर बाद लाभ/(हानि) (V-VI)		50,409.65	59,740.68
VIII अन्य व्यापक आय			
क. (i) मद जो लाभ और हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं होंगे		28,114.13	(138.37)
(ii) उन मदों से संबंधित आयकर, जो लाभ और हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं होंगे		-	-
ख (i) मद जो लाभ और हानि में पुनःवर्गीकृत होंगे		-	-
(ii) उन मदों से संबंधित आयकर, जो लाभ और हानि में पुनःवर्गीकृत होंगे		-	-
		28,114.13	(138.37)
IX अवधि के लिये कुल व्यापक आय (VII-VIII) (लाभ हानि सहित)		78,523.78	59,602.31
प्रति इक्विटी शेयर आय			
प्राथमिक (प्रत्येक 10 रुपये फेस मूल्य का)	25	10.54	8.00
तनुकृत (प्रत्येक 10 रुपये अंकित मूल्य का)	25	10.54	8.00

संलग्न टिप्पणियां 1 से 44, इन वित्तीय विवरणियों का अभिन्न हिस्सा हैं। टिप्पणी संख्या 1 इंड एस और कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की अपेक्षानुसार जानकारी उपलब्ध कराती है।

समान तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते बी आर माहेश्वरी एंड कंपनी एलएलपी

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या 001035 एन/एन 500050

हस्ता/-

सीए संजय नाथ

साझेदार

सदस्यता संख्या 082700

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 30.11.2021

हस्ता/-

(हरशंदर सिंह)

उप महाप्रबंधक वित्त

हस्ता/-

(पलक जैन)

कंपनी सचिव

हस्ता/-

(संजय कुमार लाल)

निदेशक (वित्त)

डीन: 09320148

हस्ता/-

(सत्य गोपाल)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीन: 08144273

दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का उपक्रम

सीआईएन: यू40103डीएल2001एसजीसी111528

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिये समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिये
क. संचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व कुल व्यापक आय	80,726.25	61,024.58
निम्न के लिये समायोजन:		
ह्रास	1.86	1.07
बैंको के पास सावधि जमा से ब्याज आय	(6,708.36)	(8,373.30)
सहयोगी कंपनियों में निवेश पर क्षति हानि की वापसी	(3,561.20)	-
लाभांश आय	-	-
देयताओं और आस्तियों में समायोजन से पहले संचालन गत आय	(71,050.84)	(52,893.49)
अन्य वित्तीय आस्तियों (वर्तमान आस्तियों) में कमी / (वृद्धि)	(592.29)	(241.14)
वर्तमान देयताओं में वृद्धि / (कमी)	325.04	3,239.72
अन्य वित्तीय देयताओं में वृद्धि / (कमी)	(0.68)	(11.78)
वर्तमान कर देयता में वृद्धि / (कमी)	-	(129.93)
प्रावधानों में कमीवृद्धि	(55.22)	(23.81)
	203.66	-
	472.80	3,074.20
आयकर भुगतान योग्य	-	(55.22)
भुगतान किया गया अग्रिम कर	(2,241.86)	(1,367.06)
परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ए)	(2,361.35)	1,410.78
बी. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
मोचन योग्य 12 प्रतिशत संचयी वरीयता शेयरों का विमोचन	-	-
परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर पूंजी व्यय	(1.80)	(1.43)
बैंकों में सावधि जमा से ब्याज आय	8,109.63	6,727.88
लाभांश आय	6,491.52	4,868.64
सावधि जमा नकदीकृत और निवेशित	(12,075.06)	(35,235.49)
अन्य गैर-वर्तमान आस्तियों में कमी	(3,508.17)	-
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ख)	(983.88)	(23,640.40)
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
वर्ष के दौरान चुकाया गया ऋण	-	-
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ग)		
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि / (कमी) (क+ख+ग)	(3,345.23)	(22,229.62)
वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य	3,511.07	25,740.69
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य	165.84	3,511.07
तुलन पत्रक के साथ नकदी और नकदी समतुल्य का मिलान		
तुलन पत्रक के अनुसार नकदी और नकदी समतुल्य	165.84	3,511.07
नकदी और नकदी समतुल्य के घटक		
बैंको में जमा शेष		
(i) चालू खाता	16.79	9.84
(ii) बैंको में सावधि जमा	149.05	3,501.23
कुल नकदी और नकदी समतुल्य	165.84	3,511.07

संलग्न टिप्पणियां 1 से 44, इन वित्तीय विवरणियों का अभिन्न हिस्सा हैं। टिप्पणी संख्या 1 इंड एस और कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की अपेक्षानुसार जानकारी उपलब्ध कराती है।

समान तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते बी आर माहेश्वरी एंड कंपनी एलएलपी

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या 001035 एन/एन 500050

 हस्ता/-
सीए संजय नाथ

 साझेदार
सदस्यता संख्या 082700

 हस्ता/-
(हरशिनंदर सिंह)

उप महाप्रबंधक वित्त

 हस्ता/-
(पलक जैन)

कंपनी सचिव

 हस्ता/-
(संजय कुमार लाल)

 निदेशक (वित्त)
डीन: 09320148

 हस्ता/-
(सत्य गोपाल)

 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीन: 08144273

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 30.11.2021

दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिये इक्विटी में एकल बदलाव का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(लाख रुपये में)

रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति यानी 31.03.2020 को शेष	वर्ष 2020-2021 के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में बदलाव	रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति यानी 31.03.2021 को शेष
74,505.00	-	74,505.00

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	रिजर्व और अधिशेष (2019-20)		कुल
	पूंजी रिजर्व	प्रतिधारित आय	
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत यानी 1 अप्रैल 2019 को शेष	2,07,969.69	(1,22,718.66)	85,251.03
वर्ष के लिये लाभ (क)	-	59,740.68	59,740.68
अन्य व्यापक आय (ख)	-	-	-
वर्ष के लिये कुल व्यापक आय (क+ख)	-	59,740.68	59,740.68
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में यानी 31 मार्च 2020 को शेष	2,07,969.69	(62,977.98)	1,44,991.72

(INR Lakhs)

विवरण	रिजर्व और अधिशेष (2020-21)		कुल
	पूंजी रिजर्व	प्रतिधारित आय	
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत यानी 1 अप्रैल 2020 को शेष	2,07,969.69	(62,977.98)	1,44,991.72
वर्ष के लिये लाभ (क)	-	50,409.65	50,409.65
अन्य व्यापक आय (ख)	-	28,114.13	-
वर्ष के लिये कुल व्यापक आय (क+ख)	-	78,523.78	78,523.78
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में यानी 31 मार्च 2021 को शेष	2,07,969.69	15,545.81	2,23,515.50

संलग्न टिप्पणियां 1 से 44, इन वित्तीय विवरणियों का अभिन्न हिस्सा हैं। टिप्पणी संख्या 1 इंड एस और कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की अपेक्षानुसार जानकारी उपलब्ध कराती है।

समान तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते बी आर माहेश्वरी एंड कंपनी एलएलपी

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या 001035 एन/एन 500050

हस्ता/-

सीए संजय नाथ

साझेदार

सदस्यता संख्या 082700

हस्ता/-

(हरशंदर सिंह)

उप महाप्रबंधक वित्त

हस्ता/-

(पलक जैन)

कंपनी सचिव

हस्ता/-

(संजय कुमार लाल)

निदेशक (वित्त)

डीन: 09320148

हस्ता/-

(सत्य गोपाल)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीन: 08144273

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 30.11.2021

दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड

टिप्पणी-1

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिये समेकित वित्तीय विवरणों का टिप्पणी भाग

क. कंपनी की जानकारी

- (i) दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड (कंपनी) भारत में निगमित और शेयरों से संचालित कंपनी है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता है—‘शक्तिसदन, कोटला मार्ग नई दिल्ली-110002’ कंपनी दिल्ली विद्युत बोर्ड की उत्तराधिकारी कंपनी के रूप में शुरू की गई थी।
- (ii) दिल्ली बिजली सुधार अधिनियम 2020 की धारा 60, धारा 15 और 16 के साथ पठित, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिल्ली बिजली सुधार (हस्तांतरण योजना) विनियम 2001 बनाया और दिनांक 20 नवम्बर, 2001 की अधिसूचना संख्या एफ-11(99)2001-पावर/2867 द्वारा जारी किया। इसके तहत दिल्ली विद्युत बोर्ड (डीवीबी) की आस्तियों, कार्यवाहियों और कर्मियों का उत्तराधिकारी कंपनियों में हस्तांतरण और इसके लिए आवश्यक नियम और शर्तें तय की गईं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिनांक 26 जून 2002 की अधिसूचना संख्या 215 के द्वारा 1 जुलाई 2002 से इन नियमों को प्रभावी बनाया। इसी तिथि से दिल्ली विद्युत बोर्ड की आस्तियां और देयताएं दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड सहित उत्तराधिकारी कंपनियों को हस्तांतरित कर दी गईं।
- (iii) दिल्ली विद्युत बोर्ड की आस्तियां और देयताएं उत्तराधिकारी कंपनियों में, हस्तांतरण योजना विनियम की अनुसूची ‘बी’ से ‘जी’ तक अनुलग्नित आरंभिक तुलनपत्रकों के अनुरूप हस्तांतरित की गईं। दिल्ली विद्युत बोर्ड को समाप्त किए जाने के पहले की अवधि की देयताएं जो बाद की पांच उत्तराधिकारी कंपनियों को हस्तांतरित नहीं की गई थी, वे अनुसूची ‘जी’ के अनुसार दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी गईं।
- (iv) कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी तीन डिस्कॉम्स— बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड, बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड, टाटा पावर डेल्ही डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड तथा पारेषण केंद्र— दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड, उत्पादन केंद्र—इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड और कचरा प्रबंधन परियोजना के लिए गठित इंद्रप्रस्थ एनर्जी एंड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में है। कंपनी ने इन कंपनियों की कुल इक्विटी शेयर पूंजी के निम्नलिखित अनुपात में इक्विटी शेयर पूंजी का अंशदान किया है।

संस्था / कंपनी	डीपीसीएल की इक्विटी शेयर पूंजी का प्रतिशत
क) बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड	49
ख) बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड	49
ग) टाटा पावर डेल्ही डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड	49
घ) दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड	6.58
ङ) इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड	19.01
च) इंद्रप्रस्थ एनर्जी एंड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	50

ख. तैयारी का आधार

1. अनुपालन विवरण

ये वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 (कंपनी) की धारा 133, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) विनियम 2015, अद्यतन संशोधित, और अधिनियम के अन्य व्यवहार्य प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक—(इंड एसएस) के अनुसार लेखांकन के प्रोद्भूत आधार पर तैयार किए गए हैं।

31 मार्च 2016 तक की सभी अवधियों के लिये कंपनी ने भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी), कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों, कंपनी (लेखांकन) विनियम, 2014 के साथ पठित, के अनुरूप तैयार किया है।

2. मापन का आधार

वित्तीय विवरण पारंपरिक कॉस्ट कन्वेंशन के तहत लेखांकन के प्रोद्भूत आधार पर तैयार किए गए हैं। केवल कुछ वित्तीय आस्तियों और देयताओं का मापन समुचित मूल्य पर किया गया है।

2 क. समेकन का आधार

- (i) कंपनी अधिनियम की धारा 129(3), स्पष्टीकरण के साथ पठित, कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-III के अनुसार फॉर्म में अपनी और सहयोगी कंपनियों का समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना आवश्यक है। इसके अलावा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) विनियम, 2015 के साथ पठित, कंपनी को अधिनियम के अन्य व्यवहार्य प्रावधानों और अद्यतन संशोधित नियमों के अनुलग्नक के अनुसार भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस) का अनुपालन करना आवश्यक है।
- (ii) मूल कंपनी और इसकी सहयोगी कंपनियों के वित्तीय विवरण इक्विटी विधि के अनुसार उस तिथि से संयुक्त किये गये हैं जिस तिथि पर ये कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) विनियम 2015 के अंतर्गत अधिसूचित "सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उपक्रम" में निवेश पर इंड एस- 28 के अनुसार सहयोगी कंपनी की परिभाषा में आयीं।
- (iii) सहयोगी कंपनियों में निवेश का, जिनमें मूल कंपनी इक्विटी का 20 प्रतिशत से अधिक धारण करती हो या महत्वपूर्ण प्रभाव रखती हो, लेखांकन इक्विटी विधि के उपयोग के लिये "सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उपक्रम" में निवेश पर इंड एस- 28 के अनुसार किया जाता है।
मेसर्स दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड और मेसर्स इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड सहयोगी कंपनी मानी गयी हैं क्योंकि मूल कंपनी साझा प्रबंधन और लेनदेन के कारण इनपर महत्वपूर्ण प्रभाव रखती है।
- (iv) मेसर्स इंद्रप्रस्थ एनर्जी एंड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जिसमें मूल कंपनी की कुल शेयर पूंजी में 50 प्रतिशत से अधिक इक्विटी धारिता है, निम्नलिखित कारणों से संयुक्त नियंत्रण की कंपनी के बदले एसोसिएट मानी गयी है:-
क) आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिये अनुबंधगत व्यवस्था नहीं है।
ख) आर्थिक गतिविधि संयुक्त नियंत्रण के अधीन नहीं है।
ग) निदेशक मंडल की संरचना मूल कंपनी के नियंत्रण के अधीन नहीं है जिससे इसकी गतिविधियों का कोई आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सके।
- (v) समेकन के लिये प्रयुक्त सहयोगी कंपनियों के वित्तीय विवरण उसी रिपोर्टिंग तिथि से लिये गये हैं, जिससे कि मूल कंपनी के, यानि 31 मार्च 2021 से और समेकित वित्तीय विवरण भी समान परिस्थितियों में समान लेनदेन और अन्य घटनाक्रमों के लिये लेखांकन नीतियों का उपयोग करते हुये तैयार किये गये हैं और संभव सीमा तक मूल कंपनी के पृथक वित्तीय विवरण की तरह समान ढंग से तैयार किये गये हैं।
- (vi) मूल कंपनी ने इक्विटी विधि के अनुसार एसोसिएट कंपनी के निवल लाभ में (करों के बाद) अपने आनुपातिक भाग को शामिल करते हुए समेकित वित्तीय विवरण तैयार किये हैं। मूल कंपनी और सहयोगी कंपनियों के बीच लेनदेन से होने वाले अप्राप्त लाभ और हानियों को मूल कंपनी के आनुपातिक भाग की सीमा तक हटा दिया गया है।
- (vii) सहयोगी कंपनियों में मूल कंपनी की निवेश राशि का निर्धारण एसोसिएट कंपनियों के लेखा परीक्षित विवरणों में उपलब्ध जानकारी के आधार पर किया गया है। निवेश के अधिग्रहण पर अधिग्रहण लागत और एसोसिएट कंपनी में कंपनी के इक्विटी भाग के बीच का कोई अंतर सद्भाव या पूंजी रिजर्व के रूप में माना गया है, जैसी भी स्थिति हो।
- (viii) निम्नलिखित विवरण के अनुसार मूल कंपनी ने एसोसिएट कंपनियों में अतिरिक्त निवेश किया है:

	कंपनी / कंपनियां	प्रत्येक 10/- के इक्विटी शेयर में अतिरिक्त निवेश	प्रत्येक 100/- के समग्र प्रिफरेंस शेयर में अतिरिक्त निवेश	तिथि
		राशि	राशि	
क)	बीएसईएस राजधानी पावर लि.	21560.00 लाख	—	10.02.2012
ख)	बीएसईएस यमुना पावर लि.	28420.00 लाख	—	10.02.2012
ग)	टाटा पावर डेल्ही डिस्ट्रीब्यूशन लि. (27.02.2019 को विमोचित)	—	24500.00 लाख	19.03.2013
घ)	दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड	8000.00 लाख	—	01.10.2010

- (ix) मूल कंपनी ने इंद्रप्रस्थ एनर्जी एंड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड में 26.12.2006 को प्रत्येक 10/- मूल्य के 50000 इक्विटी शेयर लिये जिनका कुल मूल्य 5 लाख रुपये था। हालांकि कंपनी ने अपनी सहयोगी कंपनी मेसर्स

इंद्रप्रस्थ एनर्जी एंड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड में प्रतिधारित निवेश राशि के आधिक्य में हानि का अपना हिस्सा नहीं दर्शाया है और तुलन पत्रक तिथि पर इस एसोसिएट में निवेश शून्य दर्शाया गया है।

- (x) कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-III के भाग III की अपेक्षानुसार कंपनी को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध करानी थी। इसके अनुसार अतिरिक्त जानकारी 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये टिप्पणी 30 और 31 के रूप में उपलब्ध करायी गयी है।

3. कार्यशील और प्रस्तुति मुद्रा

ये वित्तीय विवरण भारतीय रूपए (आईएनआर) में प्रस्तुत किए गए हैं, जो कि कंपनी की कार्यशील मुद्रा है। आईएनआर में प्रस्तुत सभी वित्तीय जानकारी कंपनी के लिए निकटतम लाख रूपए में समायोजित की गई है।

4. आकलनों और प्रबंधकीय निर्णयों का उपयोग

इंड एस के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को निर्णय, अनुमानों और आकलनों की आवश्यकता है जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और तुलन पत्रक तिथि पर आकस्मिक आस्तियों और देयताओं सहित आस्तियों, देयताओं के प्रतिवेदित मूल्य, आय, व्यय और संबंधित स्पष्टीकरणों पर प्रभाव डाल सके। अनुमान और प्रबंधन के निर्णय पूर्व अनुभव और संबंधित परिस्थितियों में तर्कसंगत और विवेकपूर्ण माने गए अन्य कारकों पर आधारित हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं। आकलनों और निहित अनुमानों की समीक्षा मौजूदा आधार पर की गई है, लेखांकन आकलनों की पुनरु समीक्षा, यदि कोई हो तो, वे उस अवधि में मान्य की जाएंगी जिसमें इन आकलनों को संशोधित किया गया था।

ग. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. वर्तमान और गैर वर्तमान वर्गीकरण।

कंपनी वर्तमान/गैर वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर तुलन पत्रक में आस्तियों और देयताओं को दर्शाती है।

कोई आस्ति वर्तमान मानी जाती है जब यह:

- सामान्य संचालन क्रम में मान्य या बिक्री के लिए प्रस्तुत या उपयोग में लाई जाती है,
- मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखी जाती है,
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद 12 महीने के अंदर मान्य की जा सकती है, या
- नकदी या नकदी समतुल्य जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 महीने बाद किसी देयता के समायोजन के लिए प्रयुक्त या अदल-बदल के लिए प्रतिबंधित न हो।

अन्य सभी आस्तियां गैर वर्तमान के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं।

कोई देयता वर्तमान मानी जाती है जब इसके:

- सामान्य संचालन क्रम में समायोजित होने की संभावना हो,
- मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य के रखी गई हो,
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद 12 महीने के अंदर समायोजित की जानी हो, या
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 महीने के लिए देयता का समायोजन स्थगित करने का कोई अप्रतिबंधित अधिकार न हो।

अन्य सभी देयताएं गैर वर्तमान श्रेणी में रखी जाती हैं। वर्तमान देयताओं में गैर वर्तमान वित्तीय देयताओं का वर्तमान हिस्सा शामिल है।

2. परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

- i) परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) के मदों का मापन लागत रहित संचित मूल्यद्वारा सध्वरिशोधन और संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, के रूप में होता है। लागत में वह व्यय शामिल है जो आस्ति को स्थल तक लाने और प्रबंधन के निर्णयानुसार संचालन के लिए सक्षम बनाने में किया गया हो। पीपीई का कोई मद एक आस्ति के रूप में मान्य होता है यदि यह संभावना हो कि भविष्य में इससे जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और मद की लागत विश्वसनीय रूप से मापी जा सकेगी।

- ii) बाद में किया जाने वाला व्यय आस्ति के मौजूदा मूल्य में बढोतरी के रूप में मान्य होता है जब यह संभावना हो कि किए गए व्यय से होने वाला आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेगा और मद की लागत विश्वसनीय ढंग से मापी जा सकेगी।
- iii) पीपीई के किसी मद को निस्तारण के बाद अमान्य किया जाता है या जब उसके निस्तारण या उसके उपयोग से किसी आर्थिक लाभ की संभावना न हो। अमूर्त आस्तियों को अमान्य किए जाने से होने वाले लाभ या हानि का मापन निवल निस्तारण प्रक्रिया और आस्ति के मौजूदा मूल्य के अंतर के रूप में किया जाता है और इसे आस्ति के अमान्य होने पर लाभ-हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

3. अमूर्त आस्तियां

- i) अलग से अधिग्रहित की गई अमूर्त आस्तियों का मापन लागत की आरंभिक मान्यता पर किया जाता है। आरंभिक मान्यता के बाद अमूर्त आस्तियां, किसी संचित परिशोधन और संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर मान्य की जाती है।
- ii) आंतरिक उपयोग के लिए अधिग्रहित सॉफ्टवेयर (संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न हिस्सा नहीं होने की स्थिति में), अधिग्रहण लागत पर, संचित परिशोधन और क्षति हानि, यदि कोई हो, को घटाकर मान्य किए जाते हैं।
- iii) अमूर्त आस्तियों का कोई मद निस्तारण के बाद या भविष्य में इसके उपयोग या निस्तारण से किसी आर्थिक लाभ की संभावना नहीं रहने के बाद अमान्य कर दिया जाता है। किसी अमूर्त आस्ति को अमान्य किए जाने से होने वाले लाभ या हानि का मापन निवल निस्तारण प्रक्रिया और आस्ति के मौजूदा मूल्य के बीच के अंतर के रूप में किया जाता है और इसे आस्ति के अमान्य होने पर लाभ-हानि विवरण में मान्य कर दिया जाता है।

4. मूल्यह्रास और परिशोधन

- i) स्थाई आस्तियों में मूल्यह्रास का मापन कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची ५ में निर्दिष्ट उपयोगी जीवन के अनुरूप सीधी रेखा विधि से किया जाता है।
- ii) अमूर्त आस्तियों का परिशोधन इसके उपयोग की कानूनी अवधि या तीन वर्ष की अवधि, जो भी कम हो, के आधार पर सीधी रेखा विधि से किया जाता है।
- iii) पांच हजार रूपए मूल्य की या इससे कम की स्थायी आस्तियां, खरीद वर्ष में पूरी तरह ह्रासित कर दी जाती हैं।

5. अनुषंगी कंपनियों, संयुक्त उपक्रम और सहायक कंपनियों में निवेश

अनुषंगी कंपनियों, संयुक्त उपक्रम और सहायक कंपनियों में इक्विटी शेयर में निवेश लागत मूल्य पर किया जाता है। इंड एस 36 'आस्तियों की क्षति' के प्रावधानों पर विचार करते हुए क्षति संबंधी किसी संकेत के निर्धारण के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर निवेश की समीक्षा की जाती है। यदि कोई ऐसा संकेत मिलता है तो क्षति हानि मान्य कर दी जाती है।

6. अनुषंगी कंपनियों, संयुक्त उपक्रम और सहायक कंपनियों में निवेश के अलावा वित्तीय आस्तियां

- i) कंपनी की वित्तीय आस्तियों में नकदी और नकदी समतुल्य, बैंक बैलेंस, अन्य कंपनियों के इक्विटी शेयर में निवेश, व्यापार प्राप्त, कर्मचारियों/धंदेदारों को अग्रिम, सुरक्षा जमा, वसूली योग्य दावे इत्यादि शामिल होते हैं। इन आस्तियों में नकदी या कोई अन्य वित्तीय आस्ति प्राप्त करने संबंधी अनुबंध या कंपनी के लिए अनुकूल होने की स्थिति में वित्तीय आस्तियों या वित्तीय देयताओं की अदला-बदली भी शामिल है। किसी वित्तीय आस्ति को तभी मान्य किया जाता है जब कंपनी उसके अनुबंधगत प्रावधानों के तहत एक पक्ष होती है।
- ii) कंपनी अपनी वित्तीय आस्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करती है
 - परिशोधित मूल्य पर आकलित आस्तियां,
 - अन्य व्यापक आय के जरिये उचित मूल्य पर आकलित आस्तियां (एफवीटीओसीआई)।
- iii) सभी वित्तीय आस्तियों को आरंभ में उचित मूल्य पर मान्य किया जाता है। वित्तीय आस्तियों के उचित मूल्य पर दर्ज न होने की स्थिति में उस वित्तीय आस्ति के अधिग्रहण में लगी लागत वित्तीय आस्ति की लागत के रूप में मान्य की जाती है।
- iv) उधारी उपायों का मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है यदि ये दोनों शर्तें पूरी होती हों:
 - आस्ति ऐसे व्यवसाय मॉडल में हो, जिसका उद्देश्य अनुबंधगत नकदी प्रवाह के संकलन के लिए आस्ति धारित करना हो।

- आस्ति की अनुबंधगत शर्तें विशिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह में वृद्धि करती हों जो पूरी तरह से मूल राशि और मूल राशि पर बकाया ब्याज (एसपीपीआई) का भुगतान हो।
आरंभिक मापन के बाद इन वित्तीय आस्तियों का मापन परिशोधित लागत पर, प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि से किया जाता है। परिशोधित लागत की संगणना किसी डिस्काउंट या प्रीमियम तथा शुल्क या लागत को ध्यान में रखकर की जाती है जो ईआईआर का अभिन्न हिस्सा है। ईआईआर परिशोधन लाभ हानि विवरण में वित्तीय आय में शामिल किया जाता है। क्षति के कारण होने वाली हानि लाभ-हानि विवरण में मान्य की जाती है।
- v) किसी उधारी का मापन एफवीटीओसीआई पर किया जाता है यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हों:
 - व्यापार मॉडल का उद्देश्य, अनुबंधगत नकदी प्रवाह के संकलन और वित्तीय आस्ति के बिक्रय दोनों माध्यमों से पूरा होता हो, और
 - आस्ति का अनुबंधगत नकदी प्रवाह, एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करता हो।
अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर उधारी का मापन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर किया जाता है। उचित मूल्य संबंधी गतिविधियां अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्य की जाती हैं। हालांकि कंपनी ब्याज आय, क्षति हानि को लाभ-हानि विवरण में दर्शाती है। आस्ति को अमान्य किए जाने की स्थिति में संचित लाभ या हानि जो पहले ओसीआई में मान्य की गई थी, लाभ और हानि से इक्विटी में पुनरुवर्गीकृत की जाती है। इन वित्तीय आस्तियों से होने वाली ब्याज आय ईआईआर विधि से अन्य आय में शामिल की गई है।
- vi) अनुषंगी, सहायक और संयुक्त उपक्रमों के अलावा अन्य कंपनियों में इक्विटी निवेश का मापन अन्य व्यापक आय के जरिये उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) पर किया जाता है। ये वर्गीकरण आरंभिक मान्यता पर किया गया है और बदले जाने योग्य नहीं है। एफवीटीओसीआई पर वर्गीकृत किसी इक्विटी के मूल्य संबंधी बदलावों को ओसीआई में मान्य किया जाता है। लाभ-हानि विवरण में उचित मूल्य लाभ और हानि का पुनरुवर्गीकरण नहीं किया गया है। हालांकि कंपनी संचयी लाभ या हानि को इक्विटी में हस्तांतरित कर सकती है।
एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, यदि कोई हो तो उसका मापन लाभ-हानि विवरण में मान्य सभी बदलावों के साथ उचित मूल्य पर किया जाता है।
- vii) किसी वित्तीय आस्ति को तभी अमान्य किया जाता है जब:
 - कंपनी ने वित्तीय आस्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार हस्तांतरित कर दिया हो या
 - वित्तीय आस्ति का नकदी प्रवाह प्राप्त करने का अनुबंधगत अधिकार बनाए रखा हो लेकिन नकदी प्रवाह का भुगतान एक या अनेक प्राप्तकर्ताओं को करने के अनुबंधगत शर्त से बंधा हो।
- viii) इंड एस 109 के अनुसार कंपनी निम्नलिखित आस्तियों पर क्षति हानि के मापन और मान्यता के लिए अनुमानित जमा हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करती है:
 - वित्तीय आस्तियां जो ऋण साधन हैं और परिशोधित लागत पर मापी गई हैं,
 - वित्तीय आस्तियां जो ऋण साधन हैं और एफवीटीओसीआई पर मापी गई हैं।

7. वित्तीय देयताएं

- i) कंपनी की वित्तीय देयताएं कंपनी के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों में अन्य कंपनी को नकद भुगतान या अन्य वित्तीय आस्तियां देने या किसी अन्य कंपनी के साथ वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं की अदल-बदल की अनुबंधगत शर्त है। कंपनी की वित्तीय देयताओं में ऋण और उधारी, व्यापार और अन्य भुगतान योग्य, प्रतिभूति जमा, धारित राशि इत्यादि आती हैं।
- ii) वित्तीय देयताओं को आरंभ में उचित मूल्य से सीधे तौर पर भुगतान योग्य लेन-देन लागत घटाकर मान्य किया जाता है। प्रक्रिया (निवल लेन देन लागत) और आरंभिक मान्यता पर उचित मूल्य का अंतर लाभ-हानि विवरण में या आस्ति के मौजूदा मूल्य में मान्य किया जाता है, यदि अन्य मानक प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करते हुए उधारी अवधि से इतर के लिए अनुमति देता हो।
- iii) आरंभिक मान्यता के बाद वित्तीय देयताओं का मापन ईआईआर विधि से परिशोधित लागत पर किया जाता है अन्य मामलों में जब देयताएं अमान्य की जाती हैं तो लाभ और हानि को लाभ हानि विवरण में या आस्ति की मौजूदा राशि में दर्शाया जाता है, यदि अन्य मानक अनुमति देते हों। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम को और शुल्क या लागत को ध्यान में रखकर की जाती है, जो ईआईआर का अभिन्न हिस्सा है। लाभ-हानि विवरण में ईआईआर परिशोधन को वित्तीय लागत के रूप में शामिल किया जाता है।

- iv) एक वित्तीय देयता तब अमान्य की जाती है जब देयता के अंतर्गत दायित्वों को पूरा कर दिया गया हो या रद्द कर दिया गया हो या उनकी अवधि समाप्त हो चुकी हो। जब कोई मौजूदा वित्तीय देयता उसी ऋणदाता के अन्य देयता से भिन्न शर्तों पर बदली जाती है या मौजूदा देयता की शर्तें संशोधित हो जाती हैं, तो इस प्रकार की अदल-बदल का संशोधन मूल देयता के अमान्यीकरण और एक नई देयता के मान्यीकरण के रूप में मानी जाती है। संबंधित मौजूदा राशि में अंतर लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है।
- v) वित्तीय आस्तियां और वित्तीय देयताएं ऑफसेट कर दी जाती हैं और निवल राशि तुलनपत्रक में प्रतिवेदित की जाती है, यदि मान्य राशि को ऑफसेट करने का बाध्यकारी कानूनी अधिकार होता है और निवल आधार पर आस्तियों को मान्य करने तथा देयताओं के समायोजन की मंशा होती है।

8. राजस्व मान्यीकरण और अन्य आय

कंपनी की, 01.04.2018 से प्रभावी इंड एस 115 "ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व" के तहत आने वाली कोई आय नहीं है, इसलिये कंपनी के लिये इंड एस 115 के अनुसार लेखा में मापन और स्पष्टीकरण संबंधी अपेक्षाएं पूरी करना जरूरी नहीं है। अन्य स्रोतों से प्राप्त राजस्व को उस सीमा तक मान्य किया गया है जहां तक उससे कंपनी को आर्थिक लाभ पाने और राजस्व के विश्वसनीय ढंग से मापन की संभावना है, चाहे भुगतान किसी भी समय किया जा रहा हो, केवल निम्नलिखित स्थितियों को छोड़कर जो नकदी आधार पर लेखांकित किये जाते हैं।

- i. समायोजन पर या न्यायालय/मध्यस्थता, अर्द्धन्यायिक निकायों के निर्णय के अनुसार ब्याज सहित प्राप्त दावे
- ii. बीमा दावों की प्राप्ति
- iii. स्क्रेप की बिक्री
- iv. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को चुकाया गया ब्याज/एपीडीआरपी योजना के तहत ऋण पर डिस्कॉम्स से प्राप्त ब्याज
- v. इक्विटी शेयर पर प्राप्त लाभांश
- vi. ऋण पर दंडात्मक ब्याज सहित ओवरड्यू भुगतान पर विलंब भुगतान सरचार्ज प्राप्ति आधार पर दर्ज किया जाता है।

9. सरकारी अनुदान

- i. प्रमोटर के अंशदान के रूप में सरकार से प्राप्त अनुदान सहायता पूंजी रिजर्व मानी जाती है।
- ii. जहां सरकारी अनुदान सकल मूल्य पर प्रस्तुत आस्ति से जुड़ा होता है, वहां वह लाभ-हानि विवरण में आस्ति के उपयोगी जीवन पर आय के रूप में मान्य होता है। जो अनुदान कंपनी द्वारा किये गये व्यय की क्षतिपूर्ति के लिये होते हैं वे उस अवधि में मान्य होते हैं जिसमें व्यय किया गया।

10. नकदी और नकदी समतुल्य तथा बैंक शेष और जमा

तुलन पत्रक में नकदी और नकदी समतुल्य तथा बैंक शेष और जमा में बैंक में रखी और पास में उपलब्ध नकद राशि तथा तीन महीने से कम की वास्तविक परिपक्वता अवधि वाले लघु अवधि जमा शामिल होते हैं, जिनके मूल्य में बदलाव का जोखिम नहीं के बराबर होता है। तीन महीने से अधिक की वास्तविक परिपक्वता अवधि वाले सावधि जमा सहित बैंक शेष अलग से बैंक शेष के तहत दर्शाये जाते हैं।

11. प्रावधान और आपात देयताएं

कोई प्रावधान तब मान्य किया जाता है जब किसी पिछली घटना के कारण कंपनी का मौजूदा कानूनी या रचनात्मक दायित्व हो जिसका विश्वसनीय ढंग से आकलन किया जा सकता हो, और यह संभावित हो कि इस दायित्व के समायोजन के लिये आर्थिक लाभ का बहिर्गमन जरूरी होगा। यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण हो, तो प्रावधानों का निर्धारण कर पूर्व दर पर भविष्य के अनुमानित नकदी प्रवाह को निकाल कर किया जाता है जो धन के समय मूल्य का मौजूदा बाजार आकलन और देयता के लिये जोखिम विशेष दर्शाता है। जब मितीकाटा का उपयोग किया जाता है तो समय गुजरने के साथ प्रावधान में वृद्धि वित्तीय लागत के रूप में दर्शायी जाती है।

जब किसी प्रावधान के समायोजन के लिये आवश्यक कुछ या सभी आर्थिक लाभ किसी तीसरे पक्ष से वसूले जाने की संभावना होती है तो प्राप्य को एक आस्ति के रूप में मान्य किया जाता है यदि यह निश्चित प्रतीत होता हो कि प्रतिपूर्ति प्राप्त हो जायेगी और प्राप्य राशि विश्वसनीय ढंग से मापी जा सकेगी। प्रावधान से संबंधित लागत, किसी भी प्रतिपूर्ति से निवल, लाभ-हानि विवरण में दर्शायी जाती है।

आपात देयताएं लेखा में टिप्पणी या इन देयताओं की राशि के जरिये स्पष्ट की जाती हैं।

12. कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ

डीपीसीएल में कार्यरत कर्मचारी डीटीएल/आईपीजीसीएल से या तो स्थानांतरित या प्रतिनियुक्ति आधार पर हैं। कंपनी इन्हें वेतन, चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति, एलटीसी, अवकाश वेतन, पेंशन अंशदान आदि का भुगतान डीटीएल/आईपीजीसीएल को प्रतिपूर्ति/समायोजन के जरिये कर रही है। कंपनी में प्रतिनियुक्ति के आधार पर काम कर रहे कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ के लिये अंशदान का भुगतान संबंधित मूल विभाग/कंपनी को किया जा रहा है। चूंकि कंपनी का अपना कोई नियमित कर्मचारी नहीं है, इसलिये कंपनी में सेवा निवृत्ति लाभ की कोई नीति नहीं बनायी गयी है।

13. पूर्व अवधि व्यय

पूर्व वर्षों के प्रत्येक संदर्भ में 25,000 रुपये तक का आय/व्यय मौजूदा वर्ष में प्रभारित किया जाता है।

14. प्रति शेयर आय

प्रति इक्विटी शेयर प्राथमिक आय की संगणना, कंपनी के इक्विटी शेयर धारकों को होने वाले निवल लाभ या हानि को वित्तीय वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों की औसत संख्या से भाग देकर की जाती है।

प्रति शेयर तनुकृत आय में प्रति शेयर प्राथमिक आय के निर्धारण में प्रयुक्त आंकड़ों का समायोजन किया जाता है ताकि ब्याज के कर बाद प्रभाव और तनुकृत किये जा सकने वाले इक्विटी शेयर से जुड़े अन्य वित्तीय लागत, तथा अतिरिक्त इक्विटी शेयर की औसत संख्या, जो तनुकृत किये जा सकने वाले शेयरों के बदलाव के कारण बकाया रह सकते थे, को ध्यान में रखा जा सके।

15. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण इंड एस-7 "नकदी प्रवाह विवरण" में निर्दिष्ट अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया जाता है।

16. कराधान

आय कर व्यय में वर्तमान और आस्थगित कर शामिल होता है। वर्तमान कर व्यय लाभ या हानि में मान्य किया जाता है, उस सीमा को छोड़कर जहां यह सीधे अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में दर्ज मदों से या इक्विटी से संबंधित होता है, इस स्थिति में यह ओसीआई या इक्विटी में मान्य होता है।

वर्तमान कर, वर्ष के लिये कर योग्य आय पर भुगतान योग्य अनुमानित कर है। इसकी गणना लागू कर दर या बाद में लागू और रिपोर्टिंग तिथि पर व्यवहार्य दर और पिछले वर्षों के किसी भुगतान योग्य कर के समायोजन से की जाती है।

आस्थगित कर तुलन पत्रक विधि का उपयोग करते हुए मान्य किया जाता है, वित्तीय रिपोर्टिंग के लिये आस्तियों और देयताओं की वर्तमान राशि और कराधान के लिये प्रयुक्त राशि के बीच के अस्थायी अंतर का प्रावधान करते हुए। आस्थगित कर का मापन, लागू या रिपोर्टिंग तिथि पर लागू होने वाले कानूनों के आधार पर, उन दरों पर होता है जिन्हें अस्थायी अंतरों पर लागू किये जाने की संभावना होती है। आस्थगित कर आस्तियां और देयताएं ऑफसेट हो जाती हैं यदि वर्तमान कर देयता और आस्तियों को ऑफसेट करने का कानूनी बाध्यकारी अधिकार होता है और वे उसी कर प्राधिकरण द्वारा लगाये गये आय करों से संबंधित होती हैं।

आस्थगित कर लाभ या हानि में मान्य किया जाता है, उस सीमा को छोड़कर जहां यह सीधे अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में दर्ज मदों से या इक्विटी से संबंधित होता है, इस स्थिति में यह ओसीआई या इक्विटी में मान्य होता है।

आस्थगित कर आस्ति उस सीमा तक मान्य की जाती है जहां यह संभव हो कि भविष्य में करयोग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसपर अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकेगा। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आस्थगित कर आस्तियों की समीक्षा की जाती है और इसे इस सीमा तक कम कर दिया जाता है कि संबंधित कर लाभ मान्य होने की कोई संभावना नहीं रह जाती।

17. सद्भावना/पूंजी रिजर्व

सद्भाव/पूंजी रिजर्व एसोसिएट कंपनी के निवल मूल्य में मूल कंपनी का हिस्सा और सहायक कंपनी में निवेश करते समय अधिग्रहण लागत के बीच के अंतर को दर्शाता है। इस उद्देश्य के लिये सहायक कंपनियों के निवल मूल्य में मूल कंपनी के हिस्से का निर्धारण अधिग्रहण से पहले एसोसिएट कंपनियों के अद्यतन वित्तीय विवरणों के आधार पर, इन वित्तीय विवरणों की तिथि और संबंधित अधिग्रहण की तिथि के बीच के घटनाक्रमों के लिये जरूरी समायोजन के बाद, किया जाता है।

दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिये वित्तीय विवरणों का टिप्पणी भाग

टिप्पणी 2. परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण – गैर वर्तमान आस्तियां

(लाख रुपये में)

विवरण	फर्नीचर और फिक्सचर	वाहन	कार्यालय उपकरण	कम्प्यूटर	एयर कंडीशनर	मोबाईल फोन	ब्रीफ केस	कुल
	1	2	3	4	5	6	7	
समग्र ब्लॉक								
1 अप्रैल 2020 को	26.66	4.33	3.39	20.25	3.64	0.33	0.37	58.97
योग		-		1.45	-	0.16	0.19	1.80
निस्तारण								-
31 मार्च 2021 को	26.66	4.33	3.39	21.70	3.64	0.49	0.56	60.77
ह्रास								
1 अप्रैल 2020 को	25.23	4.12	3.09	18.75	1.52	0.21	0.37	53.29
अवधि के लिये प्रभार	0.16	-	0.04	0.77	0.57	0.13	0.19	1.86
निरसन / समायोजन								-
31 मार्च 2021 को	25.39	4.12	3.13	19.52	2.09	0.34	0.56	55.15
निवल खंड								
31 मार्च 2020 को	1.43	0.21	0.30	1.50	2.12	0.12	-	5.68
31 मार्च 2021 को	1.27	0.21	0.26	2.18	1.55	0.15	(0.00)	5.62

टिप्पणी 3. अमूर्त आस्तियां— गैर वर्तमान आस्तिया

(लाख रुपये में)

विवरण	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर
सकल खंड	
1 अप्रैल 2019 को	0.93
योग	-
निस्तारण	-
31 मार्च 2020 को	0.93
1 अप्रैल 2020 को	0.93
योग	
निस्तारण	
31 मार्च 2021 को	0.93
मूल्यहास/परिशोधन	
1 अप्रैल 2020 को	(0.90)
अवधि के लिये प्रभार	-
निरस्तीकरण/समायोजन	-
31 मार्च 2021 को	(0.90)
निवल खंड	
31 मार्च 2020 को	
31 मार्च 2021 को	0.03

3.1 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर की राशि, कंपनी द्वारा लगातार उपयोग में लाये जाने पर अपने परिरक्षित मूल्य पर रहती है।

टिप्पणी 4. इक्विटी शेयर में निवेश — गैर वर्तमान आस्तियां

(लाख रुपये में)

विवरण	%	इकाईयां	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
अनुषंगी कंपनी के शेयरों में निवेश—(अनुदधृत, पूर्ण चुकता)				
(i) इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लि. (रु. 10/-प्रत्येक शेयर)	19.01	140000000	14,000.00	41,713.22
(ii) दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड. (रु. 10/-प्रत्येक शेयर)	6.58	260000000	26,000.00	23,751.60
(iii) बीएसईएस यमुना पावर लि. (रु. 10/-प्रत्येक शेयर)	49.00	272440000	76,944.70	56,778.26
(iv) बीएसईएस राजधानी पावर लि. (रु. 10/-प्रत्येक शेयर)	49.00	509600000	1,39,703.41	1,01,909.22
(v) टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लि. (रु. 10/-प्रत्येक शेयर) (इसमें 901,60,000 बोनस शेयर शामिल है)	49.00	515480000	1,93,283.54	1,78,683.14
(vi) इंद्रप्रस्थ एनर्जी एंड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी लि. IEWMCL (रु. 10/-प्रत्येक शेयर)	50.00	50000		
जोड़ें: डीटीएल में निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ और हानि			5,018.00	
जोड़ें: आईपीजीसीएल में निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ और हानि			22,904.00	
कुल			4,77,853.65	4,02,835.44

- 4.1 इंड एस 28 के अनुसार क्रम संख्या (iii), (iv), (v) और (vi) की कंपनियां डीपीसीएल की सहयोगी कंपनियां हैं। डीपीसीएल की इन कंपनियों के कुल इक्विटी शेयर में 20 प्रतिशत या अधिक की शेयर धारिता के जरिये वोटिंग पावर है। क्रम संख्या (i) और (ii) की कंपनियां असोसिएट हैं और डीपीसीएल का इन पर महत्वपूर्ण प्रभाव है।
- 4.2 टीपीडीडीएल ने 12.03.2021 को रुपये 10/- प्रत्येक के 245,000,000 बोनस शेयर (संख्या) आवंटित किए हैं। इस प्रकार शेयरों की कुल संख्या 270,480,000 से बढ़कर 515,480,000 हो गई है, जबकि टीपीडीडीएल में डीपीसीएल का कुल निवेश रु. 1803,200,000/- हो गया है।
- 4.3 इंद्रप्रस्थ एनर्जी एंड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी लि. अपने गैर लेखा परीक्षित अस्थायी वित्तीय विवरणों के आधार पर, हमारे वैधानिक अनुपालनों से अनुरूपता के लिये समेकित की जा रही हैं। उनकी वैधानिक लेखा परीक्षा के तहत वित्तीय जानकारी में कोई बदलाव अगले वर्षों के वित्तीय विवरणों में शामिल कर लिया जायेगा।
- "*मेसर्स दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड और मेसर्स इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड को वित्तीय वर्ष 2019-20 तक सहयोगी माना गया और लागत पर हिसाब में लिया गया। परन्तु, चालू वित्तीय वर्ष में कंपनी ने राय ली है कि ये कंपनियां सहयोगी कंपनियां नहीं हैं क्योंकि इन कंपनियों में निवेश 20% से कम है। इसलिए, हमने इंड एस 109 के अनुसार इन निवेशों को अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा है और इक्विटी उपकरणों में निवेश के रूप में माना है और इसलिए उचित मूल्य पर ले हिसाब में लिया गया है। इन निवेशों का उचित मूल्यांकन भारतीय लेखा मानक 109 की आवश्यकता के अनुसार पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा किया गया है।

टिप्पणी 4 क अन्य वित्तीय आस्तियां-गैर वर्तमान आस्तियां

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
12 महीने से अधिक अवधि की बैंक जमा राशि	3,508.17	-
कुल	3,508.17	-

टिप्पणी 4ख डीटीएल और आईपीजीसीएल के निवेश में समायोजन

(लाख रुपये में)

विवरण	डीटीएल	आईपीजीसीएल
31 मार्च 2020 को निवेश की कैरिंग राशि	23751.60	41,713.22
घटाएं:- क्षति हानि का समायोजन	(3,561.19)	0
	27312.79	41713.22
घटाएं:- निवेश का उचित मूल्य	26000.00	14000.00
31.03.2021 तक निवेश के मूल्य में वृद्धि	1,312.79	27,713.22
घटाएं:- पूंजी आरक्षी/सदभाव	(6,897.69)	0
डीटीएल और आईपीजीसीएल के निवेश के कारण	8,210.48	27,713.22
31.03.2020 तक आरक्षी में वृद्धि		

मेसर्स दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड और मेसर्स इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड को वित्तीय वर्ष 2019-20 तक सहयोगी माना गया। परन्तु चालू वित्त वर्ष में कंपनी ने यह राय ली है कि ये कंपनियां सहयोगी कंपनियां नहीं हैं क्योंकि इन कंपनियों में निवेश 20% से कम है। इसलिए, हमने 1 अप्रैल 2020 से डीटीएल और आईपीजीसीएल के लिए इक्विटी पद्धति का उपयोग बंद कर दिया है और इन निवेशों को इंड एस 109 के अनुसार इक्विटी उपकरणों में निवेश के रूप में माना है। इस बारे में उपरोक्त (i) और (ii) देखें।

टिप्पणी 5: अन्य गैर वर्तमान आस्तियां

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
वसूली योग्य बकाया-असुरक्षित लेकिन अच्छे समझे गए		
i. दिल्ली विद्युत बोर्ड के विघटन से पहले का वसूली योग्य बकाया	44,653.30	44,653.30
घटाएं: फंसे और संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान	(11,523.97)	(11,523.97)
	33,129.33	33,129.33
ii. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से वसूली योग्य सीपीएसयू बकाया (डेसू अवधि)	33,263.90	66,527.80
कुल	66,393.23	99,657.13

- 5.1 भारत सरकार के निर्णय के अनुसार डेसू अवधि का सीपीएसयू और रेल मंत्रालय को चुकाए जाने वाली बिजली खरीद लागत देयता का भुगतान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी किया जाना था जिसके लिये भारत सरकार

ने दिल्ली सरकार को 3,32,639 लाख रुपये का ऋण स्वीकृतधस्वितरित किया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सीपीएसयू बकाये के भुगतान के लिये कंपनी को यह ऋण 9.50 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर जारी कर दिया। इस ऋण को 31 मार्च 2014 से दस बराबर किस्तों में चुकाया जाना था। चूंकि कंपनी कोई वाणिज्यिक राजस्व सृजित नहीं करती इसलिये वह तय भुगतान रूपरेखा के अनुसार ऋण देयता के भुगतान में सक्षम नहीं हुई और कंपनी के जिम्मे 31.03.2021 को 33263.90 लाख रुपये (पिछले वर्ष 66,527.80 लाख रुपये) बकाया हैं। परन्तु, कंपनी की राय में डीईएसयू अवधि का सीपीएसयू बकाया हस्तांतरण योजना नियमों के अनुसार कंपनी की देयता का हिस्सा नहीं था, इसलिये कंपनी ने यह मामला, बकाया राशि को दिल्ली सरकार से गैर वापसी योग्य वित्तीय सहयोग मानने के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को भेजा है। इस संदर्भ में दिल्ली सरकार इस ऋण को रद्द करने और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पक्ष में एक मुश्त अनुदान में बदलने के लिये केंद्र सरकार से लगातार संपर्क कर रही है। दिल्ली सरकार ने भारत सरकार से यह भी कहा है कि इस राशि को दिल्ली सरकार के लिये एक मुश्त अनुदान में बदल देने से डीपीसीएल के खाते में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को भुगतान योग्य दिखाई गयी यह राशि अपने आप दिल्ली सरकार द्वारा डीपीसीएल के लिये एक मुश्त अनुदान में बदल जायेगी। इस संदर्भ में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बिजली विभाग ने 18.04.2017 को भारत सरकार के बिजली मंत्रालय को फिर इस आशय का प्रतिवेदन भेजा है। इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विद्युत सचिव ने भारत सरकार के बिजली मंत्रालय के सचिव को दिनांक 21.10.2020 को डीओ पत्र भी भेजा है। इस बारे में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से लंबित अनुमोदन के कारण कंपनी इस ऋण राशि को ब्याज सहित बकाया और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से अग्रिम के रूप में वसूली योग्य दिखला रही है, जिसे इस टिप्पणी और टिप्पणी-9 में 'अन्य वर्तमान आस्तियों' के रूप में दर्शाया गया है। इसे देखते हुए लेखा में ऋण की बकाया राशि पर दंड स्वरूप ब्याज का प्रावधान नहीं किया गया है।

5.2 संदिग्ध ऋणों के प्रावधान को छोड़कर 44,653.30 लाख रुपये की राशि (पिछले वर्ष 44,653.30 लाख) उपभोक्ताओं—घरेलू/औद्योगिक और सरकारी विभाग/कंपनियों से वसूली योग्य दिल्ली विद्युत बोर्ड के विभाजन से पहले की अवधि के बिजली शुल्क को दर्शाती है। जहां 28,682.80 लाख रुपये (पिछले वर्ष 28,682.80 लाख) सरकारी विभागों/कंपनियों से वसूली योग्य है वहीं 15,970.50 लाख रुपये (पिछले वर्ष 15,970.50 लाख) अन्य घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं से वसूली योग्य हैं। इन बकाया राशियों की वसूली का प्रयास अदालतों और अन्य अर्द्ध न्यायिक फोरम और तीन डिस्कॉम्स के हस्तक्षेप से किया जा रहा है। हालांकि अधिशेष विलंब भुगतान प्रभार राशि, पुष्टि और समायोजन के अधीन है, जिसकी प्रक्रिया जारी है और सक्षम प्राधिकरण के अनुमोदन के बाद आवश्यक समायोजन कर लिया जायेगा।

5.3 "5.3 याचिकाकर्ता ललित गुलाटी और रणवीर सिंह ने जीएनसीटीडी की 16/19 मई 2008 की अधिसूचना के खिलाफ 2009 में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की थी, जिसमें जीएनसीटीडी द्वारा जारी आदेश/अधिसूचना संख्या 1278 दिनांक 16/19 मई 2008, जिसमें डीईआरसी निजी बिजली उपभोक्ताओं के संबंध में डीईएसयू/डीवीबी अवधि के दौरान बिजली की बिक्री के संदर्भ में मूल बकाया राशि को बढ़े खाते में डालने और केवल उस अवधि से संबंधित उनके देर से भुगतान अधिभार को माफ करने के निर्देश देगा, सिवाय उन मामलों के, जो किसी भी फोरम और किसी भी स्तर पर मुकदमेबाजी के अधीन हैं।

जीएनसीटीडी/डीपीसीएल द्वारा दायर एलपीए (अपील): — रणवीर सिंह और ललित गुलाटी के नाम से एलपीए का बंध दिल्ली के उच्च न्यायालय में लंबित हैं जिन्हें बिजली विभाग, जीएनसीटीडी द्वारा डीपीसीएल के साथ सह-अपीलकर्ता के रूप में दायर किया गया था। यह एक महत्वपूर्ण मामला है जिसमें जीएनसीटीडी के खिलाफ बिजली उपभोक्ताओं रणवीर सिंह, ललित गुलाटी और अन्य द्वारा दायर रिट याचिकाओं के समूह में आदेश पारित किया गया, जिससे जीएनसीटीडी/डीपीसीएल पर भारी वित्तीय प्रभाव पड़ा। चूंकि इन रिट याचिकाओं/एलपीए में समान प्रश्न हैं और डीपीसीएल और जीएनसीटीडी दोनों के लिए निहितार्थ हैं, इसलिए उन्हें डीपीसीएल और जीएनसीटीडी के बीच घनिष्ठ समन्वय में संभाला जाना है।

वर्तमान में जीएनसीटीडी और डीपीसीएल द्वारा दायर अपीलें नियमित की श्रेणी में माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के समक्ष लंबित हैं और सुनवाई की पिछली तिथि 1 सितंबर 2021 थी।

टिप्पणी 6. नकदी और नकदी समतुल्य

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
बैंको में अधिशेष		
चालू खाते में	16.79	9.84
जमा खातों में (3 महीने के भीतर मूल परिपक्वता के साथ एफडीआर)	149.05	3501.23
कुल	165.84	3,511.07

6.1 नकदी और नकदी समतुल्य उचित मूल्य होने से परिशोधित मूल्य पर लिया गया है।

टिप्पणी 7. बैंक अधिशेष और जमा

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
बैंको में अधिशेष		
जमा खातों में (3 महीने से अधिक की एफडीआर)	1,30,207.93	1,18,132.87
कुल	1,30,207.93	1,18,132.87

टिप्पणी 8. अन्य वित्तीय आस्तियां— वर्तमान आस्तियां

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
(i) जमा पर प्रोद्भूत ब्याज		
ब्याज प्रोद्भूत लेकिन एफडीआर पर बकाया नहीं	3,405.48	4,806.75
ब्याज प्रोद्भूत और ऋण-आईपीजीसीएल पर बकाया	-	-
(ii) अग्रिम-अन्य		
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से वसूली योग्य	5.72	5.72
डीटीएल से वसूली योग्य	17,484.04	17,808.40
आईपीजीसीएल से वसूली योग्य	8,011.61	8,011.61
बीएसईएस- आरपीएल से वसूली योग्य	12,293.81	12,293.81
बीएसईएस- वाईपीएल से वसूली योग्य	5,579.89	5,579.89
टीपीडीडीएल से वसूली योग्य	2,018.82	2,018.82
कुल	48,799.37	50,525.00

8.1 अग्रिम अन्य के तहत दर्शायी गयी राशि में दिल्ली विद्युत बोर्ड के विभाजन से पहले किये गये कार्यों के लिये ठेकेदारों/ आपूर्तिकर्ताओं के दावों के भुगतान के लिये कंपनी से जारी बीआरपीएल, बीवाईपीएल, टीपीडीडीएल, डीटीएल और आईपीजीसीएल से वसूली योग्य क्रमशः 9,258.52 लाख, 3,441.41 लाख, 1,319.24 लाख, 12,210.63 लाख और 119.55 लाख रुपये की राशि शामिल है। कानूनी मत के अनुसार ये राशि इन कंपनियों से, 2010 में के. आर. जैन मामले में दिये गये माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुरूप, वसूली योग्य हैं। कंपनी ने बकायों की वसूली के लिये बीआरपीएल, बीवाईपीएल और टीपीडीडीएल के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में मामला दायर किया है। समान प्रबंधन के तहत सरकारी कंपनियां होने के नाते डीटीएल और आईपीजीसीएल से वसूली का काम कंपनी सीधे देख रही है। अग्रिम अन्य के तहत दर्शाये गये शेष में, दिल्ली विद्युत बोर्ड को समाप्त किये जाने की तिथि पर कंपनी को स्थानांतरित 19,044.55 लाख रुपये की राशि भी शामिल है, जो समायोजन/पुष्टि के अधीन है, जिसकी प्रक्रिया जारी है और आवश्यक समायोजन सक्षम प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन और समाधान के तहत किया जायेगा।

टिप्पणी 9. अन्य वित्तीय आस्तियां

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
1. सीपीएसयू बकाये (डीईएसयू अवधि) पर रा.रा.क्षे.दि.स. से वसूली योग्य अग्रिम	2,99,375.10	2,66,111.20
2. सीपीएसयू (डीईएसयू अवधि) पर रा.रा.क्षे.दि.स. से वसूली योग्य राशि पर ब्याज	2,27,178.76	1,95,578.06
3. वसूली योग्य अग्रिम	8,116.10	8,116.10
4. रिफंड योग्य आयकर	1,054.64	1,055.32
कुल	5,35,724.60	4,70,860.68

9.1 भारत सरकार के निर्णय के अनुसार सीपीएसयू और रेल मंत्रालय को भुगतान योग्य डीईएसयू अवधि की बिजली खरीद देयता का निर्वहन रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा किया जाना था, और इसके लिये भारत सरकार ने रा.रा.क्षे.दि.स. को 3,32,639 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत/संवितरित किया था। रा.रा.क्षे.दि.स. ने सीपीएसयू बकाये के भुगतान के लिये यह ऋण 9.50 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर कंपनी को संवितरित कर दिया और 31 मार्च 2014 से 10 समान किस्तों में ऋण चुकाने का निर्देश दिया। चूंकि कंपनी कोई वाणिज्यिक राजस्व सृजित नहीं करती इसलिये वह तय भुगतान रूपरेखा के अनुसार ऋण देयता के भुगतान में सक्षम नहीं हुई और कंपनी के जिम्मे 31.03.2021 को 33,263.90 लाख रुपये (पिछले वर्ष 66,527.80 लाख रुपये) बकाया हैं। हालांकि कंपनी की राय में डीईएसयू अवधि का सीपीएसयू बकाया हस्तांतरण योजना नियमों के अनुसार

कंपनी की देयता का हिस्सा नहीं था, इसलिये कंपनी ने यह मामला, बकाया राशि को दिल्ली सरकार से गैर वापसी योग्य वित्तीय सहयोग मानने के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को भेजा है। इस संदर्भ में दिल्ली सरकार इस ऋण को रद्द करने और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पक्ष में एक मुश्त अनुदान में बदलने के लिये केंद्र सरकार से लगातार संपर्क कर रही है। दिल्ली सरकार ने भारत सरकार से यह भी कहा है कि इस राशि को दिल्ली सरकार के लिये एक मुश्त अनुदान में बदल देने से डीपीसीएल के खाते में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को भुगतान योग्य दिखाई गयी यह राशि अपने आप दिल्ली सरकार द्वारा डीपीसीएल के लिये एक मुश्त अनुदान में बदल जायेगी। इस संदर्भ में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बिजली विभाग ने 18.04.2017 को भारत सरकार के बिजली मंत्रालय को फिर इस आशय का प्रतिवेदन भेजा है। इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विद्युत सचिव ने भारत सरकार के बिजली मंत्रालय के सचिव को दिनांक 21.10.2020 को डीओ पत्र भी भेजा है। इस बारे में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से लंबित अनुमोदन के कारण कंपनी इस ऋण राशि को ब्याज सहित बकाया और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से अग्रिम के रूप में वसूली योग्य दिखला रही है, जिसे इस टिप्पणी और टिप्पणी- 9 (अन्य वर्तमान आस्तियां) में दर्शाया गया है। इसे देखते हुए लेखा में ऋण की बकाया राशि पर दंड स्वरूप ब्याज का प्रावधान नहीं किया गया है।

9.2 8,116 लाख रुपये (पिछले वर्ष 8,116 लाख) की राशि वसूली योग्य अग्रिम को दर्शाती है जो दिल्ली विद्युत बोर्ड को समाप्त किये जाने की तिथि पर कंपनी को स्थानांतरित हुई थी। परन्तु, यह अधिशेष समायोजनधृष्टि के अधीन है, जिसकी प्रक्रिया जारी है और आवश्यक समायोजन सक्षम प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन और समाधान के तहत किया जायेगा।

टिप्पणी 9क. वर्तमान कर रिफंड योग्य

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
कर देयता के लिए प्रावधान		
अदा किया गया अग्रिम कर/काटा गया टीडीएस	2,241.86	-
घटाएं: वर्तमान कर देयता	2202.47	-
वर्तमान कर रिफंड योग्य	39.39	-
कुल	39.39	-

टिप्पणी 10. इक्विटी शेयर पूंजी

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
अधिकृत शेयर पूंजी		
प्रति 10 रुपये का इक्विटी शेयर	1,50,000.00	1,50,000.00
	1,50,000.00	1,50,000.00
जारी, सब्सक्राइब्ड और भुगतान की गयी पूंजी		
प्रति 10 रु. इक्विटी शेयर, पूर्ण चुकता	74,505.000	74,505.00
कुल	74,505.00	74,505.00

शेयरों की संख्या का मिलान

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में बचे शेयर	74,50,50,000	74,50,50,000
अवधि के दौरान योग		9.84
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बचे शेयर	74,50,50,000	74,50,50,000

शेयरों से जुड़े अधिकार, प्राथमिकताएं और प्रतिबंध

कंपनी के पास प्रत्येक 10 रुपये मूल्य का केवल एक ही श्रेणी का शेयर है। प्रत्येक शेयर धारक को समान वोटिंग, पूंजी और अन्य अधिकार हैं। शेयर धारक लाभांश प्राप्त करने और शेयर धारकों की बैठक में अपनी शेयर धारिता के अनुपात में वोटिंग अधिकार का पात्र है। निदेशक मंडल की अनुशांसा के बिना शेयरधारकों को कोई भी लाभांश या निधि लौटाने के अन्य साधनों का भुगतान नहीं किया जायेगा।

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर धारकों को वितरित किये जाने के लिये मान्य प्रति शेयर लाभांश की राशि 'शून्य' थी।

कंपनी में कुल शेयर के 5% से अधिक धारिता वाले शेयरधारकों के शेयरों का विवरण:

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
शेयरों की संख्या	74,50,50,000	74,50,50,000
दिल्ली के उपराज्यपाल और नामिती निदेशक/रा.रा.क्षे.दि.स.के कर्मचारी	100%	100%

टिप्पणी 11. अन्य इक्विटी

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
पूंजी आरक्षी		
रा.रा.क्षे.दि.स.से सहायता अनुदान		
31 मार्च 2021 को शेष	2,07,969.69	2,07,969.69
	2,07,969.69	2,07,969.69
समेकन पर पूंजी आरक्षी	28,342.20	28,342.20
प्रतिधारित आय		
प्रारंभिक शेष	1,38,684.14	79,081.83
जोड़े: वर्ष के लिये लाभ	50,409.65	59,740.68
जोड़े: वर्ष के लिये अन्य व्यापक आय	28,114.13	(138.37)
	2,17,207.92	1,38,684.14
कुल	4,53,519.81	3,74,996.03

टिप्पणी 12. गैर वर्तमान देयताएं— वित्तीय देयताएं

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
ऋण/उधारी—असुरक्षित		
(i) रा.रा.क्षे.दि.स, सीपीएसयू बकाया (डीईएसयू अवधि)	3,32,639.00	3,32,639.00
घटाये: उधारी की वर्तमान परिपक्वता	(2,99,375.10)	(2,66,111.20)
कुल	33,263.90	66,527.80

12.1 भारत सरकार के निर्णय के अनुसार सीपीएसयू और रेल मंत्रालय को भुगतान योग्य डीईएसयू अवधि की बिजली खरीद देयता का निर्वहन रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा किया जाना था, और इसके लिये भारत सरकार ने रा.रा.क्षे.दि.स. को 3,32,639 लाख रुपये का ऋण स्वीकृतधस्वितरित किया था। रा.रा.क्षे.दि.स. ने सीपीएसयू बकाये के भुगतान के लिये यह ऋण 9.50 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर कंपनी को संवितरित कर दिया और 31 मार्च 2014 से 10 समान किस्तों में ऋण चुकाने का निर्देश दिया। चूंकि कंपनी कोई वाणिज्यिक राजस्व सृजित नहीं करती इसलिये वह तय भुगतान रूपरेखा के अनुसार ऋण देयता के भुगतान में सक्षम नहीं हुई और कंपनी के जिम्मे 31.03.2021 को 33,263.90 लाख रुपये (पिछले वर्ष 66,527.80 लाख रुपये) बकाया हैं। परन्तु, कंपनी की राय में डीईएसयू अवधि का सीपीएसयू बकाया हस्तांतरण योजना नियमों के अनुसार कंपनी की देयता का हिस्सा नहीं था, इसलिये कंपनी ने यह मामला, बकाया राशि को दिल्ली सरकार से गैर वापसी योग्य वित्तीय सहयोग मानने के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को भेजा है। इस संदर्भ में दिल्ली सरकार इस ऋण को रद्द करने और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पक्ष में एक मुश्त अनुदान में बदलने के लिये केंद्र सरकार से लगातार संपर्क कर रही है। दिल्ली सरकार ने भारत सरकार से यह भी कहा है कि इस राशि को दिल्ली सरकार के लिये एक मुश्त अनुदान में बदल देने से डीपीसीएल के खाते में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को भुगतान योग्य दिखाई गयी यह राशि अपने आप दिल्ली सरकार द्वारा डीपीसीएल के लिये एक मुश्त अनुदान में बदल जायेगी। इस संदर्भ में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बिजली विभाग ने 18.04.2017 को भारत सरकार के बिजली मंत्रालय को फिर इस आशय का प्रतिवेदन भेजा है। इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विद्युत सचिव ने भारत सरकार के बिजली मंत्रालय के सचिव को दिनांक 21.10.2020 को डीओ पत्र भी भेजा है। इस बारे में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से लंबित अनुमोदन के कारण कंपनी इस ऋण राशि को ब्याज सहित बकाया और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से अग्रिम के रूप में वसूली योग्य दिखला रही है, जिसे टिप्पणी-9 "अन्य वर्तमान आस्तियां" में दर्शाया गया है। इसे देखते हुए लेखा में ऋण की बकाया राशि पर दंड स्वरूप ब्याज का प्रावधान नहीं किया गया है।

12.2 उधारियां उचित मूल्य होने से परिशोधित मूल्य पर ली गयी है।

टिप्पणी 13. व्यापार भुगतान योग्य/ऋणदाता – गैर वर्तमान देयताएं

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
व्यापार भुगतान योग्य		
सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों को दाय	-	-
सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों के अलावा अन्य को दाय	16,933.98	16,933.98
कुल	16,933.98	16,933.98

13.1 दिल्ली विद्युत बोर्ड (डीवीबी) समाप्त किये जाने पर पांच उत्तराधिकारी कंपनियों को हस्तांतरित किये जाने के बाद डीवीबी की सभी शेष आस्तियां और देयताएं दिल्ली बिजली सुधार (हस्तांतरण योजना) विनियम, 2001 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी द्वारा ले ली गयीं थीं। इसके अनुसार फुटकर ऋणदाताओं (डीवीबी अवधि) के प्रति देयता राशि 16,933.98 लाख रुपये, डीवीबी से ली गयी देयताओं की राशि है जो समायोजनधुष्टि के अधीन है। समाधान प्रक्रिया जारी है और सक्षम प्राधिकरण के समाधान/अनुमोदन द्वारा आवश्यक समायोजन किया जायेगा।

13.2 व्यापार भुगतान योग्य/ऋणदाताओं को उचित मूल्य होने के कारण परिशोधित मूल्य पर रखा गया है।

टिप्पणी 14. अन्य वित्तीय देयताएं— गैर वर्तमान देयताएं

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
अन्य		
(i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	1,57,708.99	1,57,708.99
कुल	1,57,708.99	1,57,708.99

14.1 दिल्ली विद्युत बोर्ड (डीवीबी) समाप्त किये जाने पर पांच उत्तराधिकारी कंपनियों को हस्तांतरित किये जाने के बाद रह गयीं डीवीबी की सभी आस्तियां और देयताएं दिल्ली बिजली सुधार (हस्तांतरण योजना) विनियम, 2001 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी द्वारा ले ली गयीं थीं। इसके अनुसार रा.रा.क्षे.दि.स. को भुगतान योग्य राशि, जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है, सौदे/आपतन का निवल प्रभाव व्यक्त करती है और वसूली योग्य नहीं श्रेणी की विभिन्न आस्तियों और भुगतान योग्य नहीं श्रेणी की वर्तमान देयताएं/फुटकर ऋणदाताओं को रद्द किया जाना आवश्यक बनाती है क्योंकि ये सौदे/आपतन कंपनी के दायित्व नहीं हैं। परन्तु, रा.रा.क्षे.दि.स. को भुगतान योग्य दर्शायी गयी राशि कंपनी और रा.रा.क्षे.दि.स. के विद्युत विभाग के बीच पुष्टि/समाधान के अधीन है। समाधान प्रक्रिया जारी है और सक्षम प्राधिकरण के समाधान/अनुमोदन द्वारा आवश्यक समायोजन किया जायेगा।

टिप्पणी 15. अन्य वित्तीय देयताएं—वर्तमान

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
(a) दीर्घावधि उधारियों की वर्तमान परिपक्वता (टिप्पणी 12 देखें)	2,99,375.10	2,66,111.20
(b) रा.रा.क्षे.दि.स.को भुगतानयोग्य सीपीएसयू बकाया (डीईएसयू अवधि) के लिये उधारियों पर प्रोद्भूत ब्याज	2,27,178.77	1,95,578.06
कुल	5,26,553.87	4,61,689.26

15.1 भारत सरकार के निर्णय के अनुसार सीपीएसयू और रेल मंत्रालय को भुगतान योग्य डीईएसयू अवधि की बिजली खरीद लागत की देयता का निर्वहन रा.रा.क्षे.दि.स.द्वारा किया जाना था और इसके लिये भारत सरकार ने रा.रा.क्षे.दि.स. को 3,32,639 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत/संवितरित किया था। रा.रा.क्षे.दि.स. ने सीपीएसयू बकाये के भुगतान के लिये यह ऋण 9.50 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर कंपनी को संवितरित कर दिया। यह ऋण 31 मार्च 2014 से 10 समान किस्तों में चुकाया जाना था। चूंकि कंपनी कोई वाणिज्यिक राजस्व सृजित नहीं करती इसलिये वह तय भुगतान रुपरेखा के अनुसार ऋण देयता के भुगतान में सक्षम नहीं हुई और कंपनी के जिम्मे 31.03.2021 को 2,99,375.10 लाख रुपये (पिछले वर्ष 2,66,111.20 लाख रुपये) बकाया हैं। हालांकि कंपनी की राय में डीईएसयू अवधि का सीपीएसयू बकाया हस्तांतरण

योजना नियमों के अनुसार कंपनी की देयता का हिस्सा नहीं था, इसलिये कंपनी ने यह मामला, बकाया राशि को दिल्ली सरकार से गैर वापसी योग्य वित्तीय सहयोग मानने के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को भेजा है। इस संदर्भ में दिल्ली सरकार इस ऋण को रद्द करने और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पक्ष में एक मुश्त अनुदान में बदलने के लिये केंद्र सरकार से लगातार संपर्क कर रही है। दिल्ली सरकार ने भारत सरकार से यह भी कहा है कि इस राशि को दिल्ली सरकार के लिये एक मुश्त अनुदान में बदल देने से डीपीसीएल के खाते में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को भुगतान योग्य दिखाई गयी यह राशि अपने आप दिल्ली सरकार द्वारा डीपीसीएल के लिये एक मुश्त अनुदान में बदल जायेगी। इस संदर्भ में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बिजली विभाग ने 18.04.2017 को भारत सरकार के बिजली मंत्रालय को फिर इस आशय का प्रतिवेदन भेजा है। इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विद्युत सचिव ने भारत सरकार के बिजली मंत्रालय के सचिव को दिनांक 21.10.2020 को डीओ पत्र भी भेजा है। इस बारे में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से लंबित अनुमोदन के कारण कंपनी इस ऋण राशि को ब्याज सहित बकाया और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से अग्रिम के रूप में वसूली योग्य दिखला रही है, जिसे टिप्पणी -5 और टिप्पणी- 9 में दर्शाया गया है। इसे देखते हुए लेखा में ऋण की बकाया राशि पर दंड स्वरूप ब्याज का प्रावधान नहीं किया गया है।

15.2 अन्य वित्तीय देयताएं चालू वित्तीय वर्ष के अंत में उचित मूल्य पर होने के कारण परिशोधित मूल्य पर ली गयी है।

टिप्पणी 16. व्यापार भुगतान योग्य

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
व्यापार भुगतान योग्य		
सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों को दाय	2.70	2.38
सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों के अलावा अन्य को दाय	-	-
कुल	2.70	2.38

टिप्पणी- 17. अन्य वर्तमान देयताएं

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
व्यय भुगतान योग्य	1.60	2.11
लेखा परीक्षक पारिश्रमिक भुगतानयोग्य	3.43	3.91
सुरक्षा जमा/प्रतिधारण राशि	0.05	0.05
वैधानिक देयताएं		
टीडीएस कॉन्ट्रैक्टर	0.14	0.15
टीडीएस वैधानिक/पेशेवर	0.65	0.68
प्रतिप्रभार के अंतर्गत जीएसटी	0.05	0.03
कुल	5.92	6.93

टिप्पणी 18. अल्पावधि प्रावधान

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
सीएसआर के लिए प्रावधान (देखें टिप्पणी संख्या 24 (ii))	203.66	-
कर देयता के लिए प्रावधान		
वर्ष के लिए कर देयता	-	1,422.28
घटाएं: अग्रिम कर/टीडीएस कटौती	-	(1,367.06)
वर्तमान कर देयता	-	55.22
कुल	203.66	55.22

टिप्पणी 19. उचित मूल्य के रूप में परिशोधित लागत पर वित्तीय आस्तियां

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
अन्य वित्तीय आस्तियां (टिप्पणी 8 देखें)	48,799.37	50,525.00
नकदी और नकदी समतुल्य (टिप्पणी 6 देखें)	165.84	3,511.07
नकदी और नकदी समतुल्य के अतिरिक्त बैंकशेष (टिप्पणी 7 देखें)	1,30,207.93	1,18,132.87
कुल	1,79,173.14	1,72,168.94

टिप्पणी 20. उचित मूल्य के रूप में परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
गैर-चालू देयताएं – वित्तीय देयताएं (ऋण/उधार – नोट 12 देखें)	33,263.90	66,527.80
व्यापार देय / लेनदार (नोट 13 देखें)	16,933.98	16,933.98
अन्य वित्तीय देनदारियां – गैर-वर्तमान देनदारियां (नोट 14 देखें)	1,57,708.99	1,57,708.99
अन्य वित्तीय देनदारियां – चालू (नोट 15 देखें)	5,26,553.87	4,61,689.26
व्यापार देय (नोट 16 देखें)	2.70	2.38
कुल	7,34,463.44	7,02,862.41

टिप्पणी 21. संचालन से राजस्व

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
कुल	-	-

टिप्पणी 22. अन्य आय

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
लाभांश आय		
टीपीडीडीएल से लाभांश		
इक्विटी शेयर	-	-
प्राथमिकता शेयर	-	-
बैंक जमा पर ब्याज	6,708.36	8,373.30
विविध आय	-	48.80
जीटीएल में निवेश के प्रति पूर्व वर्ष (वर्षों) में सृजित क्षति प्रावधानों का प्रत्यावर्तन।	3,561.20	
कुल	10,269.56	8,422.10

22.1 वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए टीपीडीडीएल द्वारा 6185.76 लाख रुपये के इक्विटी लाभांश की घोषणा की गई है, परन्तु, इस संबंध में कंपनी की लेखा नीति के अनुसार इसे चालू अवधि के दौरान कंपनी की आय के रूप में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि यह राशि 31.03.2021 को प्राप्त नहीं हुई है। इक्विटी लाभांश की उक्त राशि कंपनी को जुलाई, 2021 में प्राप्त हुई है।

टिप्पणी 23. कर्मचारी लाभ व्यय

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
वेतन, पारिश्रमिक, भत्ता और लाभ	324.45	217.43
कुल	324.45	217.43

23.1 डीपीसीएल में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन और पारिश्रमिक की राशि डीटीएल और आईपीजीसीएल द्वारा डीपीसीएल में कार्यरत कर्मचारियों के लिये जारी वेतन, पारिश्रमिक इत्यादि विवरण पर आधारित है।

टिप्पणी 24. अन्य व्यय

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
प्रशासनिक और सामान्य व्यय		
कानूनी और पेशेवर शुल्क	4.61	10.86
यात्रा और परिवहन	0.09	0.73
निदेशक बैठक शुल्क	0.24	0.65
विविध व्यय	0.98	0.95
बैंक प्रभार	0.05	0.08
डाक और टेलीफोन	1.02	1.86
छपाई और स्टेशनरी	1.77	2.23
मरम्मत और रखरखाव	0.72	0.60
पुस्तकें और पत्रिकाएं	0.09	0.13
वाहन बीमा	0.06	-
वाहन-पेट्रोल	0.16	0.16
मानव शक्ति हायरिंग व्यय	36.31	35.46
डी-मैट शुल्क	0.02	0.02
बिजली शुल्क	4.80	4.88
शुल्क और अंशदान	0.22	0.18
कम्प्यूटर सामान	1.17	1.07
कर और शुल्क	0.10	1.00
कार्यालय की साफ सफाई	0.32	0.15
कार्यालय रखरखाव व्यय	0.93	0.81
परामर्श शुल्क	6.07	6.12
लेखा परीक्षा शुल्क (टिप्पणी संख्या 24 (i) देखें)	4.45	4.56
बट्टेखाते डाली गई आस्तियां	-	0.01
मैट/आय कर पर ब्याज (दंड ब्याज)		
सीएसआर व्यय (टिप्पणी संख्या 24(ii) देखें)	203.66	-
कुल	267.84	72.51

(i) लेखा परीक्षकों को भुगतान

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
लेखा परीक्षा शुल्क		
वैधानिक लेखापरीक्षक	3.03	2.92
कर लेखापरीक्षक	0.47	0.40
वैधानिक लेखापरीक्षको पर अतिरिक्त व्यय	0.50	0.50
आंतरिक लेखापरीक्षक	0.45	0.45
सचिवालयीय लेखापरीक्षक	-	0.29
कुल	4.45	4.56

(ii) कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व व्यय (सीएसआर)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135, कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तर दायित्व नीति) नियम 2021 से संशोधित, के अनुसार कंपनी से यह अपेक्षित है कि वह अपनी सीएसआर नीति के अनुसार सीएसआर गतिविधियों के लिए व्यय करे। वर्ष के लिए सीएसआर खर्चों का विवरण इस प्रकार है:

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली कुल राशि	203.66	93.98
ख) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	-	-
i) किसी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-
ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	-	-
— विभिन्न न्यासों/एनजीओ/सोसाइटियों/एजेंसियों में योगदान और उनका उपयोग**	-	-
— सीएसआर के लिए नियमित प्रशासनिक व्यय	-	-
कुल	203.66	93.98

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के साथ पठित धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी को वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए क्रमशः 54.99 लाख और 93.98 लाख रुपये खर्च करने थे। शिक्षा निदेशालय, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय (आरपीवीवी), सिविल लाइंस, में स्टुडेंट डिवाइसिस के साथ कनेक्टेड कक्षाओं की स्थापना पर व्यय पहले ही किया जा चुका है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सितम्बर-2021 में "प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष" में 203.66 लाख रुपये का योगदान किया जा चुका है।

टिप्पणी- 25- प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (ईपीएस)

प्राथमिक ईपीएस राशि की गणना वर्ष में इक्विटी धारकों के लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या से भाग देकर की जाती है।

निम्नलिखित तालिका प्राथमिक और तनुकृत ईपीएस संगणना में प्रयुक्त आय और शेयरों से संबंधित डेटा दर्शाती है।

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
प्राथमिक अर्जन		
रिपोर्टिंग वर्ष के आरंभ में इक्विटी शेयर	74,50,50,000	74,50,50,000
वर्ष के दौरान योग	-	-
वर्ष के अंत में कुल शेयर	74,50,50,000	74,50,50,000
रिपोर्टिंग वर्ष का लाभ (रुपये में)	78523.78	59602.31
प्रत्येक 10 रुपये के इक्विटी शेयर पर प्राथमिक अर्जन (रुपये में)	10.54	8.00
तनुकृत अर्जन		
वर्ष के आरंभ में ईक्विटी शेयर	74,50,50,000	74,50,50,000
वर्ष के दौरान योग	-	-
वर्ष के अंत में कुल शेयर	74,50,50,000	74,50,50,000
वर्ष का लाभ (रुपये में)	78523.78	59602.31
प्रत्येक 10 रुपये के इक्विटी शेयर पर तनुकृत अर्जन (रुपये में)	10.54	8.00

टिप्पणी 26: आकस्मिक देयता और प्रतिबद्धताएँ

(लाख रुपये में)

विवरण	2020-21	2019-20
	राशि	राशि
क) कंपनी के खिलाफ दावे जो ऋण के रूप में मान्य नहीं	5,856.03	5,801.04
ख) अतिरिक्त आयकर की मांग	5,951.43	4,525.44
ग) अन्य प्रतिबद्धताएं (राजस्व की मांग)		
कुल	11,807.46	10,326.48

26.1 उपरोक्त क्रम संख्या (क) के अनुसार आकस्मिक देयताएं जिला न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और संपत्ति कर अधिकरण में लंबित अदालती मामले दर्शाती हैं। इन मामलों में हालांकि कंपनी अपने कानूनी दृष्टिकोण से प्रतिपक्षों/धदावेदारों के दावों के लिये उत्तरदायी नहीं है लेकिन चूंकि कंपनी को इस मामले में एक प्रतिवादी/जवाबदेह बनाया गया है इसलिये कंपनी अदालत में ये मुकदमें लड़ रही है। इसलिये कानूनी दृष्टिकोण से कंपनी पर प्रतिपक्ष द्वारा विभिन्न अदालतों में दायर इन दावों के लिये कोई वर्तमान दायित्व नहीं है और इसे देखते हुए वर्तमान वित्त वर्ष 2020-21 के लिये लेखा में देयता के किसी प्रावधान की जरूरत नहीं है। परन्तु, इंड एस 37 के अनुसार विभिन्न अदालतों और अधिकरणों में लंबित दावों की राशि आकस्मिक देयता के रूप में दर्शायी गयी है।

26.2 उपर्युक्त क्रम संख्या क) और ख) में दर्शायी गयी आपात देयता की राशि ब्याज या विलंब भुगतान अधिशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, प्रभारित किये जाने के अधीन है।

26.3 डीपीसीएल की आकस्मिक देयताओं की सूची

केस संख्या	टाइटल	राशि (रुपये में)	केस का सारांश
Ex 47/2004	ईसीई इंडस्ट्रीज बनाम डीसीएल और अन्य	13,164,274.82	पंचाट के निर्णय के संदर्भ में किया गया भुगतान - डीटीएल द्वारा 1.34 करोड़ रुपये और डीपीसीएल द्वारा 67 लाख रुपये।
FAO.No.74/2011	डीपीसीएल बनाम ए.के. बिल्डर्स	166,062.00	डीपीसीएल ने एडीजे साकेत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.10.2010 को आर्बिट्रेशन संख्या 0141052010 के तहत चुनौती दी, जिसमें डीपीसीएल को 2,54,628 रुपये की राशि का 50: ब्याज सहित भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।
FAO.No.08/2020	मैसर्स कैपिटल ट्रांसफॉर्मर बनाम डीपीसीएल और अन्य।	1,992,072.00	दिनांक 30.08.19 के आदेश के विरुद्ध मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1966 की धारा 37 के तहत अपील
FAO.No.11/2020	मैसर्स कैपिटल ट्रांसफॉर्मर बनाम डीपीसीएल और अन्य।		दिनांक 30.08.19 के आदेश के विरुद्ध मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1966 की धारा 37 के तहत अपील
Arb No.584308/2016	मैसर्स गगन साहनी बनाम दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड	421,251.00	24.7.2015 के आदेश के विरुद्ध मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1966 की धारा 34 के तहत गगन साहनी द्वारा दाखिल अपील
Arbt. No 584341/2016	मैसर्स गगन साहनी बनाम दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड		33 के ग्रीड सब स्टेशन, रानी बाग में नियंत्रण कक्ष भवन के निर्माण के लिए दिनांक 03/12/1997 के कार्य अनुबंध के संबंध में भुगतान विवाद
Case No.	टीपीडीडीएल बनाम एनडीएमसी	8080 वर्ग फुट के प्लॉट का आकलन, राशि की गणना नहीं	संपत्ति कर का दायित्व
Case No.	बीएसईएस आरपीएल बनाम एसडीएमसी	318,400,292.00	संपत्ति कर का दायित्व
Case No.	बीएसईएस वाईपीएल बनाम ईडीएमसी	168,277,023.00	संपत्ति कर का दायित्व
Arbt. No 4298/2016	टीपीडीडीएल बनाम विशाल कुमार शर्मा एवं अन्य (आर्ब. याचिका संख्या 127/2009)	471,384.00	टीपीडीडीएल ने लीड आर्बि. श्री एच.सी. अग्रवाल, ले. पारित अवार्ड को चुनौती दी।
Arbt. No 4296/2016	टीपीडीडीएल बनाम विशाल कुमार शर्मा एवं अन्य (आर्ब. याचिका संख्या 126/2009)	483,816.19	याचिकाकर्ता टीपीडीडीएल ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 34 के तहत मध्यस्थता याचिका दायर की है
Arbt. No 4297/2016	टीपीडीडीएल बनाम विशाल कुमार शर्मा एवं अन्य (आर्ब. याचिका संख्या 125/2009)	480,985.00	याचिकाकर्ता टीपीडीडीएल ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 34 के तहत मध्यस्थता याचिका दायर की है।
Arb. No. 240/2019 (Old No 97208/2016)	हिंदुस्तान विद्युत प्रोड. बनाम डीपीसीएल	303,142.00	निविदा के माध्यम से डीवीबी के समय वादी द्वारा जमा की गई प्रतिभू राशि की ब्याज सहित की वापसी
RFA NO.145/2011	जीएस माथुर बनाम डीपीसीएल	725,000.00	मामला ठेकेदार के कार्य से संबंधित है और पूर्व डीवीबी द्वारा भुगतान जारी नहीं किया गया था क्योंकि मूल कार्य ठेकेदार द्वारा पूरा नहीं किया गया था। वर्तमान मामला जिला न्यायालय द्वारा पारित आदेश से नियमित प्रथम अपील है।

FAO(OS) Comm-93/2019	बीवाईपीएल बनाम कनोहर इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और अन्य।	4,775,868.00	याचिकाकर्ताओं ने मध्यस्थता की कार्यवाही और दिल्ली उच्च न्यायालय के पिछले आदेश को चुनौती दी
FAO(OS)Comm-103/2019	टीपीडीपीएल बनाम कनोहर इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और अन्य।		याचिकाकर्ताओं ने मध्यस्थता की कार्यवाही और दिल्ली उच्च न्यायालय के पिछले आदेश को चुनौती दी
Misc.119/70/2012	डीटीएल बनाम मैसर्स साई इलेक्ट्रिकल और अन्य।	8,370,903.60	ठेकेदार विवाद डीटीएल ने जिला न्यायाधीश के समक्ष मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत अर्जी दाखिल की है।
CS(OS) 1582/2000	अंसल थिएटर एंड क्लब्स लिमिटेड बनाम डीपीसीएल	65,500,000.00	मेसर्स अंसल थिएटर एंड क्लबोटेल्स ने डीवीबी जो अब डीपीसीएल है और बीआरपीएल के खिलाफ दायर मुकदमे में 6 करोड़ रुपये के नुकसान का दावा किया गया है। विषय उपहार त्रासदी मामले से संबंधित है।
RFA No.139/2009	डीपीसीएल बनाम राम मोहन सहाय	339,562.00	ठेकेदार विवाद में डीपीसीएल ने केस नं. 115ध2007 में एल.डी. एडीजे द्वारा दिनांक 17.09.2008 को पारित रु. 3,39,562/- के निर्णय और डिक्री के खिलाफ अपील दायर की।
RFA No.284/2013 (in Suit No.252/2005)	अशोक कुमार शन्ना (मैसर्स चतुर भुज एंटरप्राइजेज) बनाम डीपीएससीएल	1,731,902.00	याचिकाकर्ता ने इस प्रार्थना के साथ याचिका दायर की है कि एडीजे द्वारा वाद संख्या 112/2011 में दिनांक 30ध01ध2013 को पारित आदेश निष्प्रभावी रद्द किया जाए
कुल		585,603,537.61	

टिप्पणी 27: वित्तीय जोखिम प्रबंधन – उद्देश्य और नीतियां

कंपनी की मूल वित्तीय देयताओं में उधारी और भुगतान योग्य शामिल है। वित्तीय देयताएं दिल्ली विद्युत बोर्ड समाप्त किये जाने की अवधि से पहले की देयताओं के कारण रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा सौंपे गये वित्तीय दायित्वों के कारण हैं। कंपनी की मूल वित्तीय आस्तियों में ऋण और अग्रिम, नकदी और नकदी समतुल्य, बैंक शेष और जमा तथा अन्य प्राप्य शामिल हैं। ये मुख्य रूप से निवेशी कंपनियों से प्राप्त लाभांश तथा दिल्ली विद्युत बोर्ड की विभाजन तिथि पर वसूली योग्य और अन्य अग्रिम प्राप्त हो जाने से और आधिक्य निधि से एफडीआर पर ब्याज से प्राप्त होते हैं।

कंपनी को किसी बाजार जोखिम, लिक्विडिटी जोखिम और ऋण जोखिम की आशंका नहीं है क्योंकि कंपनी ऋण और अग्रिम स्वीकार करने और मंजूर करने के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मध्यस्थ के रूप में कार्य कर रही है और किसी वाणिज्यिक या व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं है।

इसके अलावा कंपनी की सभी उधारियां निर्धारित ब्याज दर पर हैं और इसलिये उसे किसी ब्याज दर जोखिम की आशंका नहीं है। नकदी और नकदी समतुल्य तथा बैंक शेष और जमा के मामले में भी उसे कोई जोखिम नहीं है क्योंकि उसका लेन देन सरकारी स्वामित्व के बैंक से है।

टिप्पणी-28: श्रेणी और उचित मूल्य वर्गीकरण द्वारा वित्तीय साधन

कंपनी के वित्तीय साधनों की मौजूदा राशि और उचित मूल्य की श्रेणी गत तुलना उचित मूल्य से तर्कसंगत निकटता की मौजूदा राशियों से नीचे दी गयी है।

विवरण	मौजूदा मूल्य		उचित मूल्य	
	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
वित्तीय आस्तियां				
इक्विटी शेयरों में निवेश	4,77,853.65	4,02,835.44	4,77,853.65	4,02,835.44
नकदी और बैंक शेष	165.84	3,511.07	165.84	3,511.07
नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष	1,30,207.93	1,18,132.87	1,30,207.93	1,18,132.87
अन्य वित्तीय आस्तियां – गैर वर्तमान क	3,508.17	-	3,508.17	-
अन्य वित्तीय आस्तियां	48,799.37	50,525.00	48,799.37	50,525.00
वित्तीय देयताएं				
गैर-वर्तमान देयता-वित्तीय देयता	3,32,639.00	3,32,639.00	3,32,639.00	3,32,639.00
अन्य वित्तीय देयताएं	3,84,887.75	3,53,287.05	3,84,887.75	3,53,287.05

नकदी और नकदी समतुल्य, बैंक शेष और जमा, वसूली योग्य, अन्य भुगतान योग्य इत्यादि अपनी लघु अवधि के कारण अपने वर्तमान मूल्य के समान माने गये हैं।

टिप्पणी संख्या 4, 4क, 6, 7, 8, 12, 14 और 15 में उल्लिखित वित्तीय आस्तियां और देयताएं, स्थानांतरण योजना विनियम में निर्दिष्ट मूल्य पर पहले के दिल्ली विद्युत बोर्ड से ली गयीं आस्तियों और देयताओं सहित, वर्तमान मूल्य पर दर्ज की गयी हैं क्योंकि इनका समाधान/पुष्टि ध्वसमायोजन होना है।

टिप्पणी-29: पूंजी प्रबंधन

पूंजी में कंपनी के शेयर धारकों के लिये निर्धारित जारी इक्विटी पूंजी और अन्य इक्विटी रिजर्व शामिल है। कंपनी के पूंजी प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य पूंजी लागत कम करने के लिये समुचित पूंजी व्यवस्था बनाये रखना और शेयर धारक मूल्य अधिकतम करना है। कंपनी आर्थिक परिस्थितियों में बदलाव और वित्तीय संविदाओं की आवश्यकतानुसार पूंजी संरचना व्यवस्थित करती है और जरूरी समायोजन करती है। पूंजी संरचना बनाये रखने या व्यवस्थित करने के लिये कंपनी शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान समायोजित कर सकती है, पूंजी लौटा सकती है या नये शेयर जारी कर सकती है। (लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
उधारी (ब्याज सहित)	5,59,817.77	5,28,217.06
घटाये: नकदी और अन्य नकदी आस्तियां	1,30,373.77	1,21,643.95
निबल ऋण	4,29,444.00	4,06,573.11
इक्विटी	5,28,024.81	4,49,501.03
निबल ऋण/इक्विटी अनुपात	0.81	0.90

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान पूंजी प्रबंधन के लिये उद्देश्यों, नीतियों या प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

30. कर व्यय

कंपनी अनावशोषित अग्रसारित हानियों के लिये वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1965 की धारा 115 जे.बी. के तहत अपनी लाभ बही में न्यूनतम वैकल्पिक कर के भुगतान के लिये उत्तरदायी है, जो 2202.47 लाख रुपये है।

31. आस्थगित कर देयताएं आस्तियां

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2021 को		31 मार्च 2020 को	
	राशि	राशि	राशि	राशि
क. आस्थगित कर देयता				
क) आस्तियों की डबल्यूडीवी का अंतर	-	-	-	-
उप योग (ए)	-	-	-	-
ख. आस्थगित कर आस्तियां				
क) आस्तियों की डबल्यूडीवी का अंतर	5.15	1.42	5.21	1.67
ख) आयकर के अनुसार अनावशोषित ह्रास	-	-	-	14.05
ग) आयकर के अनुसार अनावशोषित हानि	-	-	-	315.12
उप योग (बी)	5.15	1.42	5.21	330.84
आस्थगित कर आस्ति (निबल)	5.15	1.42	5.21	330.84
(बी-ए)				

कंपनी ने वर्तमान वर्ष के लेखे में आस्थगित कर आस्तियों को मान्य नहीं किया है क्योंकि यह निश्चित नहीं है कि कंपनी इसका लाभ भविष्य की आय में ले पायेगी, इसलिये इस आस्ति को मौजूदा वर्ष के लेखे में मान्य करने पर विचार नहीं किया गया है।

32. संबंधित पक्ष स्पष्टीकरण

क) इंड एस 24 के अनुसार निर्दिष्ट संबंधित पक्षों की सूची नीचे दी गयी है।

(i) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (31 मार्च 2021 को)

क्र.सं.	नाम	वर्ष के दौरान	
		नियुक्ति	समाप्ति / जारी
1	श्री सत्य गोपाल, आईएएस, सीएमडी	31.03.2021	जारी
2	सुश्री रिकू धुग्गा, आईएएस, सीएमडी	01.01.2021	31.03.2021
3	सुश्री पद्मिनी सिंगला, आईएएस, सीएमडी	05.07.2019	01.01.2021
4	श्री हरेशिंदर सिंह, सीएफओ	09.09.2020	जारी
5	श्री सुरेंद्र बब्बर, सीएफओ	22.06.2016	20.08.2020
6	सुश्री पलक जैन, कंपनी सचिव	21.10.2016	जारी

सहयोगी / संयुक्त उद्यम

- (क) बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीएसईएस-आरपीएल)
- (ख) बीसीईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीसीईएस-वाईपीएल)
- (ग) टाटा पावर डेल्ही डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (टीपीडीडीएल)
- (घ) इंद्रप्रस्थ एनर्जी एंड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड

सहयोगी / संयुक्त उद्यम से भिन्न अन्य संबंधित पक्ष

- (क) डेल्ही ट्रांसको लिमिटेड (डीटीएल)
- (ख) इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (आईपीजीसीएल)

ख) संबंधित पक्ष लेन देन

(लाख रुपये में)

विवरण	टीपीडीडीएल		बीएसईएस वाईपीएल		बीएसईएस आरपीएल		डीटीएल		आईपीजीसीएल	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
ऋण बकाया (वसूलिया)	2018.82	2018.82	5579.89	5579.89	12293.81	12293.81	17484.04	17808.40	8011.60	8011.60
शेयरों में निवेश	18032.00	18032.00	27244.00	27244.00	50960.00	50960.00	26000.00	14000.00	14000.00	14000.00
लाभांश प्राप्त	6491.52	4868.64	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजित वेतन और भत्ते	-	-	-	-	-	-	324.45	217.43	-	-
सुरक्षित ऋणों पर प्रोद्भूत ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- (ii) कंपनी के पास 332639.00 लाख रुपये के लेनदेन का बकाया ऋण है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा वर्ष 2013-14 में डीईएसयू अवधि के सीपीएसयू बकाए के भुगतान के लिये संवितरित किया गया था। कंपनी ने उक्त ऋण के लेनदेन से संबद्ध, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से वसूली योग्य, इसी राशि का अग्रिम भी सृजित किया है। यह लेनदेन भी अन्य टिप्पणियों में विस्तार से दी गयी है। टिप्पणी संख्या 14 में दर्शायी गयी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से लेनदेन की निवल राशि पुष्टि और समायोजन के अधीन है।

ग) प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों को पारिश्रमिक

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	2020-21	2019-20
1	सीएमडी	शून्य	शून्य
2	मुख्य वित्तीय अधिकारी	50.28	37.60
3	कंपनी सचिव	20.64	शून्य

वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी-सीएमडी के पारिश्रमिक का वहन कंपनी द्वारा नहीं किया गया, इसलिये उपर्युक्त टिप्पणी में इसे शून्य दिखलाया गया है। डीपीसीएल के सीएमडी का पारिश्रमिक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा वहन किया।

33. कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर कार्मिक एजेंसी मेसर्स अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड और और अन्य एजेंसी मेसर्स असलेखा इंटरप्राइजेज को छोड़कर और कोई भी सप्लायर/ठेकेदार धसेवा प्रदाता नहीं है जो 31 मार्च 2021 को "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006" के अंतर्गत पंजीकृत हों।
34. वर्तमान वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया संबंधित पक्षों/केंद्रों, डिस्कॉम्स, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, अग्रिम, वसूली योग्य और भुगतान योग्य अधिशेष पुष्टि/समायोजन के अधीन है।
35. कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए इंड एस 108 द्वारा अपेक्षित रिपोर्टिंग खंड व्यवहार्य नहीं है।
36. वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में कोई व्ययधामदनी नहीं है।

37. कर्मचारी सेवा निवृत्ति लाभ

डीपीसीएल में काम कर रहे कर्मचारी या तो डीटीएल/आईपीजीसीएल या अन्य संगठनों से स्थानांतरित हैं या फिर प्रतिनियुक्ति यानी डेपुटेशन पर हैं। कंपनी के कर्मचारियों के वेतन, चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति, एलटीसी, अवकाश वेतन, पेंशन अंशदान आदि का भुगतान डीटीएल/आईपीजीसीएल द्वारा किया जाता है, जहां से ये कर्मचारी स्थानांतरित किये गये हैं और कंपनी में पदस्थापित किये गये हैं। कंपनी कर्मचारियों के वेतन इत्यादि की राशि की प्रतिपूर्ति डीटीएल और आईपीजीसीएल से प्राप्य राशि के समायोजन से करती है। चूंकि कंपनी का अपना कोई नियमित कर्मचारी नहीं है, इसलिये नियोजन की शर्तें भी डीटीएल/आईपीजीसीएल द्वारा तय की जाती हैं। कर्मचारियों के पारिश्रमिक और अन्य लाभों के प्रति देयता के प्रोद्भूत मूल्यांकन का प्रावधान भी डीटीएल और आईपीजीसीएल देखती हैं और इसे कंपनी को प्रभारित नहीं किया जाता।

38. स्वतंत्र निदेशक

कंपनी में एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति 31 मार्च 2021 को की गई। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, जीएनसीटीडी द्वारा डीपीसीएल के बोर्ड में एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित, कुल दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जा रही है।

39. कंपनी सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

कंपनी अधिनियम की धारा 135, धारा 198 के साथ पठित, के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये सीएसआर गतिविधियों की 54.99 लाख रुपये और वित्तीय वर्ष 2019-20 में 93.98 रुपये की राशि व्यय करनी थी। यह राशि दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय द्वारा राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, सिविल लाइन्स में विद्यार्थी सुविधा उपकरणों के साथ कनेक्टेड क्लास रूम परियोजना पर पहले ही खर्च की जा चुकी है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय के लिए निर्धारित 203.66 लाख रुपये की राशि सितम्बर 2021 में "प्रधान मंत्री राष्ट्रीय आपदा राहत कोष" में पहले ही दी जा चुकी है।

40. वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण से पुष्टि के लिये पिछले वर्षों के आंकड़े फिर से वर्गीकृत और समूहबद्ध किये गये हैं।

बीआरपीएल और बीवाईपीएल के सदस्य में महत्वपूर्ण मामले

41 नियामक आस्थगित खाता शेष (बीआरपीएल और बीवाईपीएल)

(लाख रुपये में)

नियामक आस्थगित खाता शेष		बीआरपीएल		बीवाईपीएल	
		31 मार्च, 2021		31 मार्च, 2021	
		10891.68	9260.71	9502.98	8656.86
शुल्क समायोजन खाता		0.00	0.00	0.00	0.00
नियामक आस्थगित खाताशेष से संबद्ध आस्थगित कर		10891.68	9260.71	9502.98	8656.86
शुल्क समायोजन खाता	(ए)	9260.71	8429.73	8656.86	8074.07
आरंभिक शेष					
वर्ष के दौरान राजस्व जीएपी					
लागत		6868.72	7976.48	3032.91	3621.08
बिजली खरीद लागत		2376.39	1943.66	1336.12	1191.19
अन्य					
(एमवाईटी विनियमों, डीईआरसी से शुल्क आदेशों और अपीलीय प्राधिकरणों के आदेश के अनुसार अन्य लागत और प्रभार सहित)		1243.61	1072.28	1109.06	1026.35
वर्ष के लिये मौजूदा मूल्य		(258.43)	(346.00)	178	(228.00)
घटाएं: शुल्क से वर्ष में रिकवर मौजूदा लागत	(बी)	10230.29	10646.42	5300.09	5610.62
राजस्व		7833.61	8913.67	4045.23	4572.21
संकलित राजस्व		153.37	172.89	93.37	78.98
गैर शुल्क आय	(सी)	7986.98	9086.56	4138.6	4651.19
		2243.31	1559.86	1161.49	959.43
भविष्य के शुल्क से वसूलीयोग्य/(पलटने योग्य)आय ध्वर्ष के लिये राजस्व जीएपी					
(डी)=(बी) – (सी)	ई	(612.34)	(728.88)	315.37	(376.64)
वर्ष के दौरान संग्रहित 8% उपप्रभार		1630.97	830.98	846.12	582.79
घटाएं: आरंभिक शेष के लिये वसूली (ई)		10891.68	9260.71	9502.98	8656.86
वर्ष के दौरान निवल गति (एफ)=(डी-ई)					
शुल्क समायोजन खाता (ए+एफ)					
नियामक आस्थगित खाता शेष पर संबंधित आस्थगित कर (नीचे की टिप्पणी देखें)		(1442.69)	(957.49)	(953.75)	(682.73)
नियामक आस्थगित खाता शेष से संबंधित आस्थगित कर		(957.49)	(384.33)	(682.73)	(188.04)
आरंभिक:- आस्थगित कर देयता		(485.20)	(573.16)	(271.02)	(494.69)
जोड़े:-आस्थगित कर देयता वर्ष के दौरान	(जी)	1442.69	957.49	953.75	682.73
घटाएं: भविष्य के शुल्क से वसूली योग्य		10891.68	9260.71	9502.98	8656.86
वर्ष के अंत में कुल शेष (ए+एफ+जी)					

कंपनी एक दर विनियमित कंपनी है। कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं से प्रभारित खुदरा आपूर्ति शुल्क दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी या आयोग) द्वारा विनियमित है। ये विनियमन लागतों को अनियंत्रण योग्य और नियंत्रण योग्य लागतों में अलग

अलग करते हैं। नियंत्रण-योग्य मानकों के लिये डीईआरसी द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नस्तरीय निष्पादन के कारण होने वाली वित्तीय हानियों का वहन लाईसेंस धारक द्वारा किया जायेगा।

30 मई 2007 को डीईआरसी ने 2007 से 2011 तक की अवधि के लिये शुल्क निर्धारण के नियम और शर्तों को स्पष्ट करते हुए विनियम (एमवाईटी विनियम 2007) अधिसूचित किये। इसके बाद डीईआरसी ने दिनांक 10 मई 2011 के अपने आदेश द्वारा एमवाईटी विनियम 2007 और नियंत्रण अवधि को और एक वर्ष, 31 मार्च 2012 तक के लिये बढ़ा दिया। 31 मार्च 2012 तक की पहली नियंत्रण अवधि पूरी होने के बाद डीईआरसी ने दिनांक 19 जनवरी 2012 की अधिसूचना द्वारा फिर एमवाईटी विनियम जारी किए और दूसरी नियंत्रण अवधि (वित्तीय वर्ष 2012 से 2015) के लिये विनियमित कंपनियों के शुल्क निर्धारण की शर्तें और नियम (एमवाईटी विनियम 2011) स्पष्ट कर दीं। इसके बाद फिर डीईआरसी ने 13 जुलाई 2012 के अपने आदेश द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक के लिये "नियंत्रण योग्य" मानक निर्दिष्ट कर दिये। इसके बाद डीईआरसी ने 22 अक्टूबर 2014 के अपने आदेश से एमवाईटी विनियम 2011 और नियंत्रण अवधि और एक वर्ष के लिये 31 मार्च 2016 तक बढ़ा दी। 31 जनवरी 2017 को डीईआरसी ने डीईआरसी(शुल्क निर्धारण नियम और शर्तें) विनियम 2017 (एमवाईटी विनियम 2017) अधिसूचित किया जिसमें यह कहा गया था कि निष्पादन समीक्षा और वर्ष 2016-17 के लिये समायोजन पर एमवाईटी विनियम 2011 के अनुसार विचार किया जायेगा। एमवाईटी विनियम 2017 के संदर्भ में डीईआरसी ने 01 सितंबर 2017 को डीईआरसी (व्यवसाय योजना) विनियम 2017 (व्यवसाय योजना विनियम) जारी किए गए जो तीन वर्ष की अवधि, वित्तीय वर्ष 2019-20 तक लागू थे और इस अवधि में विभिन्न नियंत्रण योग्य मानकों के लिये दिशा उपलब्ध कराते हैं।

इसके अलावा, डीईआरसी ने 27 दिसंबर, 2019 को डीईआरसी (व्यापार योजना) विनियम, 2019 (व्यापार योजना 19) जारी किया, जो वित्त वर्ष 2022-23 तक तीन साल की अवधि के लिए लागू है और उपरोक्त अवधि के लिए विभिन्न नियंत्रणीय मापदंडों के लिए मार्ग प्रदान करता है।

राजस्व अंतराधिक्य विनियामक आस्थगित खाता शेष द्वारा दर्शाया जाता है जो उस अवधि के लिये संबंधित एमवाईटी विनियमन में निर्दिष्ट सिद्धांत, शुल्क आदेशों और अन्य व्यवहार्य विधानों (कुछ अस्वीकार्यताओं को छोड़कर) पर आधारित है। इन राजस्व अंतरों के संदर्भ में संबंधित वर्षों में इंड एस 114, आईसीएआई द्वारा जारी नियामक आस्तियों पर मार्गदर्शक टिप्पणी के साथ पठित, के अनुसार समुचित समायोजन किये गये हैं। इसके अलावा व्यवसाय योजना विनियमन में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार मौजूदा वर्ष के लिये स्व सत्यापन भी किया गया है।

डीईआरसी ने कुछ अस्वीकृतियों के साथ दिनांक 29 सितंबर 2015 के शुल्क आदेश द्वारा 31 मार्च 2014 तक की अवधि के लिये राजस्व अंतर की तस्दीक की है। कंपनियों ने इस शुल्क आदेश के खिलाफ माननीय विद्युत अपील प्राधिकरण में अपील कर कानूनी नियमन विरोधी, अनुचित और मनमाने, पिछले शुल्क आदेशों में डीईआरसी के अपने निष्कर्षों तथा एपीटीईएल के पिछले फैसलों को लागू करने में त्रुटि और या लागू नहीं करने से संबंधित मुद्दों को चुनौती दी है। हालांकि कंपनी द्वारा लिये गये कानूनी मत के आधार पर इस प्रकार की अस्वीकृतियों का असर, जो अपील के अधीन हैं, 31 मार्च 2021 को विनियामक आस्थगित खाता शेष की संगणना में शामिल नहीं किया गया है।

इसी आधार पर और कानूनी मत से कंपनी ने, डीईआरसी द्वारा दिनांक 31 अगस्त 2017, 28 मार्च 2018, 31 जुलाई, 2019 और 28 अगस्त, 2020 के शुल्क आदेशों (और इसके पूर्ववर्ती एएस) में, वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के सत्यापन में की गयी समान अस्वीकृतियों की ही तरह, 31 मार्च, 2021 को विनियामक आस्थगित खाता शेष के वहन मूल्य की संगणना में विचार किया गया है। कंपनियों ने इन अस्वीकृतियों के खिलाफ माननीय एपीटीईएल के समक्ष अपील दायर की है।

डीईआरसी ने संचित विनियामक आस्थगित खाता शेष और मौजूदा लागत पर 13 जुलाई 2012 से लागू शुल्क पर 8: सरचार्ज की रिकवरी की अनुमति दी है। डीईआरसी ने 25 जुलाई 2014, 29 सितंबर 2015, 31 अगस्त 2017 और 28 मार्च 2018, 31 जुलाई, 2019 और 28 अगस्त, 2020 के अपने सत्यापन आदेश द्वारा केवल नियामक आस्तियों की मूल राशि पर ऐसे सरचार्ज की रिकवरी और अलग से संबंधित वर्षों के वार्षिक राजस्व आवश्यकताओं में मौजूदा लागत के समायोजन की अनुमति दी है। इसके अनुसार यह उपभोक्ताओं से वसूला जा रहा है।

संचित नियामक आस्तियों की रिकवरी के लिये वर्तमान प्रभार का प्रतिशत भविष्य के शुल्क आदेशों में डीईआरसी द्वारा समीक्षा के अधीन है।

कंपनी ने संचित नियामक आस्तियों की समयबद्ध रिकवरी का मामला रिट याचिका के जरिये माननीय उच्चतम न्यायालय में भी उठाया है।

इसके अनुसार बीआरपीएल में मौजूदा वित्त वर्ष (31 मार्च 2020, 788.88 करोड़ रुपये) के दौरान रिकवर किया गया 612.34 करोड़ रुपये का 8% प्रभार आरंभिक नियामक आस्थगित खाता शेष में समायोजित किया गया है।

टिप्पणियों में वर्तमान और पिछली अवधि में वित्तीय संस्थान से सुरक्षित सावधि ऋण के रूप में संदर्भित कंपनी की उधार राशि को सुरक्षित करने के लिए विनियामक आस्थगित ऋण शेष राशियां प्रथम समनुरूप प्रभार के अधीन हैं।

नियामक जोखिम प्रबंधन

डीईआरसी (दिल्ली विद्युत नियामक प्राधिकरण), विद्युत अधिनियम के अनुसार नियामक की भूमिका में है।

बाजार जोखिम

कंपनी बिजली आपूर्ति व्यवसाय में है और बिजली उपभोक्ताओं के लिये अत्यंत आवश्यक और जीवन रेखा होने के कारण किसी मांग-जोखिम की आशंका नहीं है। उपभोक्ताओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और इसके साथ ही वर्तमान और नये उपभोक्ताओं से बिजली की मांग भी बढ़ती जा रही है।

नियामक जोखिम

कंपनी डीईआरसी की नियामक व्यवस्था के तहत काम कर रही है। शुल्क दर नियामक गतिविधियों के अधीन है।

नियामक आस्तियों के लिये कंपनियों के जोखिम की समीक्षा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियों के तहत नियामक टीम के सहयोग से जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा की जाती है। नियामक टीम कंपनी की संचालन इकाइयों के निकट समन्वय से संबंधित जोखिमों की पहचान और आकलन करती हैं तथा इन्हें कम करने की योजना बनाती है और यह ब्योरा तिमाही रूप से बोर्ड लेखा समिति को उनकी समीक्षा के लिये सौंपा जाता है।

कंपनी के वित्तीय विवरणों में मान्य नियामक आस्तियां डीईआरसी द्वारा विनियमन और अदालतों/अधिकरणों में लंबित पिछले आकलनों की अस्वीकृतियों के अनुसार तत्दीक के अधीन है।

डीईआरसी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये 31 अगस्त 2017 को शुल्क आदेश जारी किया था जो 01 सितंबर 2017 से 31 मार्च 2018 तक लागू था। 28 मार्च 2018 को डीईआरसी ने दूसरा शुल्क आदेश वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये जारी किया जो 01 अप्रैल 2018 से 31 जुलाई, 2019 तक प्रवृत्त रहा और डीईआर सी ने अन्य शुल्क आदेश वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये जारी किया जो 01 अगस्त 2019 से 31 अगस्त, 2020 तक प्रवृत्त रहा। डीईआरसी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये शुल्क आदेश जारी किया जो 1 सितंबर, 2020 से लागू है और अगले शुल्क आदेश से प्रतिस्थापित होने तक औरध्या विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों और इसके तहत निर्मित विनियमन के अनुसार संशोधित, समीक्षित या परिवर्तित होने तक लागू रहेगा।

28 नवंबर, 2019 को दिल्ली पावर यूटिलिटीज के वकील ने अवमानना याचिकाओं की जल्द सुनवाई का अनुरोध किया। यह मामला, पिछली रिट याचिकाओं के साथ, माननीय न्यायालय के समक्ष 07 जनवरी, 2020 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था। कंपनी के अनुरोध पर माननीय न्यायालय ने निर्देश दिया कि, सभी जुड़े मामलों को रिट और अवमानना याचिकाओं के साथ टैग किया जाए और मामलों को 2020 के मार्च महीने में सूचीबद्ध किया जाए।

42. एनटीपीसी और अन्य उत्पादकों का बकाया (बीआरपीएल और बीवाईपीएल)

बीआरपीएल और बीवाईपीएल को 01 फरवरी 2014 को एनटीपीसी लिमिटेड से, बिजली खरीद भुगतान में विलंब के कारण बिजली आपूर्ति नियमन (रोके जाने) का नोटिस मिला। कंपनी ने माननीय उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर डीईआरसी को लागत प्रतिदर्शी शुल्क और संचित नियामक आस्तियों के नकदीकरण की कार्ययोजना उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए नियमन नोटिस पर स्थगन के लिये अनुरोध किया। उच्चतम न्यायालय ने 26 मार्च 2014 और 06 मई 2014 के अपने अंतरिम आदेश में कंपनियों को अपना वर्तमान बकाया (01 जनवरी 2014 से) 31 मई 2014 तक चुकाने का निर्देश दिया था जिसका अनुपालन नहीं होने पर उत्पादनधारेण कंपनियां बिजली आपूर्ति रोक सकती है। 03 जुलाई 2014 को न्यायालय ने पाया कि कंपनी ने अपने वर्तमान बकाये का शत प्रतिशत भुगतान कर दिया है। सभी आपत्तियों और विवाद पर बाद में विचार का निर्णय लिया गया। 26 मार्च 2014 और 06 मई 2014 के पहले के आदेशों के अनुसार रेकरिंग राशि के भुगतान का निर्देश दिया गया। इस बीच उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर पहले के आदेशों में बदलाव की मांग की गयी ताकि कंपनी को वर्तमान बकाये के 70 प्रतिशत के भुगतान की अनुमति दी जाये। 18 और 19 फरवरी 2015 को सभी दलीलें पूरी कर ली गयीं।

दिल्ली पावर यूटिलिटीज ने बकाये के भुगतान संबंधी उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ जनवरी 2015 में अवमानना का मामला दायर किया। अबतक कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है, परन्तु, बकाये के भुगतान का अनुरोध करते हुए दायर अंतरिम आवेदन पर दिसंबर 2015 में नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद यह मामला कई मौकों पर सूचीबद्ध हुआ लेकिन स्थगित कर दिया गया। लेकिन 12 मई 2016 को न्यायालय ने कंपनी को वर्तमान बकाये के 70 प्रतिशत का भुगतान अगले आदेश तक कर देने का निर्देश दिया। दिल्ली बिजली कंपनियों ने नवंबर 2016 में, कंपनी के खिलाफ 12 मई 2016 के न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए, नयी अवमानना याचिका दायर की। इस पर अब तक कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। इसके बाद यह मामला कई तारीखों पर सूचीबद्ध किया गया। 02 मई 2018 को हुई अंतिम सुनवाई में माननीय न्यायाधीश ने फैसला नहीं सुनाया। इसके बाद से दोनों न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अब इस मामले की दूसरी पीठ में फिर से सुनवाई होगी। हालांकि 11 अप्रैल 2019 को इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (आईपीजीसीएल) और प्रगति पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीपीसीएल) ने बकाये का भुगतान करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करने के आरोप में दाखिल 2015 की लंबित अवमानना याचिकाओं में नया अंतरिम आवेदन दायर किया।

28 नवंबर, 2019 को दिल्ली पावर यूटिलिटीज के वकील ने अवमानना याचिकाओं की जल्द सुनवाई का अनुरोध किया। यह मामला, पिछली रिट याचिकाओं के साथ, माननीय न्यायालय के समक्ष 07 जनवरी, 2020 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था। कंपनी के अनुरोध पर माननीय न्यायालय ने निर्देश दिया कि, सभी जुड़े मामलों को रिट और अवमानना याचिकाओं के साथ टैग किया जाए और मामलों को 2020 के मार्च महीने में सूचीबद्ध किया जाए।

परन्तु, चूंकि मामले सूचीबद्ध नहीं थे, अपीलों की शीघ्र सुनवाई के लिए एक आवेदन दायर किया गया था और 17 जुलाई, 2020 को रिट याचिका 104-05/2014 के साथ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिसंबर महीने में संबंधित मामलों के साथ अपीलों को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। चूंकि मामले फरवरी 2021 तक सूचीबद्ध नहीं हुए थे, मार्च 2021 में शीघ्र सुनवाई के लिए एक और आवेदन दाखिल किया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 19 अप्रैल, 2021 को मामले का संज्ञान लिया और कोर्ट ने जुलाई, 2021 में आवेदन को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

43. सीएजी लेखा परीक्षा (बीआरपीएल और बीवाईपीएल)

विद्युत विभाग (रा.रा.क्षे.दि.स.) के 07 जनवरी 2014 के पत्र के संदर्भ में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) दिल्ली की सभी तीन बिजली वितरण कंपनियों की लेखा परीक्षा 27 जनवरी 2014 से शुरू की। बीआरपीएल और बीवाईपीएल ने उक्त लेखा परीक्षा पर स्थगन का अनुरोध करते हुए माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की लेकिन अदालत ने यह याचिका नामंजूर कर दी। इन कंपनियों ने इस आदेश के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ में अपील की। रिट याचिका और अपील दोनों को यूनाइटेड रजिस्टर्ड वेलफेयर एसोसियेशन (यूआरडब्ल्यूए) की इसी मामले में दायर जनहित याचिका के साथ जोड़ दिया गया। इस मामले में दलीलों की सुनवाई 04 मार्च 2015 को पूरी हो गयी।

अगस्त-सितंबर 2015 को कंपनियों ने उक्त अपीलों में अंतरिम याचिका दायर की और सीएजी को किसी तीसरे पक्ष के साथ लेखा परीक्षा रिपोर्ट साझा नहीं करने तथा किसी भी रूप में इसका हवाला नहीं देने और कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिये जाने का अनुरोध किया। सीएजी वकील ने कहा कि इसके आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी। इसके बाद सभी बिजली वितरण कंपनियों की समेकित मसौदा रिपोर्ट न्यायालय के आदेश के अनुरूप बीएसईएस डिस्कॉम्स को सौंप दी गयी।

मसौदा लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित कथित हानि के ब्रेकअप और एक्जिट कॉन्फ्रेंस पर स्थगन की मांग करते हुये अन्य याचिकायें दायर की गयीं। इन्हें 01 अक्टूबर 2015 को सुनवाई के लिये सूचीबद्ध किया गया। अदालत ने एक्जिट कॉन्फ्रेंस पर स्थगन मंजूर नहीं किया और कहा कि बीएसईएस डिस्कॉम्स को जवाब सौंपे जायें तथा एक्जिट कॉन्फ्रेंस पर अतिरिक्त जानकारी भी मांगी और इसे सुनवाई की अगली तिथि 15 अक्टूबर 2015 पर अदालत को अवगत कराने को कहा।

15 अक्टूबर 2015 को कंपनियों ने अदालत को बताया कि 13 अक्टूबर 2015 को हुए एक्जिट कॉन्फ्रेंस में पहली बार बीआरपीएल में 1,100 पृष्ठ और बीवाईपीएल में 1412 पृष्ठ उपलब्ध कराये गये और इनका जवाब देने के लिये समय चाहिये। सीएजी के वकील ने कहा कि यह जानकारी पहले लेखा परीक्षा के दौरान साझा की गयी थी, इसलिये यह कोई नयी जानकारी नहीं है। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद जवाब रिकॉर्ड कर लिया और कहा कि टाटा पावर डेल्ही डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) के समान मामले में 30 अक्टूबर 2015 को सुनवाई होने जा रही है। इन याचिकाओं के साथ यह मामला भी उस तिथि के लिये सूचीबद्ध कर लिया जायेगा।

न्यायालय ने इन कंपनियों को एक्जिट कॉफ्रेंस में प्रदान किए गए दस्तावेजों पर प्रतिक्रिया के लिये 30 अक्टूबर 2015 तक का समय भी दिया, यदि यह अपेक्षित हो।

यह मामला 30 अक्टूबर 2015 के लिये सूचीबद्ध कर दिया गया और माननीय न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने "07 जनवरी 2014 के आदेश से संबद्ध सभी कार्रवाई निरस्त किये जाने का निर्देश दिया।"

सीएजी, रा.रा.क्षे.दि.स.और यूआरडबल्यू ने माननीय न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की और यह मामला 18 जनवरी 2016 को सुनवाई के लिये सूचीबद्ध किया गया, जिसमें नोटिस जारी किए गए। बीएसईएस डिस्कॉम्स ने अपने जवाब सौंप दिये हैं। अंतिम बार यह मामला 25 जुलाई 2016 के लिये सूचीबद्ध किया गया और न्यायालय ने सभी पक्षों को अपनी दलीलें पूरी कर लेने का निर्देश दिया। मामले पर 19 अक्टूबर 2016 को सुनवाई होना निश्चित हुआ लेकिन यह कॉज लिस्ट में नहीं आने से उस तिथि पर सूचीबद्ध नहीं हो सका। इसपर सुनवाई 07 दिसंबर 2016 को हुई जब संबंधित पक्षों को दलीलें पूरी करने के लिये और चार सप्ताह का समय दिया गया। यह मामला फरवरी और मार्च 2017 में कई बार सूचीबद्ध हुआ, पिछली सुनवाई 09 मार्च 2017 को हुई। जब अदालत ने इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया कि वह स्वयं इस मामले की सुनवाई करेगा या इसे संविधान पीठ को स्थानांतरित किया जायेगा जहां रा.रा.क्षे.दि.स. की शक्तियां बनाम उपराज्यपाल की शक्तियों का मामला लंबित है। 03 जुलाई 2017 को पीठ ने कहा कि तत्काल अपीलों को संविधान पीठ को सौंपे जाने की जरूरत नहीं है और अपीलों पर निर्णय के लिये संविधान पीठ के निर्णय के निष्कर्षों की प्रतीक्षा नहीं की जानी चाहिये। हस्ताक्षरित आदेश के संदर्भ में अपीलों को उनकी मेरिट के आधार पर सुनवाई के लिये सूचीबद्ध किये जाने का निर्देश दिया गया। सुनवाई की अगली तिथि अभी तक तय नहीं हुई है।

44. कोविड 19 महामारी का दुष्प्रभाव

बीआरपीएल और बीवाईपीएल ने इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में कोविड-19 से संबंधित महामारी के आशंकित प्रभावों पर विचार किया है, जिनमें कंपनी का व्यावसायिक संचालन, उत्पाद और सेवाओं की मांग, लाभप्रदता, पूंजी और वित्तीय संसाधन, कंपनी की व्यवस्थाओं के अनुकूल परिसंपत्ति क्षमता, तरलता और कंपनी के जारी रहने की संभावनाओं का मूल्यांकन शामिल है, परन्तु यह मूल्यांकन सिर्फ उक्त बातों तक ही सीमित नहीं है।

दिल्ली में हाल ही में घोषित लॉकडाउन जो इन वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग की तारीख तक जारी है, बिजली की मांग और उपभोक्ता की भुगतान करने की क्षमता को भी प्रभावित कर सकता है और इसलिए प्राप्त और संग्रह का हिस्सा भी प्रभावित होगा। परन्तु, दीर्घावधि के आधार पर कंपनी को अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में किसी भी बड़ी चुनौती की आशंका नहीं है। इसके अलावा कंपनी का व्यवसाय दर विनियमित होने के कारण यदि उसके राजस्व लाभ में कोई निश्चित घाटा होगा, तो नियामक प्राधिकरण द्वारा उसकी वसूली भविष्य के टैरिफ से करने की अनुमति दी जाएगी।

बीआरपीएल और बीवाईपीएल ने वर्तमान में उपलब्ध बाहरी और साथ ही आंतरिक जानकारी पर विचार करते हुए पूर्वानुमानों और आकलनों के आधार पर मूल्यांकन किया है और निष्कर्ष निकाला है कि कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं है।

कोविड -19 का प्रभाव अनिश्चित बना हुआ है और इन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तारीख के अनुसार हमने जो अनुमान लगाया है, वह उससे भिन्न हो सकता है। अतः भविष्य में कोविड-19 के प्रसार की अवधि और सीमा का निश्चित रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

समान तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते बी आर माहेश्वरी एंड कंपनी एलएलपी

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या 001035 एन/एन 500050

हस्ता/-
सीए संजय नाथ
साझेदार
सदस्यता संख्या 082700

हस्ता/-
(हरशंदर सिंह)
उप महाप्रबंधक वित्त

हस्ता/-
(पलक जैन)
कंपनी सचिव

हस्ता/-
(संजय कुमार लाल)
निदेशक (वित्त)
डीन: 09320148

हस्ता/-
(सत्य गोपाल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीन: 08144273

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 30.11.2021

फॉर्म नं. एओसी-1

सहायक कंपनियों/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं वाला विवरण कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उपधारा (3) के पहले परंतुक के अनुसार) 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए।

दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड (एनसीटी दिल्ली सरकार का एक उपक्रम) के समेकित वित्तीय विवरण के संबंध में

भाग "क": सहायक कंपनियाँ

प्रत्येक सहायक कंपनी के संबंध में जानकारी लाखों में राशि के साथ प्रस्तुत की जानी है)

क्र. सं.	
सहायक कंपनी का नाम	
संबंधित सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि, यदि होल्डिंग कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न हो	
विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि पर मुद्रा और विनिमय दर की रिपोर्टिंग करना।	
शेयर पूंजी	
आरक्षित एवं अधिशेष	
कुल संपत्ति	
कुल देनदारियों	
निवेश	
कारोबार	
कराधान से पहले लाभ	
कराधान के लिए प्रावधान	
कराधान के बाद लाभ	
प्रस्तावित लाभांश	
शेयरधारिता का %	

टिप्पणियाँ: निम्नलिखित जानकारी विवरण के अंत में दी जाएगी:

उन सहायक कंपनियों के नाम जिनका संचालन अभी शुरू होना बाकी है

उन सहायक कंपनियों के नाम जिनका वर्ष के दौरान परिसमापन या बिक्री की गई है।

भाग "ख": सहयोगी और संयुक्त उद्यम

दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड की एसोसिएट कंपनियों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के अनुसार विवरण।

(आंकड़े लाखों में)

एसोसिएट्स/संयुक्त उद्यमों का नाम	टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड	बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड	बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड	आईई और डब्ल्यूएमसीएल
	23 अप्रैल , 2021	10 मई , 2021	10 मई , 2021	अभी हस्ताक्षर होना बाकी है
1. शेयरों की संख्या	5154.80	5,096.00	2,724.40	0.50
2. एसोसिएट्स/संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि (रुपये में)	18,032.00	50,960.00	27,244.00	5.00
होलडिंग की सीमा %	49%	49%	49%	50%
3. महत्वपूर्ण प्रभाव कैसे पड़ता है इसका विवरण	इक्विटी में निवेश 20% से अधिक है	इक्विटी में निवेश 20% से अधिक है	इक्विटी में निवेश 20% से अधिक है	इक्विटी में निवेश 20% से अधिक है
4. कारण कि सहयोगी/संयुक्त उद्यम समेकित नहीं है	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5. नवीनतम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार शेयरधारिता के कारण निवल मूल्य (लाख रुपये)	3,79,499.13	28,510.70	15,703	—
6. वर्ष के लिए लाभ/हानि				
i. समेकन में विचार किया गया (लाख रुपये)	21,091.91	37,794.19	20,166.44	—
ii. समेकन में विचार नहीं किया गया (लाख रुपये)	21,952.81	39,336.81	20,989.56	—

हस्ता/-
(हरशंदर सिंह)
उप महाप्रबंधक वित्त

हस्ता/-
(पलक जैन)
कंपनी सचिव

हस्ता/-
(संजय कुमार लाल)
निदेशक (वित्त)
डीन: 09320148

हस्ता/-
(सत्य गोपाल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीन: 08144273

कृते बी आर माहेश्वरी एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
कंपनी पंजीकरण संख्या— 001035एन/एन500050

हस्ता/-
संजय नाथ
साझेदार
सदस्यता संख्या—082700

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30.11.2021



दिल्ली पावर कम्पनी लिमिटेड

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय: शक्ति सदन, कोटला रोड,
नई दिल्ली-110002

